



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 18, शाके 1936, सोमवार, मार्च 09, 2015
Phalguna 18, Saka 1936, Monday, March 09, 2015

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.257.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) इन संशोधन नियमों के,-

- (i) नियम 4 के उपबंध 01.04.2015 से प्रवृत्त होंगे;
- (ii) नियम 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 32 के उपबंध 01.07.2015 से प्रवृत्त होंगे;
- (iii) नियम 10, 14, 17, 31 और 34 के उपबंध 01.10.2015 से प्रवृत्त होंगे; और
- (iv) इन संशोधन नियमों के शेष नियम तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 16 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 16 के उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “30 दिन के भीतर व्यवहारी का निर्धारण करेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “एक सौ अस्सी दिन के भीतर व्यवहारी का निर्धारण करेगा” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (8) में विद्यमान अभिव्यक्ति “सुसंगत वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर” के स्थान पर अभिव्यक्ति “वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर” प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 19क का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 19क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“19क. विलम्ब फीस.- जहां कोई व्यवहारी विहित समय के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत करता है वहां वह,-

- (i) यदि विवरणी के अधीन कालावधि के दौरान व्यवहारी का कोई पण्यावर्त या कोई कराधेय पण्यावर्त न हो, अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए बीस रुपये प्रतिदिन; और
- (ii) न्यूनतम 50 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन के अध्यक्षीन रहते हुए, विवरणी के अधीन कालावधि के लिए संदेय शुद्ध कर की 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की विलम्ब फीस का संदाय करेगा, तथापि विलम्ब फीस की कुल रकम अन्य सभी मामलों में अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए विवरणी के अधीन कालावधि के लिए संदेय शुद्ध कर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

5. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण किये गये निर्धारण के लिए व्यवहारी 30 जून, 2015 तक घोषणा प्ररूप या प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।”

6. नियम 22क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 22क के उप-नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (खख) प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(खख) जिस पर कर उप-संविदाकार द्वारा संदत्त किया गया है।”

7. नियम 27 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“27. प्रतिदाय.- (1) प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से,-

- (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा, जिसका प्रतिदाय किये गये निर्धारण के परिणामस्वरूप या किसी सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में शोध्य है, प्ररूप मूपक-20 में;
- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा, जो धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा यथा निदिष्ट पूर्व में किसी प्रतिदाय के दावे का हकदार है, प्ररूप मूपक-20 में;
- (ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा, जिनके विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 5 की उप-धारा (1) और (3) के अर्थान्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में हैं, प्ररूप मूपक-21 में; और
- (घ) खण्ड (क) के अधीन नहीं आने वाले किसी व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा प्ररूप मूपक-22 में, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन,-

- (क) निर्धारण किये जाने या किसी सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप मूपक-20 में, प्रस्तुत किया जायेगा;
- (ख) प्ररूप मूपक-10 में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-26 के साथ प्ररूप मूपक-20क में प्रस्तुत किया जायेगा;
- (ग) प्ररूप मूपक-10 में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-26 के साथ प्ररूप मूपक-21 में प्रस्तुत किया जायेगा। व्यवहारी, हवाई परेषणपत्र/वहन पत्र/रेल रसीद या माल यान रसीद या डाक रसीद या भारत का सीमा शुल्क सीमान्तों के पार माल के निर्यात के सबूत में कोई अन्य दस्तावेज और घोषणा प्ररूप मूपक-15 या, यथास्थिति, प्ररूप-ज, भी यदि विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में है तो प्रस्तुत करेगा; और
- (घ) किसी व्यक्ति या अधिनियम के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा जिससे कर की कोई रकम या कर के बदले कोई रकम संगृहीत की गयी है या काटी गयी है जो उसके द्वारा संदेय नहीं थी, ऐसे सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी को जिसकी क्षेत्राधिकारिता में ऐसा व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है, प्ररूप मूपक-22 में प्रस्तुत किया जायेगा, और राज्य के भीतर निवास नहीं कर रहे व्यक्ति की दशा में, ऐसा आवेदन, संविदाकार की दशा में संविदा की सुपाट्य स्केन की गयी प्रति के साथ, आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: शब्द “लेखाकार” का वही अर्थ होगा जो धारा 73 में यथा-वर्णित है।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (2) में यथा-वर्णित ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त द्वारा यथा-अधिसूचित रीति में आगत कर के अधिक जमा होने की दशा में, विक्रेता व्यवहारी द्वारा रकम के निक्षेप और/या संदेय कर के निक्षेप का तथ्य सत्यापित करेगा।

(4) रकम और/या आगत कर मुजरा का निक्षेप सत्यापित करने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि व्यवहारी या व्यक्ति को रकम प्रतिदेय है तो धारा 17 की उप-धारा (2), धारा 53 और धारा 54 के उपबंधों के अधीन प्ररूप मूपक-23 में,-

- (i) प्ररूप मूपक-20 में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर; और/या
- (ii) प्ररूप मूपक-20क, मूपक-21 या मूपक-22 में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर प्रतिदाय का आदेश पारित करेगा ;

परन्तु यदि आवेदन धारा 54 के अधीन आयुक्त के समक्ष लंबित है, तो उपर्युक्त समय सीमा ऐसे आवेदन के फाइल करने के 30 दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी।

(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वर्ष 2013-14 और उससे आगे के लिए, जहां निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय उद्भूत होता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे निर्धारण आदेश के पारित करने के पन्द्रह दिन के भीतर, प्ररूप मूपक-23 में प्रतिदाय के लिए स्वप्रेरणा से आदेश पारित करेगा।

(6) निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे आदेश के पारित किये जाने के दो कार्य दिवस के भीतर, उपायुक्त (प्रशासन) को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-23 प्रस्तुत करेगा।

(7) उपायुक्त (प्रशासन) सात कार्य दिवस के भीतर, प्ररूप मूपक-23 पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयुक्त द्वारा केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(8) प्ररूप मूपक-23 की प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर, केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी, समाधान हो जाने पर, प्ररूप मूपक-24 में प्रतिदाय आदेश पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करेगा और IFMS के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी को यह निर्देशित करते हुए अग्रेषित करेगा कि उक्त प्ररूप में वर्णित व्यवहारी या व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिदाय की रकम प्रेषित करे और संबंधित कोषागार को उसकी एक हार्ड प्रति भी भेजेगा।

(9) संबंधित कोषागार अधिकारी राजस्थान कोषागार नियम, 2012 में यथा-उपबंधित TY-34 के माध्यम से वाणिज्यिक कर विभाग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिदाय की रकम का मिलान करेगा।

(10) जहां कोई व्यवहारी उसके द्वारा संदेय किसी रकम के प्रति प्रतिदाय की रकम का समायोजन करना चाहता है वहां निर्धारण प्राधिकारी, या यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी मूपक-25 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करेगा और विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवहारी को उसकी प्रति, उसके द्वारा संदेय रकम से इस प्रकार प्रतिदेय रकम की कटौती करने का निदेश देते हुए, अग्रेषित करेगा।

(11) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति, जो प्रतिदाय का हकदार है, के प्रति कोई मांग बकाया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसी बकाया मांग के प्रति प्रतिदाय के समायोजन के लिए प्ररूप मूपक-25 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करेगा और व्यवहारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस संबंध में सूचित करेगा।

(12) प्रतिदाय का कोई दावा, प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यवहारी या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना और लिखित में कारणों का अभिलेख किये बिना नामंजूर नहीं किया जायेगा।”

8. नियम 28 का हटाया जाना.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 28 को हटाया जायेगा।

9. नियम 29 का हटाया जाना.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 29 को हटाया जायेगा।

10. नियम 30 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“30. अपील प्राधिकारी को अपील.- (1) धारा 82 के अधीन अपील का ज्ञापन प्ररूप मूपक-27 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) विलम्ब की माफी के लिए आवेदन, यदि कोई हो, प्ररूप मूपक-28 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) अपील के ज्ञापन या अन्यथा में कोई त्रुटि, अपीलार्थी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित की जायेगी और उसके द्वारा इसे, ऐसी सूचना के तीस दिन के भीतर, दूर किया जायेगा। अपील प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए समय बढ़ा सकेगा।

(4) अपील प्राधिकारी, धारा 82 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार ग्रहण की गयी अपील के ज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित अधिकारी को अग्रोषित करेगा। अपील के ऐसे ज्ञापन की प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा और अपील के ज्ञापन की प्रति की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील से संबंधित सुसंगत अभिलेख भी भेजेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में और उसके पूर्व सूचित मोबाइल फोन पर एस एम एस के माध्यम से सुनवाई के लिए नियत तारीख का नोटिस अपीलार्थी को और निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित अधिकारी को देगा।

(6) जहां अपील प्राधिकारी किसी मामले को निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्रतिप्रेषित करता है, वहां वह उसके द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी को ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तारीख विनिर्दिष्ट करेगा।”

11. नियम 37 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“37. मालिक और अभिकर्ता से संबंधित लेखा और दस्तावेज.- (1) जहां कोई मालिक विक्रय के लिए अपने कमिशन अभिकर्ता को राज्य के भीतर कर योग्य माल प्रेषित करता है, वहां वह प्ररूप मूपक-35 में ऐसे माल के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषण नोट विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में जनित करेगा और उसकी एक प्रति माल के साथ उसके कमिशन अभिकर्ता को भेजेगा।

(2) कमिशन अभिकर्ता मालिक की ओर से तिमाही के दौरान उसके द्वारा राज्य के भीतर विक्रीत कराधेय माल के विक्रय आगम का प्रमाणपत्र प्ररूप मूपक-36 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित रीति में, जनित करेगा और उसकी एक प्रति उसके मालिक को अग्रोषित करेगा।

(3) जहां मालिक ने उसके अभिकर्ता द्वारा विक्रीत कराधेय माल के विक्रय आगम पर कर संदत्त कर दिया है, वहां वह कर के निक्षेप के संबंध में प्रमाणपत्र, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप मूपक-36 में जनित करेगा और उसकी एक प्रति उसके कमिशन अभिकर्ता को अग्रोषित करेगा।

(4) जहां अभिकर्ता ऐसा दावा करता है कि वह अधिनियम के अधीन मालिक की ओर से उसके द्वारा विक्रीत कराधेय माल के विक्रय पर कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं है, वहां वह प्ररूप मूपक-35, प्ररूप मूपक-36 और प्ररूप मूपक-36क से संबंधित सूचना उसके निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(5) उपर्युक्त उप-नियम (1) से (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 के नियम 11 के प्रारंभ के पूर्व की कालावधि के लिए प्ररूप मूपक-35, प्ररूप मूपक-36 और प्ररूप मूपक-36क अभिप्राप्त किये जायेंगे और ऐसी रीति में जो उस कालावधि में प्रवृत्त थी, प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(6) जहां निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्ररूप मूपक-35, प्ररूप मूपक-36 और प्ररूप मूपक-36क में के प्रमाणपत्र की विशिष्टियाँ और अन्तर्वस्तु सही है, वहां वह कमिशन अभिकर्ता का दावा स्वीकार करेगा।

12. नियम 53 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“53. राज्य के भीतर आयात के लिए माल के संबंध में आवश्यक घोषणा का प्रस्तुत किया जाना.- (1) आयुक्त द्वारा उप-नियम (2) के अधीन यथा अधिसूचित के सिवाय प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी,-

- (i) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से विक्रय के लिए किसी कराधेय माल, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, का आयात करता है; या
- (ii) जो राज्य के बाहर से उसे परेषित, शाखा अंतरण/डिपो अंतरण/स्टॉक अंतरण के द्वारा या कोई कराधेय माल, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, प्राप्त करता है; या
- (iii) जो विक्रय से अन्यथा, उपयोग, उपभोग या व्ययन के लिए राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, लाने का, आयात करने का या अन्यथा प्राप्त करने का आशय रखता है,

प्ररूप मूपक-47 प्ररूप में स्याही से लिखित पूर्ण रूप से भरी हुई घोषणा प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्ररूप के मूल्य, उपयोग की तारीख और माह प्ररूप में उपबंधित विनिर्दिष्ट स्थान पर पंच किया गया है। घोषणा प्ररूप का प्रतिपुर्ण व्यवहारी द्वारा रखा जायेगा और इसके ‘मूल’ और ‘दूसरी प्रति’ के रूप में चिन्हित भाग संचलन में के माल के साथ ले जाये जायेंगे। तथापि, ऐसा व्यवहारी, प्ररूप मूपक-47 के बदले में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित प्ररूप मूपक-47क ले जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, ‘कराधेय माल’ से इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची-I के अधीन कर से छूट प्राप्त माल से भिन्न समस्त माल अभिप्रेत है।

(2) आयुक्त, राज्य के राज्य क्षेत्र में माल के प्रवेश से पहले व्यवहारियों के किसी वर्ग को अधिसूचित कर सकेगा, जो प्ररूप मूपक-47 के बदले विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्ररूप मूपक-47क या पहचान संख्या जनित करेंगे। प्ररूप मूपक-47क जनित करने के लिए व्यवहारी यथा-अपेक्षित जानकारी या तो

विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से या विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोडेड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन अधिसूचित व्यवहारी प्ररूप मूपक-47क में, उपर्युक्त उप-नियम (1) में वर्णित माल के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेगा या करवायेगा। इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-47क संचलन में के माल के साथ ले जाया जायेगा।

(4) जहां व्यवहारी ने उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है, वहां विभाग की शासकीय वेबसाइट द्वारा पहचान संख्या भी जनित की जायेगी और व्यवहारी द्वारा दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर प्रणाली जनित एस एम एस द्वारा संसूचित की जायेगी। व्यवहारी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर में यह एस एम एस प्ररूप मूपक-47क के बदले में संचलन में के माल के साथ भी ले जाया जा सकेगा। ऐसे मामले में, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इस प्रकार जनित पहचान संख्या संचलन में के माल के साथ ले जाये जा रहे माल रसीद/बिल्टी और बीजक/ विक्रय बिल/ प्रेषण मीमो पर भी स्याही में दर्शित की जायेगी।

(5) जहां एकल बीजक के अधीन आने वाला माल एक से अधिक यान में ले जाया जा रहा है, वहां प्रत्येक यान के लिये पृथक प्ररूप मूपक-47क या पहचान संख्या जनित की जायेगी और उप-नियम (4) में यथा-वर्णित पृथक प्ररूप मूपक-47 या प्ररूप मूपक-47क या पहचान संख्या यान में ले जाये जा रहे माल का मूल बीजक और चालान और उसकी फोटोप्रति ऐसे प्रत्येक यान के साथ ले जायी जायेगी।

(6) यान या वाहक या संचलन में के माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति संचलन में के माल के संबंध में उप-नियम (4) में यथा-वर्णित प्ररूप मूपक 47 या प्ररूप मूपक 47क या, यथास्थिति, पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए धारा 76 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज अपने साथ ले जायेगा। वह निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के समय उसे प्रस्तुत करेगा। प्ररूप मूपक-47 की दशा में निर्धारण प्राधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी मूल भाग अपने पास रखेगा और दूसरा भाग उस पर अपने हस्ताक्षर और शासकीय मुहर लगाकर उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटा देगा और ऐसा अधिकारी घोषणा प्ररूप का अपने पास रखा गया मूल भाग निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत प्राधिकारी को भेजेगा।

(7) यदि संचलन में के माल के संबंध में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूप निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है तो यान या माल के वाहक का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी पश्चात्वर्ती स्थान पर निरीक्षण किये जाने पर धारा 76 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त घोषणा प्ररूप की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि राज्य में राज्य के बाहर के किसी स्थान से रेल मार्ग, वायु मार्ग, शुष्क पत्तन या अन्य किसी रीति से माल लाया जाता है तो,-

(क) प्ररूप मूपक-47 या प्ररूप मूपक-47 क, या यथास्थिति, उपर्युक्त उप-नियम (4) में यथावर्णित पहचान संख्यांक को सम्मिलित करते

हुए, धारा 76 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट समस्त दस्तावेज, संचलन में के माल के साथ होंगे।

(ख) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राजस्थान के किसी गंतव्य स्थान के लिए माल की बुकिंग करते समय रेल मार्ग, वायु मार्ग, शुष्क पत्तन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संचलन में के माल के साथ प्ररूप मूपक-47 या प्ररूप मूपक-47क, या यथास्थिति, उप-नियम (4) में वर्णित पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए इन नियमों के अधीन विहित दस्तावेज होंगे।

(ग) निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को संचलन में के माल और उसके दस्तावेजों की जांच और निरीक्षण की शक्तियां होंगी। वह संबंधित रेल मार्ग, वायु मार्ग या शुष्क पत्तन अधिकारियों को जब्ती मीमो की प्रति उपलब्ध करवाकर कर अपवंचन के संदिग्ध माल को भी जब्त कर सकेगा और इस प्रकार जब्त माल को रेलवे, हवाई अड्डा या शुष्क पत्तन परिसर या ऐसे अन्य स्थान जहां ऐसा माल रखा गया है, से हटा सकेगा।

(घ) परिदान के समय पर, रेल/वायुयान/शुष्क पत्तन प्राधिकारी परेषक और परिदान लेने वाले व्यक्ति का उनके पहचान के सबूत और पूर्ण पते को सम्मिलित करते हुए अभिलेख रखेंगे। निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को रेल, वायुयान या शुष्क पत्तन से परेषण, परेषक, परेषिती के ब्यौरों के संग्रहण की शक्ति होगी।

(ङ) अधिनियम में अन्तर्विष्ट संचलन में के माल के निरीक्षण के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए रेल मार्ग/वायु मार्ग/शुष्क पत्तन परिवहन अभिकरण के रूप माना जायेगी, और उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और नियमों में अन्तर्विष्ट समस्त उपबंधों के अध्यक्षीन रहेंगे।

(9) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जिसने प्ररूप मूपक-47 अभिप्राप्त किया है और उपयोग किया है, वह तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर प्ररूप मूपक-47 के दूसरे भाग के साथ, प्ररूप मूपक-48 में माल के आयात का विवरण, निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि उप-नियम (4) में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा प्ररूप मूपक-47 के मूल भाग को नहीं रखा गया है, तो इसे प्ररूप मूपक-47 के दूसरे भाग के साथ तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: तिमाही से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन महीनों की कालावधि अभिप्रेत है।

(10) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी उप-नियम (9) में यथा-उल्लिखित विवरण देने में विफल रहता है वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, धारा 64 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(11)(क) निरंक घोषणा प्ररूप मूपक-47 सरकारी खजाने, प्राधिकृत बैंक या निर्धारण प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में पच्चीस घोषणा प्ररूपों वाली प्रत्येक पुस्तक के लिए पचास रुपये की राशि का संदाय

करने पर निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्राप्त किये जायेंगे।

- (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूप प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ऐसे प्ररूपों के लिए अपनी आवश्यकता का कथन करते हुए निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप मूपक-16क में आवेदन करेगा। जहां प्ररूप मूपक-16क आवश्यक संलग्नों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण है वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नियत अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए पर्याप्त संख्या में प्ररूप जारी करेगा।
- (ग) खण्ड (ख) के अधीन जारी सभी घोषणा प्ररूप निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनकी शासकीय मुहर और जारी करने की तारीख के साथ अधिप्रमाणित किये जायेंगे। व्यवहारी को उक्त प्ररूपों को जारी करते समय व्यवहारी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (टिन) समुचित स्थान पर स्टंपित किये जायेंगे। ऐसे प्ररूप जारी करने की तारीख से दो वर्ष के लिये विधिमान्य रहेंगे।
- (घ) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी उसके द्वारा प्राप्त किये गये घोषणा प्ररूपों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और उनकी किसी भी चोरी, नुकसान या नष्ट हो जाने से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हुई सरकारी राजस्व की किसी भी हानि, यदि कोई हो, के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा। यदि ऐसे किसी भी प्ररूप की चोरी हो जाये, खो जाये या नष्ट हो जाये तो व्यवहारी इस तथ्य की रिपोर्ट अपने निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को तुरंत करेगा और चोरी, खो जाने या नष्ट हो जाने का लोक नोटिस जारी करेगा, और ऐसी और कार्रवाई करेगा जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाये।
- (ङ) व्यवहारी, जो किसी खाली या पूर्ण रूप से भरे हुए प्ररूप की चोरी, नुकसान या नष्ट हो जाने की रिपोर्ट करता है, से प्ररूप के किसी संभावित दुरुपयोग के प्रति, जैसा नियम 21 के उप-नियम (8) में विहित है, प्ररूप मूपक-65 में ऐसी रकम के क्षतिपूर्ति बंधपत्र के रूप में और ऐसी कालावधि के भीतर, जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।
- (च) किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के पास उसके कारबार के स्थायी रूप से बंद कर दिये जाने या बंद हो जाने पर स्टॉक में बचा हुआ या बचे हुए अप्रयुक्त प्ररूप उसके द्वारा उसके निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे बंद कर दिये जाने या बंद हो जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अभ्यर्पित कर दिये जायेंगे।
- (छ) आयुक्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि किसी विशिष्ट संख्यांक, किसी विशिष्ट आवली, डिजायन या रंग के प्ररूप ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोग के लिए अप्रचलित और/या अविधिमान्य समझे जायेंगे।”

13. नियम 54 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“54. राजस्थान के बाहर निर्यात के लिये संचलन में के माल के साथ या अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ले जायी जाने के लिए अपेक्षित

घोषणा.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, आयुक्त द्वारा उप-नियम (2) के अधीन यथा-अधिसूचित को छोड़कर, जो कराधेय माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर,-

- (i) ऐसे माल को छोड़कर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, राज्य के बाहर विक्रय के लिए या शाखा अंतरणों/डिपो अन्तरणों/स्टाक अन्तरणों के रूप में; या
- (ii) राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में; या
- (iii) राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (3) के यथा-परिभाषित निर्यात के अनुक्रम में प्रेषित करता है,

स्याही से सभी प्रकार से पूर्णरूप से भरी हुई प्ररूप मूपक-49 में घोषणा देगा या दिलवायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्य, ऐसे प्ररूप के उपयोग की तारीख और मास प्ररूप में उपबंधित विनिर्दिष्ट स्थान पर पंच कर दिये जायेंगे। घोषणा का प्रतिपण ऐसे व्यवहारी द्वारा रखा जायेगा और उसके 'मूल' और 'दूसरी प्रति' के रूप में चिह्नित भाग संचलन में के माल के साथ ले जाये जायेंगे। तथापि ऐसा व्यवहारी प्ररूप मूपक-49 के बदले में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित प्ररूप मूपक-49क ले सकेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'कराधेय माल' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल से भिन्न समस्त माल अभिप्रेत है।

(2) आयुक्त राज्य के बाहर किसी स्थान को माल प्रेषित करने से पूर्व, व्यवहारियों के किसी वर्ग को अधिसूचित कर सकेगा, जो प्ररूप मूपक-49 के बदले विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्ररूप मूपक-49क या पहचान संख्या जनित करेंगे। प्ररूप मूपक-49क जनित करने के लिए व्यवहारी यथा-अपेक्षित जानकारी या तो विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से या विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोडेड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन आयुक्त द्वारा यथा-अधिसूचित व्यवहारी प्ररूप मूपक-49क में, उपर्युक्त उप-नियम (1) में वर्णित माल के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेगा या करवायेगा। इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-49क संचलन में के माल के साथ ले जाया जायेगा।

(4) जहां व्यवहारी ने उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है, वहां विभाग की शासकीय वेबसाइट द्वारा पहचान संख्या भी जनित की जायेगी और व्यवहारी द्वारा दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर प्रणाली जनित एस एम एस द्वारा संसूचित की जायेगी। व्यवहारी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर में यह एस एम एस प्ररूप मूपक-49क के बदले में संचलन में के माल के साथ भी ले जाया जा सकेगा। ऐसे मामले में, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इस प्रकार जनित पहचान संख्या संचलन में के माल के साथ ले जाये जा रहे माल रसीद/बिल्टी और बीजक/ विक्रय बिल/ प्रेषण मीमो पर भी स्याही में दर्शित की जायेगी।

(5) जहां एकल बीजक के अधीन आने वाला माल एक से अधिक यानों में ले जाया जा रहा है, वहां प्रत्येक यान के लिये पृथक मूपक-49/मूपक-49क या पहचान संख्या जनित की जायेगी और उप-नियम (4) में यथा-वर्णित पृथक प्ररूप मूपक-49 या प्ररूप मूपक-49क या पहचान संख्या यान में ले जाये जा रहे माल

का मूल बीजक और चालान और उसकी फोटोप्रति ऐसे प्रत्येक यान के साथ ले जायी जायेगी।

(6) यान या वाहक या संचलन में के माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति संचलन में के माल के संबंध में उप-नियम (4) में यथा-वर्णित प्ररूप मूपक 49 या प्ररूप मूपक 49क या, यथास्थिति, पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए धारा 76 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज अपने साथ ले जायेगा। वह निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के समय उसे प्रस्तुत करेगा। प्ररूप मूपक-49 की दशा में निर्धारण प्राधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी मूल भाग अपने पास रखेगा और दूसरा भाग उस पर अपने हस्ताक्षर और शासकीय मुहर लगाकर उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटा देगा और ऐसा अधिकारी घोषणा प्ररूप का अपने पास रखा गया मूल भाग निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत प्राधिकारी को भेजेगा।

(7) यदि संचलन में के माल के संबंध में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूप निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है तो यान या माल के वाहक का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी पश्चात्वर्ती स्थान पर निरीक्षण किये जाने पर धारा 76 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त घोषणा प्ररूप की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि माल राज्य के बाहर किसी स्थान से रेल मार्ग, वायु मार्ग, शुष्क पत्तन या अन्य किसी रीति से प्रेषित किया जाता है तो,-

- (क) प्ररूप मूपक-49 या प्ररूप मूपक-49 क, या यथास्थिति, उपर्युक्त उप-नियम (4) में यथावर्णित पहचान संख्यांक को सम्मिलित करते हुए, धारा 76 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट समस्त दस्तावेज, संचलन में के माल के साथ होंगे।
- (ख) राज्य के बाहर के किसी स्थान के लिए राज्य में किसी स्थान से माल की बुकिंग करते हुए रेल मार्ग, वायु मार्ग, शुष्क पत्तन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संचलन में के माल के साथ प्ररूप मूपक-49 या प्ररूप मूपक-49क, या यथास्थिति उप-नियम (4) में वर्णित पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए इन नियमों के अधीन विहित दस्तावेज होंगे।
- (ग) निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को संचलन में के माल और उसके दस्तावेजों की जांच और निरीक्षण की शक्तियां होंगी। वह संबंधित रेल मार्ग, वायु मार्ग या शुष्क पत्तन अधिकारियों को जब्ती मीमो की प्रति उपलब्ध करवाकर कर अपवंचन के संदिग्ध माल को भी जब्त कर सकेगा और इस प्रकार जब्त माल को रेलवे, हवाई अड्डा या शुष्क पत्तन परिसर या ऐसे अन्य स्थान जहां ऐसा माल रखा गया है, से हटा सकेगा।
- (घ) बुकिंग के समय पर, रेलमार्ग/वायुमार्ग/शुष्क पत्तन प्राधिकारी परेषक और बुकिंग करने वाले व्यक्ति का उनके पहचान के सबूत और पूर्ण पते को सम्मिलित करते हुए अभिलेख रखेंगे। निर्धारण प्राधिकारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को रेल,

वायुयान या शुष्क पत्तन से परेषण, परेषक, परेषिती के ब्यौरों के संग्रहण की शक्ति होगी।

(इ) अधिनियम में अन्तर्विष्ट संचलन में के माल के निरीक्षण के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए रेल मार्ग/वायु मार्ग/शुष्क पत्तन परिवहन अभिकरण के रूप माना जायेगी, और उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और नियमों में अन्तर्विष्ट समस्त उपबंधों के अध्यक्षीन रहेंगे।

(9) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जिसने प्ररूप मूपक-49 अभिप्राप्त किया है और उपयोग किया है, वह तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर प्ररूप मूपक-49 के दूसरे भाग के साथ, प्ररूप मूपक-50 में राज्य के बाहर भेजे गये माल का विवरण, निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि प्ररूप मूपक-49 का ऐसा दूसरा भाग व्यवहारी द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसे प्ररूप के उपयोग का लेखा परेषक के सम्यक् रूप से समर्थित शपथपत्र के साथ निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: तिमाही से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन महीनों की कालावधि अभिप्रेत है।

(10) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी उपर्युक्त उप-नियम (9) में यथा-उल्लिखित विवरण देने में विफल रहता है वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् धारा 64 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(11) नियम 53 के उप-नियम (11) के उपबंध घोषणा प्ररूप मूपक-49 को, जहां तक हो सके, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

14. नियम 73 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 73 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“73. विवादित प्रश्न के अवधारण के लिए आवेदन.- धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन विवादित प्रश्न के अवधारण के लिए कोई आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्ररूप मूपक-59 में प्रस्तुत किया जायेगा। इस नियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने वाला व्यवहारी या व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व एक सौ रुपये की राशि का निक्षेप करेगा।”

15. नियम 76क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 76 के पश्चात् और विद्यमान नियम 77 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 76 क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“76क. समझौते के प्रमाणपत्र को मंजूर करने की शक्ति.- (1) जहां कोई आदेश, कर समझौता बोर्ड, जो अधिनियम के अधीन गठित किया गया था, द्वारा 05.10.2014 के पूर्व पारित किया गया है, किन्तु समझौता प्रमाणपत्र तत्समय कर समझौता बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में आवेदक समझौता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए आयुक्त, वाणिज्यिक कर को आवेदन निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करेगा,-

- (i) कर, शास्ति और ब्याज के बकाया के बदले तत्समय कर समझौता बोर्ड द्वारा यथा-अवधारित रकम के निक्षेप का सबूत; और
- (ii) मामले के प्रत्याहरण के आदेश की प्रति, यदि कोई हो।

(2)(क)जहां आवेदक तत्समय कर समझौता बोर्ड द्वारा आदेश की गयी ऐसी कालावधि के भीतर रकम निक्षेप करने में विफल हो गया है, वहां वह आयुक्त को निम्नलिखित के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,-

- (i) तत्समय कर समझौता बोर्ड द्वारा आदेश की गयी रकम के निक्षेप के लिए समयावधि को बढ़ाये जाने; या
- (ii) यदि उक्त रकम का पहले ही निक्षेप कर दिया गया है तो, तत्समय कर समझौता बोर्ड द्वारा आदेश की गयी रकम के निक्षेप में विलम्ब की माफी देने।

(ख) आयुक्त, यह समाधान होने पर कि ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है, लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, उक्त रकम के निक्षेप के लिए समयावधि बढ़ा सकेगा या विलम्ब को माफ कर सकेगा।

(3) जहां आवेदन उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, वहां आयुक्त, यह समाधान होने पर कि आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के आदेश, यदि कोई हो, की प्रति प्रस्तुत कर दी है और रकम का निक्षेप तत्समय कर समझौता बोर्ड द्वारा आदेश किये गये ऐसे समय के भीतर या आयुक्त द्वारा बढ़ाये गये ऐसे समय के भीतर कर दिया है या जहां आयुक्त द्वारा रकम के निक्षेप में विलम्ब की माफी दे दी गयी है और समयावधि के बढ़ाये जाने के आदेश या विलम्ब की माफी की शर्तें पूरी कर ली गयी है, आवेदक को समझौता प्रमाणपत्र जारी करेगा जो विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्य होगा।”

16. नियम 79ख का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 79क के पश्चात् और विद्यमान नियम 80 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 79 ख अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“79 ख. ई-गवर्नेन्स के संबंध में उपबंध.- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त वह तारीख अधिसूचित कर सकेगा जिससे ब्यवहारी या व्यक्ति द्वारा कोई विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना दी जायेगी, को वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से, उसमें यथा-उपबंधित रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जायेगी। आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी।

(2) ई-गवर्नेन्स को सुकर बनाने के लिए, आयुक्त इन नियमों में दी गयी प्रक्रिया को ऐसी सीमा तक परिवर्तित कर सकेगा जो संसूचना और संदाय के इलेक्ट्रॉनिक प्ररूपों के साथ असंगत या बेमेल है और ऐसा परिवर्तन किसी कार्रवाई को केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं बनायेगा कि वह इन नियमों के प्रक्रियात्मक उपबंधों से असंगत है।”

17. नियम 80 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 80 में दी गयी सारणी में.-

- (i) विद्यमान मद संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

1.	(क) धारा 83 के अधीन अपील का ज्ञापन	एक सौ रुपये
	(ख) धारा 84 के अधीन पुनरीक्षण का आवेदन	एक सौ पचास रुपये

”

(ii) विद्यमान मद संख्या 8 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

18. प्ररूप मूपक-10 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-10 में, विद्यमान मद संख्यांक “ड. संदेय कर” और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नई मदें और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

“च. उपकर

च.1 एम.एस. और एच.एस.डी. पर सड़क विकास उपकर

क्र.सं.	वस्तु	मात्रा	उपकर की दर	उपकर की रकम
	क	ख	ग	घ
1.				
2.				

च.2. शोध्य उपकर और उपकर के निक्षेप, ब्याज और विलम्ब फीस का ब्यौरा

कालावधि	शोध्य उपकर	शोध्य तारीख	निक्षिप्त उपकर	निक्षेप की तारीख	ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख	विलम्ब फीस	विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख	जी. आर. एन. /सी. आई. एन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

छ. प्रवेश कर

छ.1. विशिष्टियां

क्र.सं.	वस्तु	माल का कराधेय क्रय मूल्य	कर की दर	कर की रकम
	क	ख	ग	घ
1.				
2.				

छ.2. शोध्य कर और कर के निक्षेप, ब्याज और विलम्ब फीस का ब्यौरा

कालावधि	शोध्य कर	शोध्य तारीख	निक्षिप्त कर	निक्षेप की तारीख	ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख	विलम्ब फीस	विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख	जी. आर. एन. /सी. आई. एन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ज. विलास कर

ज.1. होटलों का प्रवर्ग और उनकी प्राप्तिां

क्र. सं.	होटल का नाम	होटल का प्रवर्ग	मास का नाम	मास के दौरान प्राप्तिां	कर की दर	कर की रकम
		क		ख	ग	घ
1.						
2.						

ज.2. संगृहीत कर की रकम: रुपये

ज.3. शोध्य कर और निक्षिप्त कर, ब्याज और विलम्ब फीस के ब्यौरा

कालावधि	शोध कर	शोध तारीख	निक्षिप्त कर	निक्षेप की तारीख	ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख	विलम्ब फीस	विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख	जी. आर. एन. /सी. आई. एन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

19. प्ररूप मूपक-10क का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक 10क में, विद्यमान भाग घ और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “घोषणा” के पूर्व निम्नलिखित नये भाग ड और भाग च और उनकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“भाग ड

7. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अधीन कराधेय माल का विवरण (राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा भरा जाये) :

7.1 राज्य के बाहर से लाया गया माल:

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	माल का कराधेय क्रय मूल्य	कर की दर

7.2 राज्य के बाहर से लाया गया माल और आपूर्तिकर्ता को वापस किया गया या विक्रय से भिन्न तरीके से राज्य के बाहर भेजा गया

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	माल का कराधेय क्रय मूल्य	संव्यवहार की प्रकृति

भाग च

8. होटल कारबार से संबंधित ब्यौरे (राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होटलवाले द्वारा भरा जाये):

क्र. सं.	होटल का नाम	प्रवर्ग	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां	किराये योग्य कमरों की कुल संख्या*	वर्ष के दौरान अधिभुक्त कमरों की संख्या	अधिभुक्तता का प्रतिशत (5x6/100)	क्या किसी आर.आई. पी.एस. के अधीन छूट दी गयी है ?	
							हकदारी प्रमाणपत्र	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* किराये योग्य कमरों की कुल संख्या = किराये योग्य कमरों की संख्या X दिनों की संख्या।”

20. प्ररूप मूपक-11 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-11 में,-

- (i) विद्यमान उप-मद “1.1 धारा 8(3) के अधीन पण्यावर्त (संकर्म संविदा छू.प्र.)” और उसकी सारणी के पश्चात् और विद्यमान उप-मद “1.2 रामूपक अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन पण्यावर्त (प्रशमन स्कीम)” के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-मद 1.1.क और उसकी सारणी अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

1.1.क. क्रयों का ब्यौरा (संकर्म संविदा के मामलों में भरा जाये)।

1.1.क.1 मूपक बीजक के प्रति राज्य के भीतर किये गये क्रयों की विशिष्टियां

क्र.सं.	टिन	विक्रेता व्यवहारी का नाम	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	ऐसे क्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम

1.1.क.2 राज्य के भीतर किये गये क्रयों की विशिष्टियां जिन पर अधिनियम के अधीन कर संदत्त नहीं किया गया है:

क्र. सं.	वस्तु	व्यवहारी/ व्यक्ति का नाम जिससे माल क्रय किया गया है	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	कर की दर	कर की रकम जो ऐसे क्रयों पर संदेय होती यदि माल मूपक बीजक के प्रति क्रय किया गया होता

1.1.क.3 राज्य के बाहर से किये गये क्रयों की विशिष्टियां :

क्र. सं.	वस्तु	व्यवहारी/ व्यक्ति का नाम जिससे माल क्रय किया गया है	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	कर की दर	कर की रकम जो ऐसे क्रयों पर संदेय होती यदि माल मूपक बीजक के प्रति क्रय किया गया होता

(ii) मद संख्या 'घ' की विद्यमान मद-संख्या "1.1 विवरणी कालावधि के लिए व्यापार लेखा" और उसकी सारणी के पश्चात् और विद्यमान उप-मद संख्या "1.2 विभाग से अभिप्राप्त किये गये कानूनी प्ररूपों का लेखा" के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-मदें और उनकी सारणियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

1.1.क. क्रयों के ब्यौरे (होटलवाले द्वारा जिसने राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अधीन मैरिज हाल के लिए एकमुश्त संदाय के विकल्प का प्रयोग किया है)

मैरिज हाल का नाम	क्षेत्र का नाम जहां मैरिज हाल अवस्थित है	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि की दर	संदेय वार्षिक एकमुश्त रकम
1	2	3	4	5

1.1.ख. शोध्य और निक्षिप्त एकमुश्त रकम, ब्याज और विलंब फीस के ब्यौरे।

कालावधि	शोध्य एकमुश्त रकम	शोध्य तारीख	निक्षिप्त एकमुश्त रकम	निक्षेप की तारीख	ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख	विलंब फीस	विलंब फीस के निक्षेप की तारीख	जी. आर. एन. /सी. आई. एन.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21. प्ररूप मूपक-20 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "[नियम 27(1)(क) देखिए]" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 27(1)(क) और (2)(क) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

22. प्ररूप मूपक-20क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक 20 के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप मूपक-21 के पूर्व निम्नलिखित नया प्ररूप मूपक-20क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्ररूप मूपक-20क
[नियम 27(1)(ख) देखिए]
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 17(2) के अधीन पूर्व प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन
..... से तक की तिमाही के लिए

प्रेषिति,

स.आ./वा.क.अ./स.वा.क.अ. वृत्त/वार्ड	टिन
1. व्यवहारी का नाम	
2. पता	
3. तिमाही के प्ररूप मूपक-10 के अनुसार निर्गत कर की कुल रकम	
4. तिमाही के लिए के.वि.क. अधिनियम के अनुसार संदेय कुल कर	
5. प्रतिवर्ती कर की कुल रकम	
6. धारा 4(2) के अधीन कुल क्रय कर	
7. कुल कर दायित्व (3+4+5+6)	
8. तिमाही के मूपक-10 के अनुसार कुल आगत कर	
9. कुल प्रतिदेय रकम (8-7)	
10. विवरणी(यों) के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये घोषणा प्ररूपों या अन्य मांगों से संबंधित कर दायित्व	
11. प्रतिदाय की रकम (9-10)	
12. अधिनियम या निरसित अधिनियम या के. वि.क. अधिनियम, 1956 के अधीन शोध्य कोई अन्य रकम	
13. शुद्ध प्रतिदेय रकम (11-12)	

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर
नाम और हैसियत

घोषणा

मैं/हम (मैसर्स) के स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/कर्ता/कारबार प्रबन्धक यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त कथित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और कोई भी बात छिपाई नहीं गयी है। यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट तिमाही के लिए पूर्व प्रतिदाय का कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया गया है।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर
नाम और हैसियत”

23. प्ररूप मूपक-21 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक 21 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "[नियम 28(1) और (2) देखिए]" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 27(1)(ग) और (2)(ग) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

24. प्ररूप मूपक-22 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप मूपक-22

[नियम 27(1)(घ) और 27(2)(घ) देखिए]

व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

प्रेषिति,

स.आ./वा.क.अ./स.वा.क.अ.	घट वृत्त जोन
------------------------	--------------------

1.	व्यक्ति/व्यवहारी का नाम	
----	-------------------------	--

2. पता :

2.1	भवन सं./नाम	
2.2	क्षेत्र/नगर और शहर	
2.3	जिला	
2.4	पिन कोड	
2.5	ई-मेल आई.डी.	
2.6	दूरभाष/मोबाइल नंबर	

3. बैंक के ब्यौरे :

3.1	बैंक का नाम जिसमें प्रतिदाय चाहा गया है	
3.2	शाखा का नाम	
3.3	खाता संख्या	
3.4	खाते का प्रकार	
3.5	शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड	

4. दावाकृत प्रतिदाय की रकम और उसका (उसके) कारण:

क.	विशिष्टियां	
(i)	प्रतिदाय की रकम	
(ii)	कालावधि	
(iii)	आदेश की तारीख, यदि कोई हो (तारीख/मास/वर्ष)	
(iv)	प्रतिदाय का (के) कारण	

और/या

ख.	सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप	
(i)	प्रतिदाय की रकम	
(ii)	प्राधिकारी का नाम	
(iii)	आदेश की तारीख, यदि कोई हो (तारीख/मास/वर्ष)	

5. निक्षेप/कटौती के ब्यौरे :

क.	यदि निक्षिप्त किया गया है	
(i)	निक्षेप की गयी रकम	
(ii)	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	
(iii)	जी.आर.एन./सी.आई.एन. सं.	

और/या

ख.	यदि संकर्म संविदा अवार्डर द्वारा काटी गयी है	
(i)	अवार्डर का नाम	
(ii)	अवार्डर पहचान सं.	
(iii)	अवार्ड की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	
(iv)	काटी गयी रकम	
(v)	मूपक 41 सं.	
(vi)	जी.आर.एन./सी.आई.एन. सं.	

स्थान : हस्ताक्षर
तारीख : नाम और हैसियत

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस प्ररूप और इसके संलग्नक (यदि कोई हों) में दी गयी सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य और सही है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान : हस्ताक्षर
तारीख : नाम और हैसियत

25. प्ररूप मूपक-23 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्ररूप मूपक-23
(नियम 27 देखिए)
इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय के लिये आदेश

प्रेषिति,

केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी (के.प्र.अ.) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर	
---	--

1. व्यवहारी के ब्यौरे

1.1	व्यवहारी का नाम	
1.2	रजिस्ट्रकरण सं. (टिन)	

2. पता

2.1	भवन सं./नाम	
2.2	क्षेत्र/नगर और शहर	
2.3	जिला	
2.4	पिन कोड	

3. बैंक के ब्यौरे

3.1	बैंक का नाम जिसमें प्रतिदाय चाहा गया है	
3.2	शाखा का नाम	
3.3	खाता संख्या	
3.4	खाते का प्रकार	
3.5	शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड	

4. अनुज्ञात प्रतिदाय की रकम और उसका (उसके) कारण:

क	निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप	
(i)	प्रतिदाय की रकम	
(ii)	कालावधि	
(iii)	आदेश की तारीख, यदि कोई हो (तारीख/मास/वर्ष)	

और/या

ख	सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप	
(i)	प्रतिदाय की रकम	
(ii)	प्राधिकारी का नाम	
(iii)	आदेश की तारीख, यदि कोई हो (तारीख/मास/वर्ष)	

और/या

ग	धारा 17(2) के अधीन शीघ्र प्रतिदाय के आदेश के परिणामस्वरूप	
(i)	प्रतिदाय की रकम	
(ii)	कालावधि	
(iii)	धारा 17(2) की अधीन आदेश की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	

और/या

घ	भारत राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रयों के परिणामस्वरूप	
(i)	प्रतिदाय की रकम	
(ii)	कालावधि	
(iii)	आदेश की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	

और/या

ङ	अधिनियम के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित प्रतिदाय	
(i)	प्रतिदाय की रकम	
(ii)	कालावधि	
(iii)	सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- मैंने व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर लिया है और आवश्यक प्रविष्टियों से संबंधित सभी औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है।
- प्रतिदाय की रकम वर्ष के मांग और संग्रहण रजिस्टर के क्र.सं. पर प्रविष्ट की गई है।
- उपर्युक्त वर्णित कालावधि के लिए माल के विक्रय पर कर के संदाय के प्रतिदाय के लिए व्यवहारी के दावे संबंधित कालावधि के लिए व्यवहारी द्वारा नकद निक्षेप/आगत कर मुजरा (आ.क.मु.) से सत्यापित कर लिये गये हैं।
- कर, शास्ति या संबंधित ब्याज जिसके लिए प्रतिदाय दिया गया है, बैंक/कोषागार में जमा कर दिया गया है।
- वर्तमान में प्रश्नगत राशि से संबंधित कोई प्रतिदाय आदेश पूर्व में मंजूर नहीं किया गया है और यह प्रतिदाय का आदेश मेरे हस्ताक्षर के अधीन कालावधि के लिए मैसर्स की पत्रावली में प्रविष्ट किया गया है।
- व्यवहारी के बैंक खाते के ब्यौरे का सत्यापन आवेदन/अभिलेख से कर लिया गया है।

कार्यालय की मुहर
स्थान :

(डिजिटल हस्ताक्षर)
प्राधिकारी का पदनाम
कार्यालय का नाम

उपायुक्त (प्रशा.) द्वारा भरा जाये

केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी (के.प्र.अ.), जयपुर को रु. (अंकों में)
(शब्दों में) की रकम के प्रतिदाय को मैसर्स
टिन को मंजूर करने के लिए अग्रेषित किया जाता है।

(डिजीटल हस्ताक्षर)
उपायुक्त (प्रशा.)
वाणिज्यिक कर विभाग,
जोन

26. प्ररूप मूपक-23क का हटाया जाना.- उक्त नियमों से सलंगन विद्यमान प्ररूप 23क हटाया जायेगा।

27. प्ररूप मूपक-23ख का हटाया जाना.- उक्त नियमों से सलंगन विद्यमान प्ररूप 23ख हटाया जायेगा।

28. प्ररूप मूपक-24 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से सलंगन विद्यमान प्ररूप मूपक-24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्ररूप मूपक-24
(नियम 27 देखिए)
(प्रतिदाय के संदाय के लिए बिल)
भाग-I

राजस्थान सरकार			
मूपक प्रतिदाय के लिए बिल : वाणिज्यिक कर विभाग	आहरण वितरण अधिकारी कोड:	कार्यालय पहचान:	केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी का सूचना संख्यांक:
बिल सं.	तारीख:		
बजट शीर्ष: 0040			
प्रेषिती, कोषाधिकारी, कृपया संबंधित पक्षकारों को दावे का संदाय करने का आदेश करें। लिपिक के हस्ताक्षर कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार आहरण वितरण अधिकारी/केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी के हस्ताक्षर			
<p>1. प्रमाणित किया जाता है कि नियमों के अनुसरण में दावे की वास्तविकता निर्धारण प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच ली गयी है और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बिल में दावाकृत रकम पूर्व में आहरित नहीं की गयी है और अभिलेख के अनुसार पाने वाले/पाने वालों का बैंक ब्यौरा सही है।</p> <p>2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिदाय की रकम, निर्धारण प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संबंधित वर्ष के लिए मांग संग्रहण रजिस्टर में प्रविष्ट कर ली गयी है।</p> <p style="text-align: right;">आहरण वितरण अधिकारी/ केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर</p>			
आहरण वितरण अधिकारी/केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी द्वारा भरा जाये प्रतिदाय आदेश मंजूरी रकम: प्रतिदाय आदेश मंजूरी सं.: प्रतिदाय आदेश मंजूरी तारीख:	सं.	तारीख:	कोषागार के उपयोग के लिए नकद में संदेय रु.:

आहरण वितरण अधिकारी/ केन्द्रीय प्रातिदाय अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर	शब्दों में: कुल जमा रु.:
महालेखाकार कार्यालय के लिए स्वीकृत (रु.) आक्षेपित (रु.)	(क.लेखाकार) (लेखाकार) (कोषाधिकारी)
संपरीक्षक अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी	

भाग-2

राजस्थान सरकार										
कार्यालय का नाम		आ.वि.अ.कोड		कार्यालय पहचान		के.प्र.अ. सूचना संख्याक:				
बिल सं.:				तारीख :						
बजट शीर्ष : 0040										
क्र.सं.	व्यवहारी का नाम	टिन	प्रतिदाय का ब्यौरा				बैंक का ब्यौरा			प्रतिदाय का कारण
			प्रतिदाय आदेश सं.	प्राधिकारी के कार्यालय के नाम सहित पदनाम जिसने प्रतिदाय आदेश जारी किया है	रकम	प्रतिदाय आदेश की तारीख	प्रतिदाय की कालावधि	बैंक का नाम	शाखा का नाम	

कृपया उपर्युक्त प्रतिदाय के कारण राशि रु. (अंकों में)
..... (शब्दों में) का संदाय करें।

प्रमाणपत्र

- (1) कि निर्धारण प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर लिया है और आवश्यक प्रविष्टियों संबंधी समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है।
- (2) कि उपर्युक्त वर्णित कालावधि के लिए माल के विक्रय पर कर के संदाय से प्रतिदाय के लिए व्यवहारी का दावा, संबंधित कालावधि के लिए व्यवहारी द्वारा नकद निक्षेप/आगत कर मुजरा (आ.क.मु.), निर्धारण प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित करा लिया गया है।
- (3) कि संबंधित कर, शास्ति या ब्याज जिसका प्रतिदाय किया गया है बैंक/कोषागार में निक्षिप्त करा दिया गया है।
- (4) कि अब प्रश्नगत राशि के संबंध में कोई प्रतिदाय आदेश पूर्व में मंजूर नहीं किया गया है और प्रतिदाय का यह आदेश निर्धारण प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन निर्धारण की मूल फाइल में प्रविष्ट कर लिया गया है।

मुहर

(डिजीटल हस्ताक्षर)
केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी
वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान”

29. प्ररूप मूपक-25 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-25 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “[नियम 27(1)(ख) और 28(3) देखिए]” के स्थान पर अभिव्यक्ति “[नियम 27(10) और (11) देखिए]” प्रतिस्थापित की जायेगी।

30. प्ररूप मूपक-26 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-26 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “[नियम 28(1)(ङ) और 28(2)(च) देखिए]” के स्थान पर अभिव्यक्ति “[नियम 27(2)(ग) देखिए]” प्रतिस्थापित की जायेगी।

31. प्ररूप मूपक-27 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप मूपक-27

[नियम 30(1) देखिए]

अपील प्राधिकारी को अपील का ज्ञापन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन अपील
..... द्वारा पारित दिनांक के आदेश के विरुद्ध

प्रेषित,

अपील प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग	
---	--

1.1	व्यवहारी का नाम	
1.2	रजिस्ट्रकरण सं. (टिन)	

2. पता

2.1	भवन सं./नाम	
2.2	क्षेत्र/नगर और शहर	
2.3	जिला	
2.4	पिन कोड	
2.5	ई-मेल आई.डी.	

3.	आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, की तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष
4.	धारा, जिसके अधीन आदेश पारित किया गया	
5.	वह कालावधि जिससे विवाद संबंधित है	से तक

6.	अपील में दावाकृत अनुतोष:	
क.	कर, ब्याज और शास्ति को सम्मिलित करते हुए कुल दायित्व	
(i)	प्राधिकारी द्वारा अवधारित	
(ii)	अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत	
(iii)	अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त	

और/या

ख.	अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त	
(i)	विवादग्रस्त पण्यावर्त	
(ii)	विवादग्रस्त पण्यावर्त पर शोध कर	

और/या

ग.	यदि कर की दर विवादग्रस्त है	
(i)	पण्यावर्त	
(ii)	विवादग्रस्त कर की रकम	

और/या

घ.	यदि शास्ति/ब्याज का आदेश विवादग्रस्त है	
(i)	धारा, जिसके अधीन शास्ति/ब्याज विवादग्रस्त है	
(ii)	विवाद में की शास्ति की रकम	
(iii)	विवाद में की ब्याज की रकम	

और/या

7.	अन्य कोई दावाकृत अनुतोष	
8.	क्या स्वीकृत दायित्व संदत्त कर दिया गया है ?	
9.	क्या धारा 82(3) के उपबंधों का अनुपालन किया गया है ?	

10. धारा 82 की उप-धारा (3) के अधीन रकम के ब्यौरे :

रकम	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन./सी.आई.एन.

11.	अपील के आधार	
-----	--------------	--

तारीख :

(डिजिटल हस्ताक्षर)

स्थान :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
हैसियत

सत्यापन

मैं/हम यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गयी सूचना और इसके संलग्नक (यदि कोई हों) मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख :

(डिजिटल हस्ताक्षर)

स्थान :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
हैसियत

32. प्ररूप मूपक-36 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप मूपक-36

[नियम 22 और 37 देखिये]

कमीशन अभिकर्ता द्वारा मालिक को विक्रय आगमों का प्रमाणपत्र

क्रम सं.	
कालावधि:	

क.1. मालिक के ब्यौरे:

1.1	व्यवहारी का नाम	
-----	-----------------	--

1.2	रजिस्ट्रकरण सं. (टिन)	
-----	-----------------------	--

क.2. पता:

2.1	भवन सं./नाम	
2.2	क्षेत्र/नगर और शहर	
2.3	जिला	
2.4	पिन कोड	
2.5	ई-मेल आई.डी.	
2.6	दूरभाष/मोबाइल नंबर	

क.3. प्राप्त, विक्रीत और स्टॉक में बचे हुए माल के ब्यौरे :

तिमाही के दौरान प्राप्त माल को सम्मिलित करते हुए स्टॉक में परेषण पर प्राप्त माल के ब्यौरे				इस तिमाही में विक्रीत माल		इस तिमाही तक विक्रीत माल		अविक्रीत बचा हुआ माल		
प्ररूप मूपक 35		वस्तु	मात्रा	प्राक्कलित मूल्य	पैकेज की सं. /मात्रा	मूल्य	पैकेज की सं. /मात्रा	मूल्य	पैकेज की सं. /मात्रा	प्राक्कलित मूल्य
सं.	दिनांक									

3. अभिकर्ता द्वारा विक्रीत माल का विवरण :

बीजक मूपक		वस्तु	पैकेज या बैग्स की सं./मात्रा	भार	दर	रकम (रु.)	व्यय (रु.)	कर
सं.	दिनांक							

तारीख :

हस्ताक्षर

स्थान :

नाम और हैसियत

33. प्ररूप मूपक-41 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-41 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "[नियम 40(2)(3) और (5) देखिए]" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 40 देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

34. प्ररूप मूपक-59 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-59 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप मूपक-59

[नियम 73 देखिए]

विवादित प्रश्न के अवधारण के लिए आवेदन

प्रेषिति,

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।	
--	--

1.1	व्यवहारी का नाम	
1.2	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	

2. पता

2.1	भवन सं./नाम	
2.2	क्षेत्र/नगर और शहर	
2.3	जिला	

2.4	पिन कोड	
2.5	ई-मेल आई.डी.	

3.1	क्या यह प्रश्न किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान उठा है ?	हाँ	नहीं
3.2	यदि हाँ, विनिर्दिष्ट करें		
4.1	क्या यह प्रश्न धारा 22, 24, 25 और 26 के अधीन किसी कार्यवाही में उठा है ?	हाँ	नहीं
4.2	यदि हाँ, विनिर्दिष्ट करें		
5.1	क्या यह प्रश्न पूर्व में पारित किसी आदेश से उठा है ?	हाँ	नहीं
5.2	यदि हाँ, विनिर्दिष्ट करें		
6.	यह प्रश्न किस से संबंधित है ?		
6.1	कोई व्यक्ति व्यवहारी है;	हाँ	नहीं
6.2	किसी विशिष्ट व्यवहारी को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित है;	हाँ	नहीं
6.3	कोई संव्यवहार विक्रय है, और यदि ऐसा है तो उसकी विक्रय कीमत;	हाँ	नहीं
6.4	कोई कर किसी विशिष्ट विक्रय या क्रय के संबंध में संदेय है या यदि कर संदेय है, तो उसका बिन्दु और दर	हाँ	नहीं
6.5	किसी माल को की गयी कोई बात जो माल के विनिर्माण की कोटि में आता हो या जिसका परिणाम माल का विनिर्माण हो;	हाँ	नहीं
6.6	कोई व्यवहारी, आगत कर मुजरा की विशिष्ट रकम का हकदार है	हाँ	नहीं
7.	क्या प्रश्न संव्यवहार के संबंध में है ?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, तो.-		
7.1	क्या संव्यवहार हो गया है ?	हाँ	नहीं
7.2	यदि हाँ, तो कर कालावधि विनिर्दिष्ट करें जिससे संव्यवहार संबंधित है -	से	तारीख/मास/वर्ष
		तक	तारीख/मास/वर्ष
8.	वह विवादग्रस्त प्रश्न क्या है, जिस पर अवधारण चाहा गया है ? उसे विस्तार से स्पष्ट करें। (अधिकतम 200 शब्द)		
9.	क्या आपने ऐसे ही विवादक(कों) पर अवधारण के लिए पूर्व में आवेदन किया है ?	हाँ	नहीं
10.	यदि हाँ, तो अवधारण के ब्यौरे दें-		

11. फीस के निक्षेप के ब्यौरे :

रकम	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन./सी.आई.एन

तारीख :

स्थान :

(डिजीटल हस्ताक्षर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
हैसियत

सत्यापन

मैं/हम यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना और इसके संलग्नक (यदि कोई हों) मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

तारीख : (डिजीटल हस्ताक्षर)
स्थान : हस्ताक्षरकर्ता का नाम
हैसियत”

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-193]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.258.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 60 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

60.	सभी प्रकार का स्टोन स्लज, स्टोन स्लरी और इससे विनिर्मित मर्दे जिनमें सभी प्रकार के स्टोन स्लज, स्टोन स्लरी एवं फ्लाई ऐश की अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत मात्रा विद्यमान हो किन्तु ईंटों के विनिर्माण की दशा में यह सीमा 25 प्रतिशत या इससे अधिक होगी	”
-----	--	---

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 141 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

142.	सूडोफैकिक इन्ट्रा ऑक्यूलर लैन्स	
143.	मच्छरदानी, बर्ड नेट	
144.	जूट रोप	
145.	कालीजीरी, कलौजी	
146.	सेण्ड स्टोन से निर्मित चौखट	
147.	मार्बल पाउडर, करेजी और चिप्स	
148.	सम्बरानी को सम्मिलित करते हुए हवन सामग्री	”

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-194]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.259.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 67 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“	67.	<p>रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो किसी एयरलाइन को एविएशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करते हैं:-</p> <p>(i) जो राज्य में हब स्थापित करती है; या</p> <p>(ii) जो राज्य में एक स्थान से राज्य में दूसरे स्थान के लिए अनुसूचित या गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है; या</p> <p>(iii) जो जयपुर से भिन्न राज्य के शहरों को अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है।</p>	”
---	-----	---	---

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-195]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.260.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-12 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा ऐसी एयरलाइन को,-

- (i) जो राज्य के भीतर 'हब' स्थापित करती है; या
- (ii) जो राज्य में एक स्थान से राज्य में अन्य स्थान पर अनुसूचित या गैर अनुसूचित उड़ानों का संचालन करती है,

ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर संदेय कर से, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक है, इस शर्त पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि विक्रेता व्यवहारी, क्रय करने वाली एयरलाइन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी, इससे संलग्न प्ररूप में प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और उसे अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण:

1. "हब" को तब ही स्थापित किया गया समझा जायेगा यदि एयरलाइन का राज्य में प्रत्येक रात्रि को न्यूनतम तीन वायुयानों का ठहराव है और इसे दिन प्रतिदिन आधार पर संगणित किया जायेगा।
2. उस एयरलाइन के मामले में जो राज्य में एक स्थान से राज्य में दूसरे स्थान पर अनुसूचित या गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है, ऐसे वायुयानों में भरे गये ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल पर, उनके राज्य के बाहर पश्चात्वर्ती संचलन या गंतव्य को ध्यान में लाये बिना, छूट उपलब्ध होगी।

प्रमाणपत्र

मैं, (नाम), (एयरलाइन का नाम)
का (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैसर्स
..... टिन से वर्ष
को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए रु. की रकम के ऐवियेशन
टरबाईन फ्यूल का क्रय किया गया है और अधिसूचना सं.
दिनांक..... के अनुसार उपयोग किया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.261.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को ऐसी एयरलाइन, जो अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा जयपुर से भिन्न राजस्थान के शहरों को जोड़ती है, को वायुयान में उपयोग के लिए ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर संदेय कर से, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 10 प्रतिशत से अधिक है, इस शर्त पर तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि विक्रेता व्यवहारी, क्रेता एयरलाइन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी, इससे संलग्न प्ररूप में प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और उसे अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

प्रमाणपत्र

मैं,.....(नाम), (एयरलाइन का नाम)
का (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ
कि मैसर्स टिन से वर्ष
को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए रु. की रकम

के ऐविचेशन टरबाईन फ्यूल का क्रय किया गया है और अधिसूचना सं.....
दिनांक..... के अनुसार उपयोग में लिया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-197]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.262.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची 4 में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 34 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 59 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 86 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

86.	चिकित्सीय उपस्कर/डिवाइसेज और सूडोफैकिक इन्ट्रा ऑक्यूलर लेंस को छोड़कर इम्प्लान्ट्स	5	
-----	--	---	--

- (iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 153 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

153.	किराना मर्दे अर्थात् काला नमक, सेंधा नमक, नारियल पाउडर, खाने का गोंद, राई, पोस्तदाना, सभी प्रकार के मगज, केसर और सूखे मेवे	5	
------	--	---	--

- (v) विद्यमान क्रम संख्यांक 155 और उसकी प्रविष्टियों और इसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

155.	हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, हाइड्रोलिक डम्पर, टिप्पर, हैवी लोडर, बैकहो लोडर, व्हील लोडिंग शोवल, व्हील एक्सकेवेटर, ट्रेकड एक्सकेवेटर, कॉम्पेक्टर, मोबाइल क्रेन, रोड रोलर, डोजर, ग्रेडर, स्टिकड स्टीयर को सम्मिलित करते हुए अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी और उनके पुर्जे	5	
------	--	---	--

(vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 157 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

157.	प्राकृतिक रेशे, सूत और प्लास्टिक से निर्मित रोप और रस्सी	5	
------	--	---	--

(vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 171 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

171.	अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचित किये गये माल को छोड़कर सभी प्रकार के और रूपों में मार्बल और ग्रेनाइट	5	
------	---	---	--

(viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 183 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(ix) विद्यमान क्रम संख्यांक 184 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(x) विद्यमान क्रम संख्यांक 196 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(xi) विद्यमान क्रम संख्यांक 209 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

210.	सभी प्रकार के डीजल जनरेटिंग सेट, आल्टरनेटर और उनके पुर्जे	5	
211.	ट्रांसफार्मर्स की कोर असेम्बली	5	
212.	कम्प्रेस्ड गैस या द्रवित गैस के लिये एल्युमिनियम कन्टेनर्स	5	
213.	टॉयलेट पेपर और टॉयलेट टिश्यू पेपर	5	
214.	ऐब्रेसिव पेपर (रिगमाल)	5	
215.	दूध ब्रश को छोड़ते हुए सभी प्रकार के ब्रश	5	
216.	सोया मिल्क	5	
217.	नॉन मैकेनाइज्ड फ्लोर वाइपर्स एवं फ्लोर मोप्स	5	
218.	लाईफ जेकेट्स और लाईफ बैल्ड्स	5	
219.	ट्रांजिस्टर, रेडियो	5	
220.	प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट पोल्स	5	
221.	जल उपचार के लिए मेमब्रेन	5	

(xii) भाग-क - सू.प्रौ. उत्पादों के प्रवर्ग के अधीन माल में,-

(क) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कम्प्यूटर प्रणाली और पैरिफैरल" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी भी नाम से जाना जाने वाला टेबलेट कम्प्यूटर यथा आई-पैड, ई-बुक रीडर, फ़ैबलेट, स्लेट इत्यादि को छोड़ते हुए, कम्प्यूटर प्रणाली और पैरिफैरल" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) क्रम संख्यांक 12 के सामने स्तम्भ 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सेलुलर टेलीफोन" को हटाया जायेगा।

(xiii) भाग-ख - औद्योगिक इनपुट्स के प्रवर्ग के अधीन माल में, विद्यमान क्रम संख्यांक 282 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नयी क्रम संख्यांक 283 और उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

283.	सेक्रीन	5
------	---------	---

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-198]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.263.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 5 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची 5 में,-

- विद्यमान अभिव्यक्ति "14 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल" के स्थान पर अभिव्यक्ति "14.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- स्तम्भ संख्यांक 3 में, जहां कहीं आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "14" के स्थान पर अभिव्यक्ति "14.5" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "तथा कम्प्रेस्ड गैस या द्रवित गैस के लिए बने एल्युमिनियम कण्टेनर्स" को हटाया जायेगा।
- विद्यमान क्रम संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

11.	टूथ ब्रश	14.5
-----	----------	------

- क्रम संख्यांक 14 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में मद संख्यांक (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पोल और" को हटाया जायेगा।
- क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान मद संख्यांक (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(v)	पकाया गया भोजन जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्राईड चिकन, फ्रेंच फ्राईज, सेण्डविच, हॉट डॉग, नूडल्स, पोटेटो चिप्स, बेकरी आईटम्स एवं अन्य पकाया गया भोजन जो पकाये गये भोजन की किसी भी ब्राण्डेड चेन आउटलेट द्वारा ब्राण्ड नेम के अधीन होम डिलीवरी को सम्मिलित करते हुए विक्रीत एवं परोसा गया हो
-----	---

- (vii) क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान मद संख्यांक (xix) और उसकी प्रविष्टियों को हटाया जायेगा।
- (viii) क्रम संख्यांक 18 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में मद संख्यांक (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति “(किसी भी रूप या पैकिंग में ऑयल बेस्ड कपड़े धोने के साबुन को छोड़कर जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से कम हो)” के स्थान पर अभिव्यक्ति “(अनुसूची 4 के क्रम संख्यांक 168 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा वर्णित मदों को छोड़कर)” प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ix) क्रम संख्यांक 18 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान मद संख्यांक (ii) को हटाया जायेगा।
- (x) क्रम संख्यांक 21 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान मद संख्यांक (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ (i) अनुसूची 6 में क्रम संख्यांक 20 में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर विद्युत बल्ब और ट्यूबलाईट, डिस्चार्ज लैम्प या ट्यूब हेतु बेलास्ट और उनके भाग, अन्य तरह की लाईट्स जैसे झाडफानूस, हैंगिंग लाईट, टेबल लैम्प, फाल्स सीलिंग लाईट, कन्सील्ड लाईट, गेट लाईट, गार्डन लाईट, डेकोरेटिव लाईट, हाई मास्ट लाईट, सर्च लाईट, स्पॉट लाईट इत्यादि और उनके भाग ”

- (xi) क्रम संख्यांक 21 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में मद संख्यांक (vii) में विद्यमान अभिव्यक्ति “ट्रांजिस्टर, रेडियो,” को हटाया जायेगा।
- (xii) विद्यमान क्रम संख्यांक 24 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

24.	मैकेनाइज्ड फ्लोर वाइपर और फ्लोर मोप्स	14.5	
-----	---------------------------------------	------	--

- (xiii) विद्यमान क्रम संख्यांक 31 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
- (xiv) विद्यमान क्रम संख्यांक 36 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
- (xv) विद्यमान क्रम संख्यांक 44 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
- (xvi) क्रम संख्यांक 49 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान मद संख्यांक (ix) को हटाया जायेगा।
- (xvii) विद्यमान क्रम संख्यांक 57 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

57.	ट्वाइन, कोर्डेज, रोप्स और केबल को सम्मिलित करते हुए रस्सा और रस्सी, आयरन रोप्स चाहे वह प्लेटेड या ब्रेडेड हो या न हो और चाहे वह इम्प्रिगनेटेड, कॉटेड, कवर्ड या रबड़ या प्लास्टिक के साथ शीथड हो या न हो किन्तु प्राकृतिक रेशे, सूत और प्लास्टिक से निर्मित रोप और रस्सी को छोड़कर	14.5	
-----	---	------	--

- (xviii) विद्यमान क्रम संख्यांक 62 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
 (xix) क्रम संख्यांक 69 के सामने स्तम्भ संख्याक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “सोलर और एलईडी टॉर्च” के स्थान पर अभिव्यक्ति “सोलर टॉर्च” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-199]
 राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
 संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
 (कर अनुभाग)
 अधिसूचना
 जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.264.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 6 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची 6 में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 14 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

14.	अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्यांक 155 में वर्णित उपयोग में लिये हुए अर्थ मूविंग और माइनिंग मशीनरी को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के उपयोग में लिये हुए मोटर यान	2.5	
-----	--	-----	--

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 17 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

18.	सेलुलर फोन, उनके पुर्जे और उपसाधन	8	
19.	किसी भी नाम से जाना जाने वाला टेबलेट कम्प्यूटर यथा आई-पैड, ई-बुक रीडर, फ़ैबलेट, स्लेट इत्यादि	8	
20.	सी एफ एल बल्ब, सी एफ एल ट्यूबलाईट, एल ई डी बल्ब और एल ई डी ट्यूबलाईट	3	
21.	सभी प्रकार और रूपों में कोटा स्टोन	2	

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-200]
 राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
 संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.265.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 17क के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-18 दिनांक 14.07.2014 में इसके द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी में,-

- (i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति “पांच सौ” के स्थान पर अभिव्यक्ति “एक हजार पांच सौ” प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

6	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो सामान्यतः विकासकर्ता/निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और जो संकर्म संविदाकार के रूप में प्लैट्स, वासगृह या भवनों या परिसरों का संनिर्माण करते हैं और करार के अनुसरण में उन्हें माल (चाहे माल या किसी अन्य रूप में) और भूमि या भूमि में अन्तर्निहित हित के साथ अंतरित करते हैं।	<p>विकल्प क: निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, सुसंगत कालावधि में प्राप्त प्रतिफल के प्रत्येक दो लाख या उसके भाग के लिए एक हजार तीन सौ रुपये:</p> <p>(i) व्यवहारी राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए राज्य के भीतर से माल क्रय करेगा।</p> <p>(ii) यदि ऐसा व्यवहारी उपर्युक्त शर्त (i) में यथा उपबंधित रीति से भिन्न किसी रीति में कोई माल उपाप्त या क्रय करता है, तो वह एकमुश्त रकम के अतिरिक्त कर की रकम के बराबर कोई रकम, जो संदेय होती, यदि माल राज्य में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवहारी से क्रय किया जाता, का संदाय करने का दायी होगा।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>विकल्प ख:- सुसंगत कालावधि में प्राप्त प्रतिफल के प्रत्येक दो लाख या उसके भाग के लिए आठ हजार रुपये।</p> <p>टिप्पण:- एकमुश्त में कर का संदाय करने का विकल्प देने वाला व्यवहारी अनुज्ञा के लिए आवेदन में अपना विकल्प प्रस्तुत करेगा।</p>
---	---	--

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-201]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.266.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005-7 दिनांक 13.04.2006 में 1 अप्रैल, 2015 से, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शर्त संख्यांक 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(5) कि छूट राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेण्ट द्वारा क्रय किये गये माल के विक्रय पर ही उपलब्ध होगी।”

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-202]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.267.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-134 दिनांक 09.03.2011 में 1 अप्रैल, 2015 से, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शर्त संख्यांक 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(5) कि छूट राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर क्रय किये गये माल के विक्रय पर ही उपलब्ध होगी।”

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-203]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.268.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-136 दिनांक 09.03.2011 में 1 अप्रैल, 2015 से, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शर्त संख्यांक 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(5) कि छूट राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर क्रय किये गये माल के विक्रय पर ही उपलब्ध होगी।”

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-204]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.269.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 12(84)एफडी/टैक्स/2009-20 दिनांक 08.07.2009 में इसके द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान शर्त संख्यांक 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“2. कि व्यवहारी, हकदारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) को सादा कागज पर एक आवेदन फाइल करेगा और उपायुक्त (प्रशासन) ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, तीन वर्ष के लिए ऐसे व्यवहारी को इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा अनुज्ञात करते हुए हकदारी प्रमाणपत्र जारी करेगा जो एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकरणीय हो सकेगा। यदि आवेदन फाइल करने के 60 दिन

के भीतर हकदारी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है या ऐसे आवेदन की नामंजूरी के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।”

(ii) विद्यमान शर्त संख्यांक 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“6. कि जहां हिताधिकारी व्यवहारी कर के अपवंचन या परिवर्जन में संलिप्त है या राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है या तथ्यों के दुर्ब्यपदेशन या कपट द्वारा किसी रीति में प्रमाणपत्र प्राप्त करता है या जहां प्रमाणपत्र आवेदन की समझी गयी स्वीकृति के अनुसरण में जारी किया गया है तो उपायुक्त (प्रशासन) ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह समुचित समझे, ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उपर्युक्त हकदारी प्रमाणपत्र को निरस्त कर देगा।”

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-205]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.270.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-23, दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, संकर्म संविदाओं के निष्पादन में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को, संकर्म संविदा (संविदाओं) के निष्पादन में अंतर्वलित माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में की संपत्ति के अन्तरण पर उद्ग्रहणीय उनके द्वारा संदेय कर के संदाय से, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, इसके द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से, छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

1. छूट फीस:

ऐसा व्यवहारी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में की संपत्ति के अन्तरण पर संदेय कर के बदले में छूट फीस के संदाय के लिए विकल्प दे सकेगा। ऐसा व्यवहारी इसके अधीन उल्लिखित विकल्पों में से किसी का भी विकल्प दे सकेगा, अर्थात् विकल्प क और विकल्प ख।

विकल्प क: नीचे दी गयी सारणी 1 के स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित संकर्म संविदा के प्रवर्ग के लिए छूट फीस स्तम्भ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने यथावर्णित दर पर होगी:-

सारणी-1

मद सं.	संकर्म संविदा का प्रवर्ग	छूट फीस (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)
1.	संकर्म संविदा, जहां संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल की लागत कुल संविदा रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।	0.10
2.	सड़कों, रनवे, पुलों, बांधों, सीवरेज प्रणाली को छोड़कर नालियों, सुरंगों, नहरों, चैनलों, बैराजों, रेल्वे ट्रेकों, कोजर्वे, सबवे, डाईवर्जन, स्पिल वे, सीमा दिवाल्लो, भवनों और वाटर हारवेस्टिंग प्रणाली के संनिर्माण और मरम्मत से संबंधित संकर्म संविदा।	0.75
3.	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., द्वारा अवार्ड की गयी संकर्म संविदा।	0.75
4.	उपर्युक्त मद सं. 1 से 3 के अन्तर्गत नहीं आने वाली किसी अन्य प्रकार की संकर्म संविदा।	2.00

विकल्प खः नीचे दी गयी सारणी 2 के स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित संकर्म संविदा के प्रवर्ग के लिए छूट फीस स्तम्भ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने यथावर्णित दर पर होगी:-

सारणी-2

मद सं.	संकर्म संविदा का प्रवर्ग	छूट फीस (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)
1.	संकर्म संविदा, जहां संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल की लागत कुल संविदा रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।	0.70
2.	सड़कों, रनवे, पुलों, बांधों, सीवरेज प्रणाली को छोड़कर नालियों, सुरंगों, नहरों, चैनलों, बैराजों, रेल्वे ट्रेकों, कोजर्वे, सबवे, डाईवर्जन, स्पिल वे के संनिर्माण और मरम्मत से संबंधित संकर्म संविदा।	4.00
3.	भवनों, सीमा दिवाल्लो, सीवरेज प्रणाली, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल आपूर्ति संकर्म और वाटर हारवेस्टिंग प्रणाली के संनिर्माण और मरम्मत के संबंध में संकर्म संविदा।	5.00
4.	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., द्वारा अवार्ड की गयी संकर्म संविदा।	3.50
5.	रु0 2500 करोड़ के न्यूनतम विनिधान के साथ राज्य के भीतर उर्वरक का विनिर्माण करने वाले नये उद्यम स्थापित करने या विद्यमान उद्यम के विस्तार से संबंधित संकर्म संविदा।	1.00
6.	उपर्युक्त मद सं. 1 से 5 के अन्तर्गत नहीं आने वाली किसी अन्य प्रकार की संकर्म संविदा।	6.00

2. छूट अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :

- 2.1.1 संकर्म संविदा के निष्पादन में लगा हुआ और कर के बदले में छूट फीस के संदाय के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को संकर्म संविदा के अवाई की तारीख से साठ दिवस के भीतर इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा और ऐसे व्यवहारी या उसके प्ररूप मूपक-02 में यथा घोषित कारबार प्रबन्धक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा। व्यवहारी जिसने नियम में विहित रीति में शासकीय वेबसाइट के प्रयोग के लिए सहमति दी है, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आवेदन के साथ कार्य आदेश और जी-अनुसूची की स्वप्रमाणित और सुपाद्य स्कैन की हुई प्रति संलग्न की जायेगी। यदि संकर्म संविदा ऐसी प्रकृति की है कि सामग्री की लागत कुल संविदा रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है तो अवाई से इस आशय के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित और सुपाद्य स्कैन की हुई प्रति भी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- 2.1.2 जहां व्यवहारी आवेदन के साथ कार्य आदेश और/या जी-अनुसूची और/या, यथास्थिति, अवाई के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां वह, कार्य आदेश और/या जी-अनुसूची और/या, यथास्थिति, अवाई के प्रमाणपत्र की हार्ड प्रतियों के साथ अपने निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्ररूप सं.क.-1 में आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दस दिवस के भीतर, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति स्वयं या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कर उस पर अपने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेगा। ऐसा करने में विफल रहना आवेदन के प्रस्तुत न किये जाने का मामला समझा जायेगा।
- 2.1.3 जहां व्यवहारी प्ररूप सं.क.-1 प्रस्तुत करने के दस दिन के भीतर उपर्युक्त खण्ड 2.1.2 में यथा-उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है वहां वह उपर्युक्त खण्ड 2.1.1 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नये रूप से उसके लिए आवेदन कर सकेगा।
- 2.2.1 निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, छूट प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर करेगा जहां,-
- (क) आवेदक व्यवहारी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 15 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उप-धारा (2क) और/या धारा 7 की उप-धारा (3 क) के अधीन प्रारंभिक या अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग करने वाले किसी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहा है; या
- (ख) आवेदक व्यवहारी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कोई विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- 2.2.2 आवेदन के नामंजूर होने पर, व्यवहारी उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात्, उपर्युक्त खण्ड 2.1.1 में यथा-विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके लिये नया आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

- 2.3 ऊपर खण्ड 2.2.1 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, प्ररूप सं.क.-1 में आवेदन के प्रस्तुत किये जाने के इक्कीस दिवस के भीतर विभाग की शासकीय वेबसाइट में यथा-उपबंधित रीति में इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-2 में छूट प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- 2.4 जहां कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी, एक से अधिक संकर्म संविदा निष्पादित करता है वहां प्रत्येक संकर्म संविदा के लिए प्ररूप सं.क.-1 में पृथक् आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 2.5 जहां किसी अतिरिक्त कार्य के लिए अवार्डर द्वारा ऐसे व्यवहारी को कोई अधिक संदाय किया जाता है या ऐसी संकर्म संविदा, जिसके लिए छूट प्रमाणपत्र पहले से ही जारी किया जा चुका है, के संबंध में संविदा के मूल्य में वृद्धि की जाती है वहां अवार्डर द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्ररूप सं.क.-4 में आवेदन प्रस्तुत करने पर, अवार्डर से ऐसी संसूचना के साठ दिवस के भीतर छूट प्रमाणपत्र को तदनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा और पुनरीक्षित छूट प्रमाणपत्र व्यवहारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जायेगा।

3. विलम्ब का माफ किया जाना :

- 3.1 जहां व्यवहारी खण्ड 2.1.1 में या खण्ड 2.5 में उपबंधित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां उसे, विलम्ब की माफ़ी के लिए इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं. क.-3 में आवेदन के साथ उसमें विलम्ब फीस के संदाय के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए, नीचे उल्लिखित विलम्ब फीस के संदाय पर, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

विलम्ब की कालावधि	विलम्ब फीस की रकम
संकर्म संविदा के प्रदान किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक	एक हजार रुपये
संकर्म संविदा के प्रदान किये जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक	पांच हजार रुपये।

- 3.2 वास्तविक कार्य आदेश में संविदा के पूर्ण होने की नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् या अवार्ड की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पहले हो, इस अधिसूचना के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

4. छूट फीस के निक्षेप की रीति:

व्यवहारी ऐसी दरों पर, जो इस अधिसूचना के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित रीति से छूट फीस का संदाय करेगा:-

- 4.1 जहां अवार्डर सरकार का कोई विभाग, कोई निगम, कोई लोक उपक्रम, कोई सहकारी सोसाइटी, कोई स्थानीय निकाय, कोई कानूनी निकाय, कोई स्वायत्त निकाय, कोई न्यास या कोई प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी हो वहां ऐसे अवार्डर द्वारा ऐसे व्यवहारी को किसी भी रीति से किये जाने वाले संदाय के प्रत्येक बिल में से विकल्प क का विकल्प देने वाले व्यवहारी के लिए सारणी 1 के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा-वर्णित दर और विकल्प ख का विकल्प देने वाले व्यवहारी के लिए

सारणी 2 के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा-वर्णित दर पर संगणित रकम की कटौती की जायेगी और अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधित कर के संदाय के समस्त उपबंध ऐसे व्यवहारी के लिए, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

- 4.2 जहां अवार्डर ऊपर खण्ड 4.1 के अधीन नहीं आता है वहां ऐसे व्यवहारी से, छूट प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से संविदा की कालावधि से अनधिक की कालावधि में समतुल्य मासिक किस्तों में छूट फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जायेगी। यदि ऐसे व्यवहारी ने अवार्डर से संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए कतिपय संदाय पूर्व में ही प्राप्त कर लिये हैं तो वह इस अधिसूचना के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख तक के ब्याज सहित ऐसे संदायों पर सारणी 1 के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा-वर्णित दर पर यदि वह विकल्प क का विकल्प देता है और सारणी 2 के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा-वर्णित दर पर यदि वह विकल्प ख का विकल्प देता है, छूट फीस के संदाय का सबूत संलग्न करेगा।
- 4.3 जहां किसी व्यवहारी ने कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प दिया है, छूट प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के पूर्व अवार्डर से संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए कुछ संदाय प्राप्त किया है वह ऐसे संदायों पर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ अधिसूचित छूट फीस का निक्षेप करेगा यदि कर के बदले रकम की कटौती अवार्डर द्वारा नहीं की गयी है।
- 4.4 छूट प्रमाणपत्र के जारी होने के पूर्व अवार्डर द्वारा व्यवहारी के संदायों के बिल में से कर के बदले में पहले से ही कटौती की गयी रकम को व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली छूट फीस के प्रति समायोजित किया जायेगा।
5. शर्तें :
- 5.1 (क) व्यवहारी, जिसने खण्ड 1 के विकल्प क के अधीन कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प दिया है, संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये राज्य के भीतर राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से कराधेय माल का क्रय करेगा।
- (ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में यथा उपबंधित रीति से भिन्न किसी रीति में किसी माल के उपापन या क्रय करने की दशा में ऐसा व्यवहारी छूट फीस के अतिरिक्त, कर की रकम के समतुल्य रकम, जो संदेय होती यदि राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से माल का क्रय किया जाता, संदाय करने का दायी होगा।
- 5.2 व्यवहारी, जिसने खण्ड 1 के विकल्प ख के अधीन कर के बदले में छूट फीस के संदाय का विकल्प दिया है, राज्य के बाहर से संकर्म संविदा में अंतर्ग्रस्त माल को क्रय करने का हकदार होगा।
- 5.3 व्यवहारी जिसने कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प दिया है संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग में लिये गये माल के संबंध में आगत कर मुजरे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- 5.4 यह कि छूट का प्रमाणपत्र निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किये जाने का दायी होगा.-
- (i) यदि यह पाया जाता है कि वह अधिनियम, नियमों या अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में जारी किया गया है; या

- (ii) व्यवहारी ने उसे प्रदत्त संकर्म संविदा के संबंध में किसी तथ्य को छिपाया है।
- (iii) जहां प्रशमन कालावधि के दौरान, व्यवहारी स्कीम की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या कर के अपवंचन में सहायता या दुष्प्रेरण करता है, निर्धारण प्राधिकारी, सुने जाने का युक्तियुक्त मौका देने के पश्चात् प्रशमन प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा। ऐसी कार्रवाई, दण्ड या अन्यथा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जायेगी, जिसके लिए ऐसा व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और उसके अधीन बनाये गये नियम के उपबंधों के अधीन दायी होगा।
- 5.5 यह कि व्यवहारी द्वारा संगृहीत या प्रभारित कर, यदि कोई हो, राज्य सरकार को जमा कराया जायेगा और इस प्रकार जमा कराये गये कर का प्रतिदाय या छूट फीस के प्रति समायोजन नहीं किया जायेगा।
- 5.6 यदि छूट फीस किसी भी समय संशोधित की जाती है, तो छूट फीस छूट प्रमाणपत्र की मंजूरी या, यथास्थिति, छूट प्रमाणपत्र के पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को संदेय के रूप में संगणित की जायेगी।

6. अन्तःकालीन उपबंध :

- 6.1 जहां अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 और अधिसूचना सं. एफ.12(101)एफडी/टैक्स/2011-59 दिनांक 13.08.2013 और एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-23 दिनांक 14.7.2014 के अधीन छूट प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए, किसी भी व्यवहारी का आवेदन निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर लंबित है, वहां वह इस अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस अधिसूचना के अधीन नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करके छूट फीस के संदाय के लिए बदलाव कर सकेगा।
- 6.2 जहां कोई व्यवहारी इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006, अधिसूचना सं. एफ.12(101)एफडी/टैक्स/2011-59 दिनांक 13.8.2013 और अधिसूचना सं. एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-23 दिनांक 14.07.2014 के अधीन जारी छूट प्रमाणपत्र(त्रों) को धारित करता है और उक्त छूट प्रमाणपत्र(त्रों) के अधीन आने वाली संकर्म संविदा का निष्पादन पूर्णतः या भागतः लंबित है वहां पूर्व में जारी छूट प्रमाणपत्र संकर्म संविदा के पूर्ण होने तक उसी छूट फीस के साथ प्रवृत्त रहेगा जब तक कि पूर्व में रद्द या प्रतिसंहत नहीं कर लिया जाता है।

प्ररूप सं.क.-1

**छूट प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन
(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों के लिए)**

प्रेषिती,
सहायक आयुक्त/
वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त/घट

1. आवेदक का नाम

2. नाम और पता जिसके अधीन आवेदक कारबार करता है
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन)
4. ई-मेल पता:
5. मोबाइल नं.:
6. आवेदक की प्रास्थिति यथा स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/हि.अ.कु. का कर्ता/प्रबंधक/सचिव
7. कालावधि जिसके दौरान संकर्म संविदा निष्पादित की जाये: से तक
8. खण्ड 1 के अधीन छूट फीस का विकल्प : विकल्प क विकल्प ख
9. संकर्म संविदा(ओं) की विशिष्टियां :

क्र. सं.	अवार्डर का ई-मेल के साथ नाम और पता	व्यवहारी का विवरण	संविदा अवार्ड करने की तारीख	संकर्म संविदा का विवरण	संविदा के पूर्ण करने की नियत कालावधि	संविदा का कुल मूल्य	संकर्म के निष्पादन का स्थान	छूट फीस (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)	छूट फीस की रकम (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

मैं/हम, इसके द्वारा वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम राज्य सरकार द्वारा अधिकथित निबन्धनों और शर्तों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों का पालन करूंगा/करेंगे और यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल हो जाता हूँ/जाते हैं, मैं/हम इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार कर संदाय का दायी रहूँगा/रहेंगे। मैं/हम छूट प्रमाणपत्र के पुनरीक्षित किये जाने की दशा में पुनरीक्षित छूट फीस के संदाय का भी वचन देता हूँ/देते हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर
और प्रास्थिति

संलग्नक:

1. कार्य आदेश की स्कैन की हुई प्रति।
2. जी-अनुसूची की स्कैन की हुई प्रति।
3. अवार्डर के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति, यदि लागू हो।
4. विलम्ब फीस के संदाय का सबूत, यदि लागू हो।

मूल/पुनरीक्षित

प्ररूप सं.क.-2

छूट प्रमाणपत्र

(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों के लिए)

1. पहचान सं. दिनांक
2. आवेदक का नाम प्रास्थिति के साथ
3. कारबार का नाम और पता
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन)
5. विकल्प जिसके अधीन आवेदन किया गया है: विकल्प क विकल्प ख
6. संकर्म संविदा और छूट का ब्यौरा :

क्र. सं.	संकर्म संविदा का विवरण और निष्पादन का स्थान	अवार्ड का नाम और पता	संविदा का कुल मूल्य	छूट फीस (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)	छूट फीस की रकम (रु. में)
1	2	3	4	5	6

7. यह प्रमाणपत्र संकर्म संविदा के पूर्ण होने तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इससे पूर्व रद्द या प्रतिसंहत न कर लिया जाये।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पदनाम

दिनांक को व्यवहारी के आवेदन पर पहचान सं. दिनांक द्वारा जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र पुनरीक्षित कर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पदनाम

प्ररूप सं. क.-3
विलम्ब को माफ करने का आवेदन
(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों के लिए)

प्रेषिती,
सहायक आयुक्त/
वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त/घट

1. व्यवहारी का नाम
2. टिन
3. कारबार का मुख्य स्थान
4. संकर्म संविदा के अवार्ड करने की तारीख
5. आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख
6. विलम्ब की कालावधि
7. विलम्ब के कारण
8. विलम्ब फीस के निक्षेप का ब्यौरा

चालान सं.	निक्षेप की तारीख	रकम

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : नाम और प्रास्थिति

प्ररूप सं. क.-4
अवार्ड द्वारा अधिक संदाय किये जाने की दशा में आवेदन
(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों के लिए)

प्रेषिती,
सहायक आयुक्त/
वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त/घट

1. आवेदक का नाम
2. नाम और पता जिसके अधीन आवेदक कारबार करता है.....
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन)

4. ई-मेल पता
5. मोबाइल नं.
6. आवेदक की प्रास्थिति यथा स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/हि.अ.कु. का कर्ता/प्रबन्धक /सचिव
7. पूर्व में प्राप्त सं.क.-2 का ब्यौरा.-

क्र. सं.	सं.क.-2 की पहचान सं.	जारी करने की तारीख	संकर्म संविदा का विवरण और सं.क.-1 के अनुसार संकर्मों के निष्पादन का स्थान	अवार्डर का नाम	सं.क.-1 में दर्शित की गयी संविदा का कुल मूल्य	छूट फीस की रकम (रु.)
1	2	3	4	5	6	7

8. विद्यमान संकर्म संविदा (संविदाओं) में किये गये अधिक संदाय की विशिष्टियां.-

क्र. सं.	अवार्डर का ई-मेल के साथ नाम और पता	संविदा अवार्डर करने की तारीख	सं.क.-1 के अनुसार संकर्म संविदा की राशि	स्तम्भ सं. 4 में वर्णित संकर्म संविदा के चालू रहने के दौरान अवार्डर द्वारा किये गये अधिक संदाय की रकम	संविदा का कुल मूल्य (4+5)	छूट फीस (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत) (अधिसूचना में दी गयी सूची के अनुसार)	छूट फीस की रकम (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कोई भी सारवान तथ्य छिपाया नहीं गया है और पुनरीक्षित छूट फीस का संदाय करने का वचन देता हूँ / देते हैं, यदि कोई हों।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम और प्रास्थिति

संलग्नक:

1. कार्य आदेश की स्कैन की हुई प्रति।
2. जी-अनुसूची की स्कैन की हुई प्रति।
3. अवार्डर के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति, यदि लागू हो।
4. विलम्ब फीस के संदाय का सबूत, यदि लागू हो।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206]

राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.271.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या एफ.12(91)एफडी/टैक्स/2011-71, दिनांक 17.10.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट व्यवहारियों के वर्ग, उसके स्तंभ संख्यांक 3 में प्रत्येक के सामने यथा-विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर कर का संदाय करेंगे, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.सं.	व्यवहारियों के वर्ग	कर संदाय के लिये अन्तराल
1.	2.	3.
1.	चालू वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए चालीस करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक कर दायित्व वाले व्यवहारी।	(i) मास के प्रथम दिन से दसवें दिन तक प्रभारित या संगृहीत कर की रकम, मास के पन्द्रहवें दिन तक निक्षिप्त की जायेगी; (ii) मास के ग्याह्रवें दिन से बीसवें दिन तक प्रभारित या संगृहीत कर की रकम, मास के पच्चीसवें दिन तक निक्षिप्त की जायेगी; और (iii) मास के इक्कीसवें दिन से मास की समाप्ति तक प्रभारित या संगृहीत कर की रकम, ठीक अगले मास के पांचवें दिन तक निक्षिप्त की जायेगी।
2.	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के लिए पचास हजार रुपये और उससे अधिक किन्तु चालीस करोड़ रुपये से कम के वार्षिक कर दायित्व वाले व्यवहारी।	प्रत्येक मास की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर मासिक रूप से।
3.	कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट के सभी प्रकारों में व्यवहार करने वाले व्यवहारी।	जहां ऐसा माल अधिनियम की धारा 76 के अधीन स्थापित जांच चौकी में से होकर गुजरा हो वहां विक्रय या क्रय के संब्यवहार की समाप्ति पर तुरन्त।
4.	व्यवहारी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर तिमाही रूप से।
5.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 4 के अन्तर्गत नहीं आने वाले व्यवहारी।	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर तिमाही रूप से।

यह अधिसूचना 01.04.2015 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-207]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015**

एस.ओ.272.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 40 के उप-नियम (6) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं.एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-81 दिनांक 11.08.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा, 1 अप्रैल, 2015 से, अधिसूचित करती है कि किसी कार्य को करने के लिए संविदाकार के खाते में कोई राशि निक्षिप्त करते समय या किसी रीति से ऐसा संदाय करते समय अवार्डर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर के बदले में, ऐसी राशि के 6 प्रतिशत के समतुल्य रकम, यदि संदाय उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवहारी को किया जाता है और, यथास्थिति, ऐसी राशि के 7 प्रतिशत के समतुल्य रकम, यदि संदाय उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है, की कटौती करेगा:

परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी छूट प्रमाणपत्र रखने वाले संविदाकारों की दशा में अवार्डर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उक्त छूट प्रमाणपत्र में यथा वर्णित छूट फीस की दर के समतुल्य रकम की कर के बदले में कटौती करेगा।

परन्तु यह और कि उन संविदाकारों की दशा में जो अधिसूचना सं. एफ. 12(43)एफ.डी./टैक्स/05-36, दिनांक 24.08.2007 के अधीन संकर्म संविदाओं के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति में के माल के अन्तरण के संबंध में उद्गृहीत कर के संदाय से छूट प्राप्त है, अवार्डर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कर के बदले में किसी रकम की कटौती नहीं की जायेगी।

परन्तु यह भी कि किसी संविदाकार को और ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति में के माल के अन्तरण के अनुसरण में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. या जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा अवार्डर की गयी टर्नकी संकर्म संविदा के मामले में संविदाकार ने अवार्डर को मूपक बीजक के प्रति माल की आपूर्ति कर दी है और ऐसा संविदाकार, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित राज्य में विक्रय के पूर्व बिन्दुओं पर या उसके द्वारा ऐसे माल के संबंध में राज्य खजाने में कर निक्षेप के सबूत प्रस्तुत करता है तो अवार्डर, राज्य में संदत्त कर की रकम कम करके संविदाकार को किये गये संदाय पर उपर्युक्त अधिसूचित दर पर कटौती की जाने वाली रकम के समतुल्य रकम की कटौती करेगा और यदि यह रकम ऋणात्मक मूल्य की है तो कोई कर कटौती नहीं की जायेगी।

परन्तु यह भी कि किसी सरकार के विभाग, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय, स्वशासी निकाय, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, सीमित दायित्व भागीदारी, द्वारा अवार्डर की गयी टर्नकी संकर्म संविदा के मामले में माल की आपूर्ति के लिए पृथक संविदा रखने वाले और ऐसी संविदा के अनुसरण में संविदाकार दावा करता है कि माल का विक्रय राज्य के बाहर से अवार्डर को संविदाकार द्वारा अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में हुआ है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त संविदाकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, ऐसे आवेदन की

प्राप्ति के दस दिन के भीतर यह समाधान होने पर कि विक्रय का संव्यवहार अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में हुआ है, अवार्डर को निदेश देते हुए एक आदेश पारित करेगा कि इस निमित्त किये जाने वाले संदाय से कर के बदले में रकम की कटौती नहीं करे। इस प्रकार जारी आदेश अन्तरिम प्रकृति का होगा और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अधीन कर के बदले रकम की कटौती के लिए ही लागू होगा और उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारण के अध्यक्षीन होगा।

परन्तु यह भी कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड या दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त जयपुर शहर में मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित संकर्म संविदाओं की दशा में, जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड या दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर के बदले में किसी रकम की कटौती नहीं की जायेगी।

परन्तु यह भी कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी-2009 के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह प्रवर्ग के लिए नगरीय क्षेत्रों में 750 रुपये प्रति वर्गफुट तक की अधिकतम विक्रय कीमत वाले मकानों के सन्निर्माण से संबंधित संकर्म संविदा के मामले में, अवार्डर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर के बदले में किसी रकम की कटौती नहीं की जायेगी।

परन्तु यह भी कि मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रा.रा.वि.उ.नि.लि.' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा अवार्ड की गयी संविदा जो 01.04.2012 को या उसके पश्चात् अवार्ड की गयी हो, के मामले में चाहे पृथक संविदा द्वारा ई.पी.सी. टर्नकी संविदा है या नहीं, शक्ति के जनन के संबंध में उपस्करों की आपूर्ति और स्थापित करने, जांच करने और कार्य प्रारंभ करने से संबंधित हो, रा.रा.वि.उ.नि.लि. या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए कर के बदले में किसी रकम की कटौती नहीं की जायेगी:-

- (i) व्यवहारी ने अधिसूचना सं. एफ.12(40)एफडी/टैक्स/2012-55 दिनांक 23.08.2012 के निबंधनों के अनुसार कर के बदले में फीस के संदाय के लिए विकल्प दिया है; और
- (ii) रा.रा.वि.उ.नि.लि. ने इसके द्वारा किये गये संदाय के बिल से 1 प्रतिशत की दर से फीस की रकम कटौती की है।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-208]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.273.-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(18)एफ.डी.टैक्स/

2008-51 दिनांक 26.07.2012 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति “31.03.2015 तक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “31.03.2016 तक” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-209]

राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.274.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 9 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“9. विवरणी.- (1) प्रत्येक व्यवहारी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूपक नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न प्ररूप मूपक-10 और प्ररूप मूपक-10क में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक व्यवहारी, जब तक कि आयुक्त द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जायेगी। तथापि, जहां व्यवहारी ने इन नियमों के नियम 32क के अधीन या मूपक नियम के नियम 79क के अधीन यथाविहित रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शासकीय वेबसाइट के उपयोग के लिए अपनी सहमति दी है, वहां वह डिजिटल हस्ताक्षर के बिना अपनी विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) जहां कर, ब्याज या विलंब फीस की रकम, यदि कोई हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त नहीं की जाती है, वहां व्यवहारी निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, जब ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा मांग की जाये, निक्षेप के सबूत के रूप में ई-चालान की प्रति देगा।

(4) यदि व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो व्यवहारी द्वारा विवरणी प्ररूप मूपक-10 में, ऐसे समय के भीतर जैसा मूपक नियमों के अधीन उपबंधित है, अन्यथा तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

स्पष्टीकरण: तिमाही से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन मास की कालावधि अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक व्यवहारी द्वारा प्ररूप मूपक-10क में विवरणी, मूपक नियमों में उपबंधित समय के भीतर और रीति में प्रस्तुत की जायेगी।

(6) जहां किसी व्यवहारी के एक से अधिक कारबार के स्थान है, वहां वह कारबार के मुख्य स्थान के पण्यावर्त के साथ-साथ कारबार के सभी अन्य स्थानों के पण्यावर्त को विवरणी में सम्मिलित करेगा।

(7) जहां किसी व्यवहारी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्ररूप मूपक-10 या प्ररूप मूपक 10क में किसी भी लोप या गलती का पता चलता है, वहां वह ऐसी विवरणी को पुनरीक्षित कर सकेगा और मूपक नियमों में यथा उपबंधित समय के भीतर और रीति में पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा किंतु व्यवहारी धारा 12 के अधीन किसी नोटिस के जारी किये जाने के पश्चात् विवरणी पुनरीक्षित नहीं कर सकेगा। तथापि, जहां धारा 12 के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है, वहां व्यवहारी उक्त नोटिस में यथा उपबंधित समय के भीतर नोटिस के अनुसरण में पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

(8) उपर्युक्त उप-नियम (1) से (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.04.2015 के पूर्व की कालावधि के लिए विवरणी (विवरणीयां), ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में, जो उस कालावधि के लिए प्रवृत्त था, प्रस्तुत की जा सकेगी।”

3. नियम 9क का अंतःस्थापन.- इस प्रकार प्रतिस्थापित किये गये नियम 9 के पश्चात् और उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 9क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“9क. विलंब फीस.- जहां कोई व्यवहारी विहित समय के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत करता है, वहां वह-

- (i) यदि विवरणी के अधीन कालावधि के दौरान व्यवहारी का कोई पण्यावर्त नहीं है या कोई कराधेय पण्यावर्त नहीं है तो अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यक्षीन बीस रुपये प्रतिदिन की विलम्ब फीस; और
- (ii) अन्य सभी मामलों में, न्यूनतम पचास रुपये प्रतिदिन और अधिकतम पांच सौ रुपये प्रतिदिन के अध्यक्षीन रहते हुए संदेय कर की 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की विलम्ब फीस का संदाय करेगा, तथापि कुल विलंब फीस की रकम अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए उस तिमाही/वर्ष के लिए संदेय कर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

4. नियम 32क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 32 के पश्चात् और विद्यमान नियम 33 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 32क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) 32क. वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट का उपयोग करने की सहमति.- कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी लोग-इन आईडी के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और उसके द्वारा सृजित पासवर्ड का उपयोग करके नामांकरण करने के पश्चात् विभाग की शासकीय वेबसाइट में यथा-उपबंधित रीति में वचनबंध प्रस्तुत करके विवरणियों, आवेदनों के प्रस्तुतीकरण और नोटिसों, संसूचनाओं या सूचनाओं की प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए विभाग से अपने शासकीय व्यवहार के लिए वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देगा। ऐसा व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से ऐसे वचनबंध की प्रति जनित करेगा और इस पर अपने हस्ताक्षर करेगा और सम्यक् रूप

से भरा हुआ और हस्ताक्षरित वचनबंध ऐसे व्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 79क के अधीन यथा उपबंधित रीति में वाणिज्यिक कर विभाग के शासकीय वेबसाइट के उपयोग की सहमति दे देता है, वहां उससे उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन सहमति प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।”

5. प्ररूप ई.टी.एल.ए.-3 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप ई.टी.एल.ए.-3 हटाया जायेगा।

6. प्ररूप ई.टी.एल.ए.-5 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप ई.टी.एल.ए.-5 हटाया जायेगा।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-210]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.275.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32, दिनांक 14.07.2014, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गयी सूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट और किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, उनके उपभोग या उपयोग या विक्रय के लिए लाये गये माल के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर ऐसी दर पर तुरन्त प्रभाव से संदेय होगा जो उक्त सूची के स्तम्भ 3 में उनके सामने विनिर्दिष्ट की गयी हैं, अर्थात्:-

सूची

क्र. सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)
1	2	3
1.	चीनी	0.25
2.	स्टेनलैस स्टील इन्गट्स, बिलेट्स, ब्लूमस, फ्लेट्स और फ्लेट बार	0.5
3.	पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न	2
4.	पेट्रोल, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, लाइट स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल.पी.जी. (जिसमें प्रोपेन, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथलीन, आक्सीलीन सम्मिलित है) ए.टी. एफ. (एवियेशन टर्बाइन फ्यूल), फरनेस ऑयल, हेक्सीन (सोलवेंट ऑयल), नेफ्था, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है), पेट्राफिन वेक्स (क्लोरीनेटेड पेट्राफिन वेक्स को सम्मिलित करते हुए), एल.एस.एच.एस. (लो सल्फर हाई स्टॉक), सी.बी.एफ.एस. (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में	3

	पेट्रोलियम कोक, हैवी एल्केलेट, मिथाइल एसीटेट, रीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9 को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का ईंधन	
5.	विनिर्माण/परिष्करण के लिए तिलहन (तिल को अपवर्जित करते हुए) और परिशोधन हेतु अशोधित/डीगम तेल	3
6.	ए.सी.एस.आर. कंडक्टर्स	4
7.	इलेक्ट्रॉनिक मीटर, फैंक्स मशीन, सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड सहित सभी प्रकार का इलैक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक माल और उनके पुर्जे एवं उपसाधन किन्तु रेडियो ग्रामोफोन, वी.सी.आर., वी. सी.पी., टेप रिकॉर्ड्स, ट्रांजिस्टर सेट और उनके पुर्जे और उनके उपसाधनों को छोड़कर	4
8.	सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे	4
9.	एल्यूमिनियम ढांचे, जी.एस. स्टे सैट्स, स्विच फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित स्टील फेब्रिकेशन मद	4
10.	सभी प्रकार के बिटुमिन	4
11.	कम्प्यूटर और उनके उपसाधन	4
12.	जैनरेंटिंग सैट	4
13.	ग्लास और ग्लास की शीट	4
14.	इन्सुलेटर	4
15.	ल्यूब ऑयल और ग्रीस को सम्मिलित करते हुए लुब्रिकेन्ट्स	4
16.	दुपहिया और तिपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यानों (ट्रैक्टरों से भिन्न) के पुर्जे और उपसाधन	4
17.	फोटोकॉपियर	4
18.	स्टे वायर	4
19.	स्टील ढांचे और थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील बार	4
20.	टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माईक्रोवेव ओवन	4
21.	ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसफार्मर ऑयल	4
22.	दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों, चार पहियों से अधिक के मोटर यानों या जीप ट्रैलर के टायर, ट्यूब और फ्लैप	4
23.	सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और बेवरेजेज	5
24.	हस्त निर्मित कागज को अपवर्जित करते हुए और अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद	5
25.	ऑटोमेटेड टैलर मशीन (ए.टी.एम.)	5
26.	डाई और डाईस्टफ, टैक्सार्इल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक और स्टार्च	5
27.	हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर, हाईड्रोलिक डम्पर, टिपर, हेवी लोडर, बैकहो लोडर, व्हील लोडिंग शोवेल, व्हील एक्सकेवेटर, ट्रेक एक्सकेवेटर, कॉम्पेक्टर, मोबाइल क्रेन, रोड रोलर, डोजर, ग्रेडर, रिकड स्टीयर को सम्मिलित करते हुए अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी एवं उनके पुर्जे	5
28.	एच.डी.पी.ई. बैग, प्लास्टिक बैग और सेक, प्लास्टिक लेमिनेटेड पाउचेज	5
29.	लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (एल.एन.जी.)	5
30.	नॉन-वुवन फेब्रिक्स, प्लास्टिक, पीवीसी लेदर क्लॉथ और सिन्थेटिक लेदर के साथ इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड या लेमिनेटेड	5

	टैक्सटाइल फैब्रिक्स	
31.	ऑप्टिकल फाइबर केबल और पालीएथिलिन इन्सुलेटेड जैली फिल्ड दूरसंचार (पी.आई.जे.एफ.) केबल	5
32.	पीपी/एच.डी.पी.ई. वोवन फैब्रिक्स	5
33.	टिन कन्टेनर्स	5
34.	एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक उपस्कर	5
35.	पुर्जे और उपसाधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र	14
36.	सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स	14
37.	सीमेन्ट	14
38.	सेरेमिक और ग्लेज्ड टाइल्स	14
39.	लिफ्ट और ऐलीवेटर्स	14
40.	वे ब्रिज	14
41.	वातित जल	15
42.	एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर	15
43.	मिनरल वाटर और सीलबंद पात्रों में विक्रीत जल	15
44.	अफीम (चिरे हुए डोडा पोस्त से भिन्न)	50
45.	पान मसाला (जर्दा मिक्स नहीं)	65
46.	तम्बाकू, सिगरेट, चिरुट, सिगार और सिगारीलोस, गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दायुक्त पान मसाला	65

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211]

राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.276.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं.13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 12(59) वित्त/कर/2014-33, दिनांक 14.07.2014, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सूची में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से तुरन्त प्रभाव से इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन उद्ग्रहणीय कर राज्य में संदत्त कर दिया गया है, अर्थात्:-

सूची

क्र. सं.	माल का विवरण
1	2
1.	स्टेनलैस स्टील इन्गट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स, फ्लेट्स और फ्लेट बार
2.	पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न

3.	पेट्रोल, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, लाइट स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल.पी.जी. (जिसमें प्रोपेन, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, आक्सीलीन सम्मिलित है) ए.टी.एफ. (एवियेशन टर्बाइन फ्यूल), फरनेस ऑयल, हेक्सीन (सोलवेंट ऑयल), नेफ्था, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है), पेट्राफिन वेक्स (क्लोरिनेटेड पेट्राफिन वेक्स को सम्मिलित करते हुए), एल.एस.एच.एस. (लो सल्फर हाई स्टॉक), सी.बी.एफ.एस. (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, हैवी एल्केलेट, मिथाइल एसीटेट, रीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9 को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का ईंधन
4.	विनिर्माण/परिष्करण के लिए तिलहन (तिल को अपवर्जित करते हुए) और परिशोधन हेतु अशोधित/डीगम तेल
5.	ए.सी.एस.आर. कंडक्टर्स
6.	इलेक्ट्रॉनिक मीटर, फैक्स मशीन, सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड सहित सभी प्रकार का इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक माल और उनके पुर्जे एवं उपसाधन किन्तु रेडियो ग्रामोफोन, वी.सी.आर., वी.सी.पी., टेप रिकॉर्ड्स, ट्रांजिस्टर सेट और उनके पुर्जे और उनके उपसाधनों को छोड़कर
7.	सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे
8.	एल्यूमिनियम ढांचे, जी.एस. स्टे सैट्स, स्विच फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित स्टील फेब्रिकेशन मद
9.	सभी प्रकार के बिटुमिन
10.	कम्प्यूटर और उनके उपसाधन
11.	जैनरेटिंग सैट
12.	ग्लास और ग्लास की शीट
13.	इन्सुलेटर
14.	ल्यूब ऑयल और ग्रीस को सम्मिलित करते हुए लुब्रिकेण्ट्स
15.	दुपहिया और तिपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यानों (ट्रैक्टरों से भिन्न) के पुर्जे और उपसाधन
16.	फोटोकॉपियर
17.	स्टे वायर
18.	स्टील ढांचे और थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील बार
19.	टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माईक्रोवेव ओवन
20.	ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसफार्मर ऑयल
21.	दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों, चार पहियों से अधिक के मोटर यानों या जीप ट्रेलर के टायर, ट्यूब और प्लैप
22.	सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और बेवरेजेज
23.	हस्त निर्मित कागज को अपवर्जित करते हुए एवं अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद
24.	ऑटोमेटेड टैलर मशीन (ए.टी.एम.)
25.	डाई और डाईस्टफ, टैक्सटाइल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक और स्टार्च
26.	हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर, हाईड्रोलिक डम्पर, टिपर, हेवी लोडर, बैकहो लोडर, व्हील लोडिंग शोवेल, व्हील एक्सकेवेटर, ट्रेक एक्सकेवेटर, कॉम्पैक्टर, मोबाइल क्रेन, रोड रोलर, डोजर, ग्रेडर, स्किड स्टीयर को सम्मिलित करते हुए अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी एवं उनके पुर्जे
27.	एच.डी.पी.ई. बैग, प्लास्टिक बैग और सेक, प्लास्टिक लेमिनेटेड पाउचेज

28.	नॉन-वुवन फ़ैब्रिक्स, प्लास्टिक, पीवीसी लेदर क्लॉथ और सिन्थेटिक लेदर के साथ इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड या लेमिनेटेड टैक्सटाइल फ़ैब्रिक्स
29.	ऑप्टिकल फाइबर केबल और पालीएथिलिन इन्सुलेटेड जैली फिल्ड दूरसंचार (पी.आई.जे.एफ.) केबल
30.	पीपी/एच.डी.पी.ई. वोवन फ़ैब्रिक्स
31.	टिन कन्टेनर्स
32.	एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक उपस्कर
33.	पुर्जे और उपसाधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र
34.	सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स
35.	सीमेन्ट
36.	सेरेमिक और ग्लेज्ड टाइल्स
37.	लिफ्ट और ऐलीवेटर्स
38.	वे ब्रिज
39.	वातित जल
40.	एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर
41.	मिनरल वाटर और सीलबंद पात्रों में विक्रीत जल
42.	अफीम (चिरे हुए डोडा पोस्त से भिन्न)
43.	पान मसाला (जर्दा मिक्स नहीं)
44.	तम्बाकू, सिगरेट, चिरुट, सिगार और सिगारीलोस, गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दायुक्त पान मसाला

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-212]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.277.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-86 दिनांक 30.07.2014 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-213]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.278.-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, और उक्त धारा की उप-धारा (2) के परन्तुक के संदर्भ में आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाए क्योंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो तुरन्त कार्रवाई को आवश्यक बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“6. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.- (1) प्रत्येक होटलवाला राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2006, जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूपक नियम” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न प्ररूप मूपक-10, प्ररूप मूपक-10क और प्ररूप मूपक-11 में उसमें यथा उपबंधित रीति में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2)(क) यदि होटलवाला राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के उपबंधों के अधीन व्यवहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, तो होटलवाले द्वारा प्ररूप मूपक-10 में विवरणी मूपक नियमों के अधीन यथा उपबंधित ऐसे समय के भीतर अन्यथा तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) होटलवाले द्वारा प्ररूप मूपक-10क में विवरणी मूपक नियमों के अधीन यथा उपबंधित समय के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) ऐसे होटलवाले द्वारा विवरणी, जिसने कर के बदले में एकमुश्त संदाय के लिए विकल्प दिया है, ऐसे समय के भीतर जैसा मूपक नियमों के अधीन उपबंधित है, प्ररूप मूपक-11 में प्रस्तुत की जायेगी।

(3) मूपक नियमों में यथा उपबंधित विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी और विलंब फीस को भरने से संबन्धित अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) से (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.04.2015 के पूर्व की कालावधि के लिए विवरणी (विवरणियां), उस रीति से और ऐसे प्ररूप में, जो उस कालावधि के लिए प्रवृत्त था, प्रस्तुत की जा सकेगी।”

3. नियम 9 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“9. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के उपबंधों का लागू किया जाना.- अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन, राजस्थान मूल्य

परिवर्धित कर नियम, 2006 के उपबंध ऐसे समस्त विषयों पर और ऐसे समस्त मामलों पर, जो इस अधिनियम का कार्यान्वयन करते समय उत्पन्न हों, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

4. प्ररूप एलटीएच-3 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप एलटीएच-3 हटाया जायेगा।

5. प्ररूप एलटीएच-3क का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप एलटीएच-3क हटाया जायेगा।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-214]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.279.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 4क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, 1 अप्रैल, 2015 से "मैरिज हाल के लिए प्रशमन स्कीम, 2015", जिसे इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है। स्कीम होटलवालों को एकमुश्त रकम के संदाय करने पर और इसके अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिनियम के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प देने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात्:-

1. प्रारंभ की तारीख.- यह स्कीम 1 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त होगी।

2. लागू होना.- यह स्कीम राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मैरिज हाल के स्वत्वधारी, जिसे इसमें इसके पश्चात् होटलवाले के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पर लागू होगी।

स्पष्टीकरण: 1. होटलवाले, जो सामान्यतः ग्राहकों को कमरे किराये पर देते हैं, इस स्कीम के अधीन पात्र नहीं होंगे।

2. किसी विवाद की दशा में कि क्या कोई होटल मैरिज हाल है या नहीं, यह आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

3. एकमुश्त रकम.- (1) कर के बदले में किसी होटलवाले द्वारा प्रतिवर्ष संदत्त की जाने वाली एकमुश्त रकम, निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित की जायेगी, अर्थात् :-

$$\text{एकमुश्त रकम (रुपये प्रति वर्ष)} = \frac{\text{भूमि की दर (रु./वर्ग मीटर)} \times \text{क्षेत्र (वर्गमीटर)}}{500}$$

स्पष्टीकरण:(1) “भूमि की दर” से राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के अधीन क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए अवधारित दर अभिप्रेत है।

(2) जहां कोई होटलवाला वर्ष के दौरान कर के बदले में एकमुश्त संदाय के लिए विकल्प देता है वहां उसके द्वारा संदेय एकमुश्त रकम, एकमुश्त संदाय के प्रमाणपत्र के अधीन की कालावधि के लिए आनुपातिक रूप में संगणित की जायेगी।

4. एकमुश्त रकम के संदाय की रीति.- (1) एकमुश्त रकम पात्र होटलवाले द्वारा चार तिमाही किश्तों में संदत्त की जायेगी। प्रत्येक तिमाही के लिए किश्त सुसंगत तिमाही के ठीक पश्चात्पूर्वी मास के दसवें दिन तक संदत्त की जायेगी अर्थात् पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए क्रमशः 10 जुलाई, 10 अक्टूबर, 10 जनवरी और 10 अप्रैल तक।

(2) जहां होटलवाला उपर्युक्त खण्ड (1) में यथा विहित समय के भीतर एकमुश्त रकम का निक्षेप करने में विफल रहता है, वहां वह उक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार ऐसी एकमुश्त रकम पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

5. एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) कोई होटलवाला उक्त अधिनियम की धारा 4क के उपबंधों के अनुसार एकमुश्त में कर के संदाय के लिए स्कीम से संलग्न प्ररूप क में निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने के साठ दिन के भीतर या इस अधिसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, इसमें से जो भी बाद में हो, कोई आवेदन प्रस्तुत कर विकल्प दे सकेगा। तथापि, कोई रजिस्ट्रीकृत होटलवाला वर्ष के दौरान किसी भी समय किन्तु किसी तिमाही के प्रारंभ के तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर ऐसे विकल्प का प्रयोग भी कर सकेगा। ऐसे मामलों में, एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र पश्चात्पूर्वी ऐसी तिमाही के प्रारंभ से जारी किया जायेगा, जिसमें उसने अपना विकल्प प्रस्तुत किया है।

(2) स्कीम से संलग्न प्ररूप ‘क’ में आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, स्कीम से संलग्न प्ररूप ‘ख’ में एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक होटलवाला एकमुश्त संदाय के विकल्प से बाहर आने का विकल्प नहीं देता है, या होटलवाले ने कारबार बन्द नहीं कर दिया है, या निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र रद्द नहीं कर दिया गया है।

(3) जहां होटलवाले के पास एक से अधिक मैरिज हाल हैं वहां वह प्रत्येक मैरिज हाल के लिए स्कीम के अधीन विकल्प देने के लिए पृथकतः आवेदन करेगा।

6. शर्तें.- (1) स्कीम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस स्कीम के अधीन कर के बदले में एकमुश्त में संदाय करने का विकल्प देने वाला होटलवाला राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अधधीन होगा।

(2) होटलवाला, ऐसी कालावधि के दौरान, जिसके अधीन एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र प्रवृत्त है, किसी ग्राहक से कोई कर प्रभारित या संगृहीत नहीं करेगा, तथापि, होटलवाले द्वारा स्कीम के लिए विकल्प दिये जाने से पहले प्रभारित या संगृहीत कर तत्काल निक्षिप्त करवाना होगा और पहले से निक्षिप्त कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(3) यदि कोई होटलवाला, वर्ष के दौरान स्कीम से स्वेच्छया हट जाता है, तो उससे वर्ष के लिए संपूर्ण एकमुश्त रकम, यदि पूर्व में संदत्त नहीं की गयी हो, तत्काल निक्षिप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) स्कीम के अधीन एकमुश्त रकम और अन्य कोई उद्ग्रहण, उक्त अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

(5) उस कालावधि के दौरान, जिसके अधीन एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र प्रवृत्त है, होटलवाला स्कीम की शर्तों में से किसी शर्त का अतिक्रमण करता है या कर अपवंचन में सहायता या दुष्प्रेरण करता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा। यह उस कार्रवाई, शास्ति या अन्यथा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसके लिए ऐसा होटलवाला उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन दायी है।

(6) वर्ष के दौरान, जिसमें एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र प्रवृत्त है, मैरिज हाल की भूमि या क्षेत्र की दर में परिवर्तन की दशा में, वह ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करेगा। ऐसे मामलों में, संदेय एकमुश्त रकम निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वर्ष, जिसमें भूमि की दर पुनरीक्षित की गयी है, के उत्तरवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से पुनरीक्षित की जायेगी।

(7) राज्य सरकार स्कीम का किसी भी समय पुनर्विलोकन कर सकेगी और स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों, जैसा भी वह उचित समझे, में संशोधन कर सकेगी। ऐसे संशोधन पर होटलवाला पुनरीक्षित एकमुश्त रकम या अन्य कोई उद्ग्रहण का तदनुसार संदाय कर सकेगा।

(8) राज्य सरकार स्कीम का पुनर्विलोकन कर सकेगी और यह समाधान होने पर कि स्कीम का बना रहना जनहित में नहीं है तो वह तत्काल या उस तारीख से जैसी वह अधिसूचित करे, स्कीम को प्रतिसंहत कर सकेगी।

प्ररूप क

[खण्ड 5(1) देखिए]

एकमुश्त में कर के संदाय की अनुज्ञा के लिए आवेदन
(मैरिज हाल के लिए प्रशमन स्कीम-2015 के अधीन)

प्रेषिति,

निर्धारण प्राधिकारी,

.....

मैं मैरिज हाल के लिए प्रशमन स्कीम-2015 के खण्ड 5(1) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त रकम के संदाय की अनुज्ञा की मंजूरी के लिए मेरा आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ :-

कारबार के ब्यौरे:

1.	रजिस्ट्रीकरण सं.	
2.	आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख:	
3.	आवेदक का नाम:	
4.	होटलवाले का नाम:	
5.	मैरिज हाल का नाम (यदि सं. 3 से भिन्न है) जिसके लिए एकमुश्त में कर के संदाय का विकल्प दिया गया है:	
6.	होटलवाले से संबंधित सूचना	

6.1	पूर्ण पता:	
6.2	पैन नं. :	
6.3	दूरभाष सं. :	
6.4	मोबाइल नं. :	
6.5	ई-मेल आई.डी.	
7.	बैंक खाते के ब्यौरे :	
8.	क्षेत्र का नाम, जहां संपत्ति अवस्थित है।	
9.	भूमि की दर (रु./वर्ग मीटर)	
10.	मैरिज हाल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
11.	प्रतिवर्ष संदेय एकमुश्त रकम	

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है और मैं/हम स्कीम में विनिर्दिष्ट समस्त शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर :
नाम और हैसियत :

प्ररूप ख

[खण्ड 5(2) देखिए]

एकमुश्त में संदाय का प्रमाणपत्र

(मैरिज हाल के लिए प्रशमन स्कीम-2015 के अधीन)

प्रमाणपत्र सं. :

1.	रजिस्ट्रीकरण सं.	
2.	आवेदक का नाम	
3.	होटलवाले का नाम	
4.	मैरिज हाल का नाम (यदि सं. 3 से भिन्न है) जिसके लिए एकमुश्त में कर के संदाय का विकल्प दिया गया है:	
5.	पूर्ण पता:	
6.	क्षेत्र का नाम, जहां संपत्ति अवस्थित है:	
7.	मैरिज हाल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर):	
8.	प्रतिवर्ष संदेय एकमुश्त रकम:	
9.	प्रति तिमाही संदेय एकमुश्त रकम:	

यह प्रमाणपत्र से विधिमान्य है और होटलवाले द्वारा एकमुश्त में कर के संदाय के विकल्प से बाहर आने या व्यवहारी द्वारा कारबार बंद किये जाने या प्रमाणपत्र के रद्द किये जाने, जो भी पहले हो, तक प्रवृत्त रहेगा।

टिप्पण: एकमुश्त रकम स्कीम के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित की जा सकेगी।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर :
नाम और हैसियत :''

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-215]

राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.280.-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 12(11)एफ.डी./टैक्स/2013-114 दिनांक 06.03.2013 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “धर्मशाला, मैरिज गार्डन और सामुदायिक केन्द्रों” के स्थान पर अभिव्यक्ति “धर्मशाला” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-216]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.281.-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, स्थानीय निकाय, राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी सरकारी विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाये जा रहे सामुदायिक केन्द्र में होटलवाले द्वारा उपलब्ध करवाये गये विलासों पर संदेय कर से इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-217]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.282.-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(59)एफ.डी./कर/2014-40 दिनांक 14.

7.2014 और एफ.12(59)एफ.डी./कर/2014-41 दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, नीचे दी गयी सारणी के क्रम संख्यांक 2 में यथा-वर्णित क्षेत्र में स्थित किसी मैरिज हाल से भिन्न किसी होटल में उपलब्ध कराये गये विलासों पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी होटलवाले द्वारा संदेय कर के संदाय से, क्रम संख्यांक 3 में यथा-वर्णित कालावधि के लिए, उक्त सारणी में प्रत्येक के सामने क्रम संख्यांक 4 में यथा-वर्णित सीमा तक, इसके द्वारा 01.4.2015 से छूट प्रदान करती है:-

क्र.सं.	क्षेत्र	कालावधि	छूट की सीमा
1	2	3	4
1.	माउंट आबू का अधिसूचित क्षेत्र	जनवरी, फरवरी और मार्च	100 प्रतिशत
2	माउंट आबू के अधिसूचित क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए राजस्थान का सम्पूर्ण क्षेत्र	मई, जून और जुलाई	100 प्रतिशत

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-218]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.283.-राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 12(14)एफ.डी./टैक्स/2006-143 दिनांक 08.03.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, डीजल जनरेटिंग सेटों से भिन्न कैप्टिव ऊर्जा जनरेटिंग संयंत्रों द्वारा जनित ऊर्जा के संबंध में किसी प्रयोजन के लिये स्वजनित ऊर्जा के उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क की दर 0.40 रूपये प्रति इकाई (किलो वाट प्रति घण्टा) इसके द्वारा नियत करती है।

यह अधिसूचना 16 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(23)वित्त/कर/2015-219]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.284.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य

सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों और नगरपालिकाओं द्वारा निष्पादित आवासीय भूखण्ड या निवास इकाई के पट्टे या विक्रय की लिखत पर एक हजार रुपये से अधिक संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस का निम्नलिखित शर्तों पर परिहार किया जायेगा, अर्थात् :-

- (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दशा में, परिवार की मासिक आय 5000/- रु. से अधिक नहीं है और आवासीय भूखण्ड या निवास इकाई का कारपेट क्षेत्रफल 325 वर्ग फुट से अधिक नहीं है; और
- (ख) निम्न आय समूह की दशा में, परिवार की मासिक आय 5001/- रु. से कम और 10000/- रु. से अधिक नहीं है और आवासीय भूखण्ड या निवास इकाई का कारपेट क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट से अधिक नहीं है।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-220]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.285.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(6)एफडी/टैक्स डिवी./98-183 दिनांक 26.3.1999 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या राजकीय उपक्रमों के पक्ष में, लोक प्रयोजनों के लिए निष्पादित, स्थावर संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-221]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.286.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके

द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या राजकीय उपक्रमों के पक्ष में, लोक प्रयोजनों के लिए निष्पादित, स्थावर संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-222]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.287.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि से घटाकर इसके द्वारा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष करती है।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-223]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.288.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति की दर 2 प्रतिशत प्रतिमास से घटाकर इसके द्वारा 1 प्रतिशत प्रतिमास करती है।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-224]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.289.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना

सं. एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-65 दिनांक 14 जुलाई, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा वे मानदंड विनिर्दिष्ट करती है जिनके आधार पर बहुमंजिला भवन के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	इकाई का विवरण	भूमि के मूल्यांकन की रीति
1.	छत के अधिकार के बिना भू-तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 70 प्रतिशत
2.	छत के अधिकार के बिना प्रथम या द्वितीय तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत
3.	छत के अधिकार के बिना तहखाना (बेसमेण्ट) या तृतीय या उससे ऊपर के तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत
4.	छत के अधिकार के साथ किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 100 प्रतिशत

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-225]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.290.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं, महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों और परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिए भूमि के निम्नलिखित प्रवर्गों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए इसके द्वारा दरें निम्नानुसार अवधारित करती है :-

1. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

- रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी; और
- अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है वहां औद्योगिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

- (ii) उपर्युक्त दरें कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में भी लागू होंगी।
- (iii) पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

2. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

- (i) उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी जहाँ भूमि सहकारी सोसाइटियों/पूर्त संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी है; और
- (ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दोगुना के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है वहां संस्थानिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

- (ii) “संस्था” में शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होंगी।

3. खनन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

खनन प्रयोजनों के लिये क्रय की गयी कृषि भूमि या ऐसी कृषि भूमि, जिसके संबंध में खनन प्रयोजन के लिए भू-स्वामी और पट्टाकर्ता के मध्य सहमति विलेख निष्पादित किया गया है, की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होंगी।

4. रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

- (i) उस भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है या अधिकतम अनुज्ञेय संनिर्मित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी; और
- (ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।

5. मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

- (i) उस भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है या अधिकतम अनुज्ञेय संनिर्मित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी; और
- (ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।

6. कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें

कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

7. फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

- (i) उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी जहां भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तक है;
- (ii) 500 वर्गमीटर या वह भाग जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य और शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होंगी, जहाँ फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2500 वर्गमीटर से कम है; और
- (iii) 500 वर्गमीटर या कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत या वह भाग जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य और शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी, जहाँ फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर या अधिक है और भूमि नगरीय क्षेत्रों (नगरीय बस्तियों की सीमाओं को सम्मिलित करते हुए) में या नगरीय क्षेत्रों की परिधीय सीमाओं में या राष्ट्रीय/राज्य/मेगा हाइवे के एक किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित है।

8. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें

1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र. सं.	क्षेत्रफल	जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों पर आधारित मूल्यांकन निम्नानुसार कम किया जायेगा
1.	1001 से 1500 वर्गमीटर तक	5 प्रतिशत
2.	1501 से 2500 वर्गमीटर तक	1001 से 1500 वर्गमीटर तक 5 प्रतिशत और शेष क्षेत्र पर 10 प्रतिशत
3.	2500 वर्गमीटर से अधिक	1001 से 1500 वर्गमीटर तक 5 प्रतिशत, 1501 से 2500 वर्गमीटर तक 10 प्रतिशत और शेष क्षेत्र पर 15 प्रतिशत

9. कोने के भूखण्डों की दरें

1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कृषि भूमि के भूखण्ड को छोड़कर, कोने के भूखण्डों की दरें 10 प्रतिशत अधिक होंगी।

10. ऐसी भूमि की दरें जिनके लिए मिश्रित भू-उपयोग पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया गया है

रिक्त भूमि के विक्रय या अन्तरण पर, जिसके लिए मिश्रित भू-उपयोग का पट्टा/ पट्टा विलेख विकास प्राधिकरणों या नगर सुधार न्यासों या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया है, ऐसी भूमि की दर उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दर के 75 प्रतिशत के समतुल्य होंगी।

11. विभिन्न भू-उपयोगों के अधीन भूमि की दरें

ऐसी भूमि के विक्रय या अन्तरण पर, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से या उसके बिना, उसके अनुमोदित भू-उपयोग के बजाय किसी अन्य उपयोग में

प्रयुक्त की जा रही है, ऐसी भूमि या उसके भाग के लिए दर उसके वास्तविक उपयोग के प्रवर्ग की दरों के समतुल्य होंगी।

12. किसी विशिष्ट क्षेत्र की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें जहां ऐसी भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है

- (i) आवासीय भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों की तीन गुना होंगी; और
- (ii) वाणिज्यिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों की छह गुना होंगी।

13. 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें

1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

14. रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें,-

- (i) संस्थानिक भूमि की दशा में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी;
- (ii) आवासीय भूमि की दशा में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होंगी; और
- (iii) वाणिज्यिक भूमि की दशा में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

- स्पष्टीकरण: (i) उपर्युक्त दरें कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में भी लागू होंगी।
- (ii) पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.291.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-53 दिनांक 14 जुलाई, 2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

2.	नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत	(i) जहां दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत पर
		(ii) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2005 के मध्य निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर
		(iii) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2010 के मध्य निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर
		(iv) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2010 से 14 जुलाई, 2014 के मध्य निष्पादित हुआ है वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर, या यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 35 प्रतिशत पर

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-227]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.292.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित, अधिसूचना सं.एफ.2(47)एफडी/टैक्स/09-04 दिनांक 09.04.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्ष अनुच्छेद-I के अधीन क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए" हटायी जायेगी।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-228]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.293.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(3)एफडी/गुप-IV/93/1-83 दिनांक 07.03.1994 और अधिसूचना सं. एफ.2(3)एफडी/गुप-IV/93/1-84 दिनांक 07.03.1994 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) के अधीन संपत्ति के कब्जे के बिना निष्पादित बंधक विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया जायेगा और 0.15 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-229]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.294.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(22)एफडी/टैक्स/03-5 दिनांक 20.05.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि ऋण समनुदेशन के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया जायेगा और ऋण की राशि के 0.15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-230]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.295.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(15)एफडी/टैक्स/2014-64 दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित करते हुए

राज्य सरकार सन्निर्मित भाग के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए दरें निम्नलिखित रूप में इसके द्वारा अवधारित करती है :-

क्र.सं.	सन्निर्माण के प्रवर्ग	दरें
1.	आर.सी.सी. छत के साथ सन्निर्माण	रु. 900/- प्रति वर्ग फुट
2.	पट्टी छत के साथ सन्निर्माण	रु. 600/- प्रति वर्ग फुट
3.	उपरोक्त क्रम संख्यांक 1 और 2 से भिन्न सन्निर्माण	रु. 250/- प्रति वर्ग फुट
4.	छत के साथ ढांचा किन्तु प्लास्टर, फर्श, सेनेटरी, विद्युत इत्यादि के बिना	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 और, यथास्थिति, 2 की दरों का 50 प्रतिशत
5.	छत रहित ढांचा	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 की दर का 25 प्रतिशत
6.	प्लीथ लेवल तक सन्निर्माण	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 की दर का 10 प्रतिशत
7.	औद्योगिक शेड	रु. 3000/- प्रति वर्ग मीटर
8.	औद्योगिक शेड से भिन्न शेड	रु. 2000/- प्रति वर्ग मीटर
9.	बाउण्ड्री वाल	रु. 400/- प्रति रनिंग मीटर

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-231]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.296.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में जारी आदेशों और परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा सन्निर्मित भाग के ह्रास की संगणना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड विनिर्दिष्ट करती है :-

क्र.सं.	सन्निर्माण की आयु	ह्रास की दर
1.	10 वर्ष तक पुराना	0
2.	10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक पुराना	20 प्रतिशत
3.	20 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष तक पुराना	30 प्रतिशत
4.	35 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष तक पुराना	40 प्रतिशत
5.	50 वर्ष से अधिक पुराना	50 प्रतिशत

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-232]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.297.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 23 का संशोधन.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 23 के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “एक लाख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पचास हजार” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 58 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 58 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी लिखत की दशा में, ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य निम्नानुसार अवधारित किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दशा में नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों के आधार पर:

परंतु यह कि महानिरीक्षक स्टाम्प, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा अवधारित कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा;

(ख) भूमि के अन्य प्रवर्गों की दशा में, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा अवधारित या राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों के आधार पर;

(ग) सन्निर्मित भाग की दशा में राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों के आधार पर;

(घ) बहुमंजिला भवनों के अधीन आनुपातिक भूमि की दशा में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर;

(ङ) बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय सन्निर्मित भाग पर ह्रास राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार अनुज्ञात किया जायेगा; और

(च) कोने के भू-खण्डों की दशा में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर।”

(ii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिरीक्षक स्टाम्प कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि के बाजार मूल्य के अवधारण के संबंध में, समय-समय पर, जिला स्तरीय समिति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों की सिफारिश करते समय जिला स्तरीय समिति महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेगी:

परन्तु यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें विद्यमान दरों से 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दी जाती हैं तो इस प्रकार सिफारिश की गयी वर्धित दरें महानिरीक्षक स्टाम्प के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही विचार में ली जायेंगी।”

4. नियम 67-क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 67 के पश्चात् और विद्यमान नियम 68 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 67-क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“67-क. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा वादों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया गया पुनरीक्षण, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के अध्यक्ष या एकल पीठ में बैठे किसी सदस्य द्वारा या दो या दो से अधिक सदस्यों से बनी किसी पीठ, जैसा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये, सुना और निस्तारित किया जायेगा। तथापि, जहां विवादित रकम दस लाख रुपये से अधिक है, वहां पुनरीक्षण मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुना और निस्तारित किया जायेगा।”

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-233]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.298.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के लिए बनाये गये राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियमों का अनुमोदन करती है और उसका प्रकाशन करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम (जिल्द-1), 2015 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 186 का संशोधन.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1), जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 186 के उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “सम्मिलित करते हुए” के स्थान पर अभिव्यक्ति “के अतिरिक्त” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. परिशिष्ट 1 के प्ररूप सं. 9 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट 1 के विद्यमान प्ररूप सं. 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट 1 का प्ररूप सं. 9
(धारा 52 और नियम 76 और 131 देखिए)
फीस रसीद

कार्यालय का नाम.....

पक्षकार/कार्यालय प्रति

मुद्रण की दिनांक.....

फीस रसीद सं. :		रसीद दिनांक:	
प्रस्तुतीकरण/आवेदन की दिनांक:		दस्तावेज क्र.सं.:	
आवेदक/प्रस्तुतकर्ता का नाम :		निष्पादक का नाम:	
पता:		दस्तावेज का प्रकार:	
अंकित मूल्य:		मूल्यांकित मूल्य:	
सम्पति के ब्यौरे:			

वसूली गई फीस के ब्यौरे-

रजिस्ट्रीकरण फीस:		अभिरक्षा फीस:	
सी एस आई फीस:		मोहरबंद लिफाफा जमा कराने/प्रत्याहरण/खोलने की फीस:	
धारा 64 से 67 तक के अधीन ज्ञापन की फीस:		निरीक्षण और तलाशी की फीस:	
धारा 57 के अधीन प्रमाणित प्रति की फीस:		प्रकीर्ण फीस:	
धारा 25, 34 के अधीन जुर्माना:		स्टाम्प शुल्क:	
कमीशन/उपस्थिति की फीस:		अधिभार:	
		नकद रकम:	
		नकद से भिन्न रकम:	
		कुल रकम:	

रकम के साथ संदाय की रीतियां

प्रतिलिपि या तलाशी प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुतकर्ता या आवेदक के हस्ताक्षर खजांची के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और प्राप्ति रसीद के लौटाने की दिनांक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर”

4. परिशिष्ट 1 के प्ररूप सं. 14 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट 1 के विद्यमान प्ररूप सं. 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट 1 का प्ररूप सं. 14
(नियम 74 और 131 देखिये)
फीस का रजिस्टर

..... से तक

कार्यालय का नाम.....

क्र. सं.	दस्तावेज क्र. सं.	पुस्तक सं.	दस्तावेज का प्रकार/परिबद्ध प्रकरण/रद्द रसीद	सामान्य रजिस्ट्रीकरण फीस	स्टाम्प शुल्क	कुल योग (5 से 6)	धारा 57 के अधीन प्रतिलिपिकरण फीस	कमीशन /विजिट फीस	अभिरक्षा फीस /शास्ति
				सी एस आई फीस	अधिभार		धारा 25, 34 के अधीन जुर्माना	प्रकीर्ण फीस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			पृष्ठ योग						
			आगे ले जाया गया						

मोहरबंद लिफाफा (वसीयत) फीस	कुल फीस (7 से 11)	स्टाम्प	ई-स्टाम्प	फ्रैंकिंग	ई-ग्रास	मांग देय ड्राफ्ट	नकद	कुल योग (13 से 18)	रसीद सं.	उप-पंजीयक के लघु हस्ताक्षर
निरीक्षण /तलाशी फीस						पे आर्डर				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-234]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.299.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उसी वित्तीय वर्ष में निष्पादित आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्ड के पश्चात्पूर्वी विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की रकम निम्नलिखित शर्तों पर 10 प्रतिशत घटायी जायेगी, अर्थात् :-

1. कि रियायत मात्र उस वित्तीय वर्ष में भूखण्ड के प्रथम विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् निष्पादित पश्चात्पूर्वी विक्रय विलेखों पर अनुज्ञात की जायेगी;
2. कि रियायत मात्र आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों के विक्रय विलेखों पर अनुज्ञात की जायेगी; और
3. कि भूखण्ड प्रथम और पश्चात्पूर्वी विक्रय के दौरान खाली होना चाहिए और भूखण्ड के प्रवर्ग, क्षेत्र या अन्य दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-235]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.300.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि संबंधित प्राइवेट विश्वविद्यालय के अधिनियम के उपबंधों और शिक्षा (यु.-4) विभाग के आदेश सं. एफ.3(14)एजु-4/2006 दिनांक 26.07.2007 द्वारा जारी किये गये “पृथक अधिनियम द्वारा प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों” के अनुसरण में “प्रायोजक निकाय” से “प्राइवेट विश्वविद्यालय” को स्थावर संपत्ति के अंतरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और एक प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-236]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.301.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी युद्ध विधवा द्वारा मकान/फ्लैट के सन्निर्माण या क्रय या विद्यमान मकान/फ्लैट में परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए उधार प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था, बैंक या सहकारी सोसाइटी के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किये जाने पर, परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-237]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.302.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी युद्ध विधवा द्वारा मकान/फ्लैट के सन्निर्माण या क्रय या विद्यमान मकान/फ्लैट में परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए उधार प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था, बैंक या सहकारी सोसाइटी के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किये जाने पर, परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-238]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.303.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(179)परि/कर/मु./95/1 आर दिनांक 14.07.2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. क्रम संख्यांक 1 में, सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 के शीर्ष “(क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया यान” के अधीन मद संख्यांक (1) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति “यान की लागत का 4 प्रतिशत” के स्थान पर अभिव्यक्ति “यान की लागत का 6 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी।
2. सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

6.	शुद्ध ऑफ-हाइवे यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 7.5 प्रतिशत
	(ख) सम्पूर्ण बाँडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का 6 प्रतिशत

3. विद्यमान स्पष्टीकरण (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(3) “शुद्ध ऑफ-हाइवे यान” से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो या तो निर्माण उपस्कर के रूप में प्रयुक्त किया गया है अथवा किसी बंद परिसर, कारखाना अथवा खान में उपयोग हेतु डिजाइन किया हुआ और अनुकूलित हो और अपनी स्वयं की शक्ति के स्रोत से चलने हेतु सज्जित हो।”

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1एस]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.304.-राजस्थान मोटर यान करधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं.11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/कर/मु./95/3एच दिनांक 01.03.2002 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारिणी में, क्रम संख्यांक 1 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति “अधिकतम 12000/- रु. प्रतिवर्ष के अध्यक्षीन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अधिकतम 15000/- रु. प्रतिवर्ष के अध्यक्षीन” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/3एम]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.305.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मिलित करते हुए 30 से अधिक की बैटक क्षमता वाले स्लीपर यान से भिन्न वातानुकूलित यात्री यानों पर उक्त अधिनियम, 1951 की धारा 4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के 50 प्रतिशत छूट इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. यह कि यान राजस्थान राज्य में पर्यटक परिवहन संचालक के नाम से रजिस्ट्रीकृत होगा।
2. यह कि यान का पर्यटक अनुज्ञापत्र मान्यताप्राप्त पर्यटक संचालक के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
3. यह कि पर्यटक परिवहन संचालक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स से मान्यताप्राप्त होगा और परिवहन आयुक्त द्वारा इसी रूप में अनुमोदित होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2015 से प्रवृत्त होगी और 31.03.2018 तक प्रभावी रहेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/5]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.306.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179) परि/टैक्स/एचक्यू/95/2 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि 01.04.2007 को या इसके पश्चात् राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट मोटर यानों के निम्नलिखित प्रवर्गों से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ङ) और धारा 4-ख के अधीन संदेय कर के स्थान पर धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर का अनिवार्य रूप से संदाय करना अपेक्षित होगा:-

1. 3000 किग्रा से अधिक और 7500 किग्रा तक सकल भार वाले चार पहिया माल यानों के समस्त प्रवर्ग।
2. ड्राइवर को छोड़कर छह तक की सीट क्षमता वाले मोटर कैबों के समस्त प्रवर्ग।

3. ड्राइवर को छोड़कर छह से अधिक किन्तु बारह से अनधिक सीट क्षमता वाले मैक्सी कैबों के समस्त प्रवर्ग।

यह 01.04.2015 से प्रवृत्त होगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/3]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.307.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निःशक्तजनों के लिए किट रिट्रोफिटिड/ अनुकूलित और अनन्य रूप से निःशक्तजन के उपयोग में लिए जाने वाले आठ लाख रुपये से अनधिक लागत वाले चार पहिया वाहनों को, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय एकबारीय कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/4]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.308.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

- (i) नष्ट हो चुके यानों पर देय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई संदेय हो तो उसे छूट देती है यदि यान के नष्ट होने की तारीख तक का देय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार दिनांक 30.6.2015 तक निक्षिप्त करा दिये जायें;
- (ii) वे यान जो नष्ट नहीं हुए हैं को 31.3.2012 तक की कालावधि तक के देय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर पर देय शास्ति और ब्याज से छूट देती है यदि 01.4.2012 से वसूली की तारीख तक की शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, तथा समस्त संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर 30.6.2015 या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिये जायें।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-

- (i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।
- (ii) कराधान अधिकारी कर की संगणना करेगा और मांग नोटिस जारी करेगा।
- (iii) नष्ट हो चुके यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जायेगा।
- (iv) पूर्व में संदत्त सरचार्ज, शास्ति या ब्याज को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की रकम, यदि कोई हो, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।
- (v) छूट के संबंध में किसी विवाद के प्रोद्भूत होने की दशा में परिवहन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/6]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

खान विभाग
(ग्रुप-2)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.309.-खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान गौण खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 से संलग्न अनुसूची-I में, क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के नीचे आये विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु मारबल स्लरी/मारबल पाउडर पर कोई रायल्टी संदेय नहीं होगी।”

[प.14(7)खान/ग्रुप-2/2014]
राज्यपाल के आदेश से,

वी.पी. सिंह,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

Jaipur, March 9, 2015

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.12(23)FD/Tax/2015-193 to 219, No.F.4(4)FD/Tax/2015-220 to 238 and F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1S, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3M, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/5, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/4, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/6 and No.F.14(7)Mines/Gr.II/2014 dated March 9, 2015.

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 9, 2015

S.O.257.- In exercise of the powers conferred by section 99 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) The provisions of,-

- (i) rule 4 of these amendment rules shall come into force with effect from 01.04.2015;
- (ii) rule 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 32 of these amendment rules shall come into force with effect from 01.07.2015;
- (iii) rule 10, 14, 17, 31 and 34 of these amendment rules shall come into force with effect from 01.10.2015; and
- (iv) remaining rules of these amendments rules shall come in to force with immediate effect.

2. Amendment of rule 16.- In sub-rule (3) of rule 16 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "shall assess the dealer within thirty days", the expression "shall assess the dealer within one hundred eighty days" shall be substituted.

3. Amendment of rule 19.- In sub-rule (8) of rule 19 of the said rules, for the existing expression "within nine months from the end of the relevant year", the expression "within fifteen days from the last date of submission of annual return" shall be substituted.

4. Substitution of rule 19A.- The existing rule 19A of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"19A. Late fee.- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee per day,-

- (i) rupees twenty subject to a maximum of rupees one thousand, if there is no turnover or no taxable turnover of the dealer during the period under return; and

- (ii) 0.05% of the net tax payable for the period under return, subject to a minimum of rupees 50 per day and a maximum of rupees 500 per day, however, the amount of total late fee shall not exceed 10% of net tax payable for the period under return, subject to a maximum of rupees twenty five thousand, in all other cases.”

5. Amendment of rule 21.-The existing second proviso to sub-rule (1) of rule 21 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“Provided further that for the assessment completed up to September 30, 2014, the dealer may furnish the declaration Forms or certificates up to June 30, 2015.”

6. Amendment of rule 22A.- After the existing clause (b) and before the existing clause (c) of sub-rule (1) of rule 22A of the said rules, the following new clause (bb) shall be inserted, namely:-

“(bb) on which tax has been paid by the sub-contractor;”

7. Substitution of rule 27.- The existing rule 27 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“27. Refund.- (1) An application for refund shall be submitted electronically through the official website of the Department in the manner provided therein, by,-

- (a) a registered dealer or a person to whom the refund is due as a result of an assessment made or in pursuance of an order passed by any competent officer, authority or court, in Form VAT-20;
- (b) a registered dealer who is entitled to claim a refund earlier, as directed by the Commissioner under sub-section (2) of section 17, in Form VAT-20A;
- (c) a registered dealer whose sales are in the course of export out of the territory of India within the meaning of sub-section (1) and (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), in Form VAT-21; and
- (d) a person or an unregistered dealer not covered under clause (a) in Form VAT-22.

(2) An application,-

- (a) in Form VAT-20, shall be submitted after an assessment has been made or an order passed by any competent officer, authority or court, to the assessing authority or the authorised officer;
- (b) in Form VAT-20A, shall be submitted after submission of return in Form VAT-10, to the assessing authority or the authorized officer, along with Form VAT-26 duly digitally signed by the Accountant;
- (c) in Form VAT-21, shall be submitted after submission of return in Form VAT-10, to the assessing authority or the authorized officer, along with Form VAT-26 duly digitally signed by the Accountant. The dealer shall also submit the certified copy of air consignment note/bill of lading/railway receipt or goods vehicle or postal receipt or any other documents in proof of export of goods across the customs frontier of India, and Declaration Form VAT-15 or Form H, as the case may be, in case the sale in course of export are under sub-section (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956; and
- (d) in Form VAT-22, shall be submitted by a person or a dealer not registered under the Act, from whom any amount of tax or any amount in lieu of tax has been collected or deducted which is not

payable by him, to the Assistant Commissioner or Commercial Taxes Officer in whose jurisdiction such person ordinarily resides, and in case of person not residing in the State, such application shall be submitted to the officer authorized by the Commissioner in this behalf, along with legible scanned copy of the contract, in case of contractor.

Explanation: The word "Accountant" shall have the same meaning as mentioned in section 73.

(3) On receipt of such application as mentioned in sub-rule (2) above, the assessing authority or the authorised officer shall verify the fact of deposit of amount and/ or deposit of tax payable by the selling dealer in case of excess credit of input tax in the manner as may be notified by the Commissioner.

(4) After verifying the deposit of amount and/or input tax credit the assessing authority or the authorized officer, if satisfied that the amount is refundable to the dealer or the person, shall, subject to the provisions of sub-section (2) of section 17, section 53 and section 54, pass an order for refund in Form VAT-23,-

- (i) within fifteen days of receipt of completed application in Form VAT-20.
- (ii) within thirty days of receipt of completed application in Form VAT-20A, VAT-21 or VAT-22.

Provided that if an application under section 54 is pending before the Commissioner, the above time limit shall start after a period of 30 days of filing of such application.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, for the year 2013-14 and onwards, where the refund has accrued as a result of an assessment order, the assessing authority or the authorized officer shall *suo motu* pass an order for refund in Form VAT-23, within fifteen days of passing of such assessment order.

(6) The assessing authority or the authorised officer shall submit the digitally signed Form VAT-23 electronically through the official website of the Department to the Deputy Commissioner (Administration) within two working days of passing of such order.

(7) The Deputy Commissioner (Administration) shall digitally sign and electronically forward the Form VAT-23 within seven working days to an officer authorised by the Commissioner as Central Refund Officer. .

(8) Within seven working days of receipt of the Form VAT-23, the Central Refund Officer, on being satisfied, shall digitally sign and forward the Refund order in Form VAT-24 to the concerned treasury officer through IFMS, directing to remit the amount of refund into the bank account of the dealer or person mentioned in the said Form and shall also furnish a hard copy thereof to the concerned treasury.

(9) The concerned treasury officer shall reconcile the amount of refund electronically with the Commercial Taxes Department through TY-34 as provided in the Rajasthan Treasury Rules, 2012.

(10) Where a dealer desires the adjustment of amount of refund against any amount payable by him, the assessing authority or the authorized officer, as the case may be, shall issue a refund adjustment order electronically in Form VAT-25 and forward the copy of the same to the dealer electronically through the official website of the Department, directing him to deduct the amount so refundable from the amount payable by him.

(11) Notwithstanding anything contained in this rule, where a demand is outstanding against a dealer or a person who is entitled to a refund, the assessing authority or the authorized officer shall *suo motu* issue a refund adjustment order electronically in Form VAT-25 for adjusting the refund against such outstanding demand and shall inform the dealer regarding this electronically through the official website of the Department.

(12) No claim of refund shall be rejected without giving the dealer or the person claiming refund, an opportunity of being heard and without recording reasons in writing.”

8. Deletion of rule 28.- The existing rule 28 of the said rules shall be deleted.

9. Deletion of rule 29.-The existing rule 29 of the said rules shall be deleted.

10. Substitution of rule 30.-The existing rule 30 of the said rules, shall be substituted by the following, namely,-

“30. Appeal to the Appellate Authority.- (1) The memorandum of appeal under section 82 shall be submitted electronically through the official website of the Department in Form VAT-27.

(2) Application for condonation of delay, if any, shall be submitted electronically through the official website of the Department in Form VAT-28.

(3) Defect(s), if any, in the memorandum of appeal or otherwise, shall be intimated electronically through the official website of the Department to the appellant and the same shall be removed by him, within thirty days of such intimation. The appellate authority, after recording reasons in writing, may extend the time for removal of such defects.

(4) The appellate authority shall forward electronically copy of the memorandum of appeal entertained in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 82, to the assessing authority or the officer concerned. On receipt of such memorandum of appeal, the assessing authority or officer concerned shall submit his comments electronically through the official website of the Department and also send the relevant record pertaining to the appeal to the appellate authority, within fifteen days of receipt of copy of memorandum of appeal.

(5) The appellate authority shall give notice of the date fixed for hearing to the appellant and to the assessing authority or the officer concerned electronically through the official website of the Department and through Short Messaging Service (SMS) on his pre intimated mobile phone.

(6) Where the appellate authority remands a case to the assessing authority or officer authorised, he shall specify a date for appearance of the appellant before such authority or officer in the order passed by him.”

11. Substitution of rule 37.-The existing rule 37 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“37. Accounts and documents relating to principal and agent.- (1) Where a principal dispatches taxable goods within the State to his commission agent for sale, he shall generate a dispatch note in respect of such goods in Form VAT-35 electronically through the official website of the Department in such manner as provided therein and send a copy thereof to his commission agent along with the goods.

(2) The commission agent shall generate the certificate of sale proceeds of taxable goods sold by him within the State during the quarter on behalf of the principal in Form VAT-36 electronically through the official website of the

Department in such manner as provided therein and forward a copy thereof to his principal.

(3) Where the principal has paid tax on sale proceeds of taxable goods sold by his agent, he shall generate a certificate in respect of deposit of tax in Form VAT-36A electronically through the official website of the Department in such manner as provided therein and forward a copy thereof to his commission agent.

(4) Where the agent claims that he is not liable to pay tax on sales of taxable goods sold by him on behalf of the principal under the Act, he shall furnish information relating to Form VAT-35, VAT-36 and VAT-36A to his assessing authority.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (4) above, the Form VAT-35, VAT-36 and VAT-36A for the period, prior to commencement of rule 11 of the Rajasthan Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2015, may be obtained and submitted in such manner which was in force in that period.

(6) Where the assessing authority is satisfied, that the particulars and contents of the certificate in Forms VAT-35, VAT-36 and VAT-36A are correct, he shall accept the claim of the commission agent.”

12. Substitution of rule 53.-The existing rule 53 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“53. Declaration required to be furnished regarding the goods for import within the State.- (1) Every registered dealer, except those as notified under sub-rule (2) by the Commissioner,-

- (i) who imports from any place outside the State, any taxable goods, as may be notified by the State Government, for sale; or
- (ii) who receives any taxable goods, as may be notified by the State Government, consigned to him from outside the State or by way of branch transfer/depot transfer/stock transfer; or
- (iii) who intends to bring, import or otherwise receives any taxable goods, as may be notified by the State Government, from outside the State for use, consumption, or disposal otherwise than by way of sale, shall furnish or cause to be furnished a declaration in Form VAT-47, completely filled in all respect in ink and ensure that the value, date and month of use of such Form shall be punched at the specified place provided for in the Form. The counterfoil of the declaration Form shall be retained by such dealer and its portions marked as 'Original' and 'Duplicate' shall be carried with the goods in movement. However, such dealer may carry Form VAT-47A generated through official website of the Department, in lieu of Form VAT-47.

Explanation: For the purpose of this rule, 'taxable goods' means all goods, except the goods which are exempted from tax under Schedule-I appended to the Act.

(2) The Commissioner may notify any class of dealers, who shall generate Form VAT-47A or the identification number through the official website of the Department in lieu of Form VAT-47 before the goods enter into the territory of the State. To generate Form VAT-47A, the dealer shall submit the information as required either through the official website of the Department or through a mobile application downloaded through the official website of the Department in such manner as provided therein.

(3) The dealers notified under sub-rule (2) above shall furnish or cause to be furnished a declaration regarding goods mentioned in sub-rule (1) above, in Form VAT-47A. The Form VAT-47A so generated shall be carried with the goods in movement.

(4) Where the dealer has submitted the information required under sub-rule (2) above, the identification number shall also be generated by the official website of the Department and communicated through a system generated SMS on a mobile phone number given by the dealer. This SMS, in the mobile number given by the dealer, may also be carried with the goods in movement in lieu of Form VAT-47A. In such case identification number so generated by the official website of the Department, shall also be depicted in ink on the GR/ Bilty and Invoice/ bill of sale/ Dispatch memo being carried with the goods in movement.

(5) Where goods covered under single invoice are being carried in more than one vehicle, separate VAT-47A or Identification number shall be generated for each vehicle and separate Form VAT-47 or Form VAT-47A or Identification number as mentioned in sub-rule (4) shall be carried with each of such vehicles along with photo copy of the original invoice and challan of the goods being carried in the vehicle.

(6) The owner or person duly authorised by such owner or the driver or the person in-charge of the vehicle or carrier or of goods in movement, shall carry with him the documents specified in clause (b) of sub-section (2) of section 76, including Form VAT-47 or Form VAT-47A or Identification number as mentioned in sub-rule (4), as the case may be. He shall produce the same *suo motu* before the assessing authority or the officer authorised under sub-section (4) of section 76 at the time of inspection. In case of form VAT-47, assessing authority or the officer so authorised shall retain the original portion and return the duplicate portion, after putting his signature and official seal on it, to the person producing it. Such officer shall send the retained original portion of the declaration form to the assessing authority or the authorized officer.

(7) If the declaration Form referred to in sub-rule (1) in respect of the goods in movement has already been submitted to the assessing authority or the officer authorized under sub-section (4) of section 76, the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person in-charge of the vehicle or carrier of the goods shall, on inspection by an officer authorized under sub-section (4) of section 76, at any subsequent place, produce the countersigned copy of the aforesaid declaration along with other documents specified in clause (b) of sub-section (2) of section 76.

(8) If the goods are brought into the State from any place outside the State through Railways, Airways, Dry port or by any other mode,-

- (a) all documents specified in clause (b) of sub-section (2) of section 76 including Form VAT-47 or Form VAT-47A or Identification number as mentioned in sub-rule (4), as the case may be, shall be accompanied with the goods in movement.
- (b) the Railways, Airways, Dry port authorities while booking goods for any destination in Rajasthan from a place outside the State, shall ensure that the goods in movement shall be accompanied by documents including Form VAT-47 or Form VAT-47A or Identification number as mentioned in sub-rule (4), as the case may be, prescribed under these rules.

- (c) the assessing authority or the officer authorized under sub-section (4) of section 76 shall have the powers to inspect and check the goods in movement and the documents thereof, he may also seize the goods suspected of tax evasion by providing copy of the seizure memo to the concerned Railways, Airways, or Dry port officials and may also remove the goods so seized from the Railway, Airport or Dry port premises or from such other places where such goods are kept.
- (d) Railway/ Airways/ Dry port authorities shall keep record of consignee and the person taking delivery of the goods including the proof of identification and complete address thereof, at the time of delivering the goods. The assessing authority or the officer authorized under sub-section (4) of section 76, shall have power to collect details of consignments/ consignor/ consignee from Railways, Airways or Dry port authorities from their records.
- (e) Railways/ Airways/ Dry ports shall be treated as a transporting agency for the purposes of provisions of inspection of goods while in movement contained in the Act, and shall be subjected to all the provisions contained in the Act and the Rules including penal action against them.

(9) The registered dealer who has obtained and used Form VAT-47, shall submit a statement of import of goods in Form VAT-48 along with the duplicate portion of Form VAT-47 within 30 days of end of quarter to the assessing authority or authorised officer. In case the original portion of the Form VAT-47 has not been retained by any officer mentioned in sub-rule (4), it shall also be furnished along with the duplicate portion of Form VAT-47 to the assessing authority or to the authorized officer within 30 days of end of quarter.

Explanation: Quarter means the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March.

(10) Where a registered dealer fails to furnish statement as mentioned in sub-rule (9) the assessing authority or the authorized officer, after affording a reasonable opportunity of being heard, may impose penalty under section 64.

- (11)(a) Blank declaration Forms VAT-47 shall be obtained from the assessing authority or officer authorised by the Commissioner on payment in Government Treasury, authorised bank or the office of the assessing authority/authorised officer, a sum of rupees fifty for each book containing twenty five declaration forms.
- (b) For obtaining declaration forms referred to in clause (a), the registered dealer shall apply in Form VAT-16A to the assessing authority or officer authorised by the Commissioner stating his requirement of such forms. Where the Form VAT-16A is complete in all respect with requisite enclosures, the assessing authority or the authorised officer shall issue sufficient number of forms subject to maximum limit fixed by the assessing authority, from time to time.
- (c) All declaration forms issued under clause (b) shall be authenticated by the assessing authority or the authorised officer with his seal and date of issue. The name of the dealer and registration number (TIN) shall be stamped at the appropriate place while issuing the said forms to the

dealer. Such forms shall remain valid for two years from the date of issue.

- (d) Every registered dealer shall keep the declaration forms received by him in safe custody and shall be personally responsible for the loss of Government revenue, if any, directly or indirectly from any theft, loss or destruction thereof. If any such form is stolen, lost or destroyed, the dealer shall immediately report the fact to his assessing authority and shall issue public notice of theft, loss or destruction, and take such further action as directed by the assessing authority.
- (e) The dealer who reports theft, loss or destruction of any blank or duly completed form shall be required to furnish security by way of an indemnity bond in Form VAT-65 against any possible misuse of the form, as prescribed in sub-rule (8) of rule 21, of such amount and within such period as may be required by the assessing authority.
- (f) Any unused declaration form or forms remaining in stock with a registered dealer on the permanent discontinuance or closure of his business shall be surrendered by him to his assessing authority within a period of 30 days from the date of such discontinuance or closure.
- (g) The Commissioner may, by notification in the Official Gazette, declare that forms of a particular number, a particular series, design or colour shall be deemed obsolete and/or invalid for use with effect from such date as may be specified in the notification.”

13. Substitution of rule 54.- The existing rule 54 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“54. Declaration required to be carried with the goods in movement for export out of Rajasthan or in the course of inter-State trade or commerce.- (1) Every registered dealer except those as notified under sub-rule (2) by the Commissioner, who dispatches any taxable goods to a place outside the State,-

- (i) for sale outside the State or by way of branch transfers/depot transfers/stock transfers, except the goods as may be notified by the State Government; or
- (ii) in the course of inter-State trade or commerce, as may be notified by the State Government; or
- (iii) in the course of export as defined in sub-section (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 as may be notified by the State Government,

shall furnish or cause to be furnished declaration in Form VAT-49 completely filled in all respect in ink and ensure that the value, date and month of use of such Form shall be punched at the specified place provided for in the Form. The counterfoil of the declaration shall be retained by such dealer and its portions marked as 'Original' and 'Duplicate' shall be carried with the goods in movement. However, such dealer may carry Form VAT-49A generated through official website of the Department in lieu of Form VAT-49.

Explanation: For the purpose of this rule, 'taxable goods' means all goods, except the goods which are exempted from tax under Schedule-I appended to the Act.

(2) The Commissioner may notify any class of dealers, who shall generate Form VAT-49A or the identification number through the official website of the Department in lieu of Form VAT-49, before the goods are dispatched to a place

outside the State. To generate Form VAT-49A, the dealer shall submit the information as required either through the official website of the Department or through a mobile application downloaded through the official website of the Department in such manner as provided therein.

(3) The dealers as notified by the Commissioner under sub-rule (2) above shall furnish or cause to be furnished a declaration regarding goods mentioned in sub-rule (1) above, in Form VAT-49A. The Form VAT-49A so generated shall be carried with the goods in movement.

(4) Where the dealer has submitted the information required under sub-rule (2) above, the Identification number shall also be generated by the official website of the Department and communicated through a system generated SMS on a mobile phone number given by dealer. This SMS in the mobile number given by the dealer may also be carried with the goods in movement in lieu of Form VAT-49A. In such case Identification number so generated by the official website of the Department, shall also be depicted in ink on the GR/ Bilty and invoice/ bill of sale/ Dispatch memo being carried with the goods in movement.

(5) Where goods covered under single invoice are being carried in more than one vehicles, separate Form VAT-49/ VAT-49A / Identification number shall be generated for each vehicle, and separate form VAT-49 or Form VAT-49A or Identification number as mentioned in sub-rule (4) shall be carried with each of such vehicles along with photo copy of the original invoice and challan of the goods being carried in the vehicle.

(6) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person in-charge of the vehicle or carrier or of goods in movement, shall carry with him the documents specified in clause (b) of sub-section (2) of section 76, including Form VAT-49 or Form VAT-49A or Identification number as mentioned in sub-rule (4), as the case may be. He shall produce the same *suo motu* before the assessing authority or the officer authorised under sub-section (4) of section 76 at the time of inspection. In case of Form VAT-49, assessing authority or the officer so authorised shall retain the original portion and return the duplicate portion after putting his signature and official seal on it, to the person producing it. Such officer shall send the retained original portion of the declaration form to the assessing authority or the authorized officer.

(7) If the declaration Form referred to in sub-rule (1) above, in respect of the goods in movement has already been submitted to the assessing authority or the officer authorized under sub-section (4) of section 76, the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person in-charge of the vehicle or carrier or of the goods shall, on inspection by the officer authorized under sub-section (4) of section 76, at any subsequent place, produce the countersigned copy of the aforesaid declaration Form along with other documents specified in clause (b) of sub-section (2) of section 76.

(8) If the goods are dispatched to any place outside the State through Railways, Airways, Dry ports or by any other mode,-

- (a) all documents specified in clause (b) of sub-section (2) of section 76 including Form VAT-49 or Form VAT-49A or Identification number as mentioned in sub-rule (4) above, as the case may be, shall be accompanied with the goods in movement.
- (b) while booking goods from any place in the State to a place outside the State, Railways, Airways, Dry port authorities shall ensure that the goods in movement shall be accompanied by documents

including Form VAT-49 or Form VAT-49A or Identification number as mentioned in sub-rule (4) above, as the case may be, prescribed under the rules.

- (c) the assessing authority or the officer authorized under sub-section (4) of section 76 shall have the powers to inspect and check the goods in movement and the documents thereof, he may also seize the goods suspected of tax evasion by providing copy of the seizure memo to the concerned Railways, Airways or Dry port officials and may also remove the goods so seized from the Railway, Airport or Dry port premises or from such other places where such goods are kept.
- (d) Railways/Airways/Dry port authorities shall keep record of consignor and of the person booking the goods including their proof of identification and complete address, at the time of booking. The assessing authority or the officer authorized under sub-section (4) of section 76, shall have power to collect details of consignments/ consignor/consignee from Railways, Airways or Dry port authorities.
- (e) Railways/Airways/Dry ports shall be treated as a transporting agency for the purposes of provisions of inspection of goods while in movement contained in the Act, and shall be subjected to all the provisions contained in the Act and the Rules including penal action against them.

(9) The registered dealer who has obtained and used Form VAT-49, shall submit a statement of goods sent outside the State in Form VAT-50 along with the duplicate portion of Form VAT-49 within thirty days of end of quarter to the assessing authority or to the authorized officer. In case such duplicate portion of Form VAT-49 is not received back by the dealer, an account of use of such form duly supported by an affidavit of the consignor shall be submitted to his assessing authority or to the authorized officer.

Explanation: Quarter means the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March.

(10) Where a registered dealer fails to furnish the statement as mentioned in sub-rule (9) above, the assessing authority or the authorized officer after affording a reasonable opportunity of being heard, may impose penalty under section 64.

(11) The provisions of sub-rule (11) of rule 53 shall, in so far as may be, mutatis mutandis, apply to the declaration Form VAT-49.”

14. Substitution of rule 73.- The existing rule 73 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“73. Application for determination of disputed question.- An application for determination of disputed question under sub-section (1) of section 36 shall be submitted electronically through the official website of the Department in Form VAT-59. The dealer or person submitting the application under this rule shall deposit a sum of rupees one hundred before submitting the application.”

15. Insertion of rule 76 A.- After the existing rule 76 and before the existing rule 77 of the said rules, the following new rule 76A shall be inserted, namely:-

“76A. Power to grant certificate of settlement.- (1) Where an order has been passed prior to 05.10.2014 by the Tax Settlement Board which was constituted under the Act, but the certificate of settlement has not been issued by the then Tax

Settlement Board, in such cases, the applicant shall submit an application for issuance of certificate of settlement to the Commissioner, Commercial Taxes along with,-

- (i) the proof of deposit of amount as determined by the then Tax Settlement Board in lieu of arrears of Tax, Penalty, and Interest; and
 - (ii) the copy of order of withdrawal of the case, if any.
- (2)(a) Where the applicant has failed to deposit the amount within such period as ordered by the then Tax Settlement Board, he may submit an application to the Commissioner for,-
- (i) extension of time period, for deposit of amount as ordered by the then Tax Settlement Board; or
 - (ii) condonation of delay in deposit of the amount ordered by the then Tax Settlement board, in case said amount has already been deposited.
- (b) The Commissioner on being satisfied that the reasonable ground exists for doing so, may by an order in writing extend the time period for deposit of said amount or condone the delay on such conditions as he deems fit.

(3) Where an application is submitted under sub-rule (1) above, the Commissioner, on being satisfied that the applicant has submitted the copy of order of withdrawal of case, if any, and has deposited the amount within such time as ordered by the then Tax Settlement Board or within such time as extended by the Commissioner or where delay in depositing the amount has been condoned by the Commissioner and conditions of order of extension of time period or condonation of delay has been fulfilled, shall issue the certificate of settlement to the applicant, which shall be binding on all the parties to the dispute.”

16. Insertion of rule 79B.- After the existing rule 79A and before the existing rule 80 of the said rules, the following new rule 79B shall be inserted, namely:-

“79B. Provisions regarding e-governance.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Commissioner may notify the date from which any return, application, communication or intimation shall be submitted by the dealer or person electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, in the manner as provided therein. Different dates may be notified by the Commissioner for different purposes.

(2) To facilitate e-governance, the Commissioner may change the procedure given in these rules to such extent that is inconsistent or incompatible with electronic forms of communication and payment and such change shall not invalidate any action for the mere reason that it is repugnant to the procedural provisions of these rules.”

17. Amendment of rule 80.- In the table given in rule 80 of the said rules,-

- (i) the existing item number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“

1.	(a) Memorandum of appeal under section 83	One hundred rupees
	(b) Application of revision under section 84	One hundred fifty rupees

”

- (ii) the existing item number 8 and entries thereto shall be deleted.

18. Amendment of Form VAT 10.- In Form VAT 10 appended to the said rules, after the existing item number “E. Tax Payable” and entries thereto, the following new items and entries thereto shall be added, namely:-

“F. Cess

F.1.1 Road Development Cess on MS and HSD

S. No.	Commodity A	Quantity B	Rate of Cess C	Amount of Cess D
1.				
2.				

F 2. Detail of Cess due and deposit of Cess, Interest and Late fee.

Period	Cess due	Due date	Cess Deposited	Date of deposit	Interest	Date of deposit of Interest	Late fee	Date of deposit of late fee	GRN/ CIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

G. Entry Tax.

G 1. Particulars

S. No.	Commodity A	Taxable purchase value of the goods B	Rate of Tax C	Amount of Tax D
1.				
2.				

G 2. Detail of Tax due and deposit of Tax, Interest and late fee.

Period	Tax due	Due date	Tax Deposited	Date of deposit	Interest	Date of deposit of Interest	Late fee	Date of deposit of late fee	GRN/ CIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

H. Luxury Tax

H 1. Category of Hotels and Receipts thereof:

S. No.	Name of Hotel	Category of Hotel	Name of Month	Receipts during the month	Rate of Tax	Amount of Tax
		A		B		
1.						
2.						

H 2. Amount of Tax collected: Rs.

H 3. Details of Tax due and deposit of Tax, Interest and late fee.

Period	Tax due	Due date	Tax Deposited	Date of deposit	Interest	Date of deposit of Interest	Late fee	Date of deposit of late fee	GRN/ CIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

19. Amendment of Form VAT-10A.- In Form VAT 10A appended to the said rules, after the existing Part D and entries thereto and before the existing expression "DECLARATION", the following new Part E and Part F and entries thereto shall be inserted, namely:-

"Part E

7. Statement of goods taxable under the Rajasthan Tax on the Entry of the Goods in to Local Areas Act, 1999 (to be filled by the dealer registered under the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act):

7.1 Goods brought from outside the State:

S. No.	Name of the commodity	Quantity	Taxable purchase value of the goods	Rate of Tax

7.2 Goods brought from outside the State and returned to the supplier or sent outside the State otherwise than by way of sale.

S. No.	Name of the commodity	Quantity	Taxable purchase value of the goods	Nature of transaction

Part F

8. Details regarding hotel business (to be filled by the hoteliers registered under the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990:

S. No.	Name of Hotel	category	Total receipts during the year	Total Number of let-able rooms*	Number of rooms occupied during the year	% of Occupancy (5X6/100)	Weather exempted under any RIPS	
							Entitlement Certificate	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Total number of let-able rooms = number of let-able rooms X number of days."

20. Amendment of Form VAT-11.- In Form VAT-11 appended to the said rules,-

- (i) after the existing sub-item "1.1 Turnover under section 8(3) [works contract EC]" and table thereto, and before the existing sub-item "1.2 Turnover under section 5(1) of RVAT Act (composition schemes)" of item B. Turnover, the following new sub-item 1.1.A and table thereto shall be inserted, namely:-

"1.1.A. Detail of purchases (to be filled in case of works contract).

1.1.A.1 Particulars of purchases made within the state against VAT Invoice

S. No.	TIN	Name of the selling dealer	Amount of purchases made during the period	Amount of Tax paid or payable on such purchases

1.1.A.2 Particulars of purchases made within the state on which tax has not been paid under the Act

S. No.	Commodity	Name of the dealer/person from whom goods have been purchased	Amount of purchases made during the period	Rate of Tax	Amount of Tax that would have been payable on such purchases had the goods been purchased against VAT Invoice

1.1.A.3 Particulars of purchases made from outside the State.

S. No.	Commodity	Name of the dealer/person from whom goods have been purchased	Amount of purchases made during the period	Rate of Tax	Amount of Tax that would have been payable on such purchases had the goods purchased against VAT Invoice

- (ii) after the existing sub-item "1.1 Trading Account of the return period" and table thereto, and before the existing sub-item "1.2 Account of statutory forms obtained from the Department" of item D. Other Information, the following new sub-items and tables thereto shall be inserted, namely:-

"1.1.A. Detail of purchases (to be filled by the hotelier who has opted to pay lump sum for marriage hall under the Rajasthan Tax on Luxuries (in hotels and lodging houses) Act, 1990)

Name of Marriage Hall	Name of area in which marriage hall is situated	Area of Land	Rate of Land	Annual lump sum amount payable
1	2	3	4	5

1.1.B Details of due and deposit of Lump sum amount, Interest and late fee.

Period	Due Lump sum amount	Due date	Lump sum amount Deposited	Date of deposit	Interest	Date of deposit of Interest	Late fee	Date of deposit of late fee	GRN/ CIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21. Amendment of Form VAT-20.- In Form 20 appended to the said rules, for the existing expression "[See Rule 27(1)(a)]", the expression "[See Rule 27(1)(a) and (2)(a)]" shall be substituted."

22. Insertion of Form VAT-20A.- After the existing Form VAT-20 and before the existing Form VAT-21 appended to the said rules, the following new Form VAT-20A shall be inserted, namely:-

“VAT-20A
[See Rule 27(1)(b)]

APPLICATION FOR CLAIM OF EARLY REFUND U/S 17(2) OF THE
RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

For the quarter from..... to.....

To

AC/CTO/ACTO	TIN.
Circle/Ward	

1.	Name of Dealer	
2.	Address	
3.	Total amount of output tax as per Form VAT-10 of the Quarter	
4.	Total tax payable as per CST Act for the Quarter	
5.	Total amount of Reverse tax	
6.	Total Purchase tax u/s 4(2)	
7.	Total tax liability (3+4+5+6)	
8.	Total Input tax credit available as per VAT-10 of the quarter	
9.	Total refundable amount (8-7)	
10.	Tax liability relating to Declaration forms or other demands not submitted with the return(s)	
11.	Amount of refund (9-10)	
12.	Any other amount due under the Act or the repealed Act or CST Act, 1956	
13.	Net refundable Amount (11-12)	

Place
Date

Signature
Name and status

Declaration

I/ we..... Proprietor/Partner/director/Karta/Business Manager of M/s.....declare that the facts stated above are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed. It is further certified that for the above referred quarter no other application for early refund has been filed.

Place
Date

Signature
Name and Status”

23. Amendment of Form VAT-21.- In Form VAT-21 appended to the said rules, for the existing expression “[See Rule 28(1) and (2)]”, the expression “[See Rule 27(1)(c) and (2)(c)]” shall be substituted.

24. Substitution of Form VAT-22.- The existing Form VAT-22 appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“Form VAT – 22

[See Rule 27(1)(d) and 27(2)(d)]

Application for refund by a person or an unregistered dealer

To,

AC/CTO/ACTO	Ward Circle Zone
-------------	------------------------

1.	Name of Person/Dealer	
----	-----------------------	--

2. Address

2.1	Building No./ name	
2.2	Area/ Town and City	
2.3	District	
2.4	PIN code	
2.5	E-mail ID	
2.6	Telephone/ Mobile number	

3. Details of Bank

3.1	Name of the Bank in which refund is sought	
3.2	Name of the Branch	
3.3	Account Number	
3.4	Account Type	
3.5	IFSC No. of the Branch	

4. Amount of refund claimed and reason(s) thereof:

a.	Particulars:-	
(i)	Amount of refund	
(ii)	Period	
(iii)	Date of order, if any DD/MM/YYYY	
(iv)	Reason(s) of refund:	

or/ and

b.	as a result of order of competent officer/authority/court	
(i)	Amount of refund	
(ii)	Name of the Authority	
(iii)	Date of order, DD/MM/YYYY	

5. Details of deposit/deduction:

a.	If deposited	
(i)	Amount deposited	
(ii)	Date of deposit, DD/MM/YYYY	
(iii)	GRN/CIN No	

or/and

b.	If deducted by works contract awarder	
(i)	Name of the awarder	
(ii)	Awarder Identification No.	
(iii)	Date of award, DD/MM/YYYY	
(iv)	Amount deducted	
(v)	VAT 41 No.	
(vi)	GRN/CIN No	

Place
Date

Signature
Name and status

Verification

I verify that the information given in this form and its attachments (if any) is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Place
Date

Signature
Name and status”

25. Substitution of Form VAT-23.- The existing Form VAT-23 appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“Form VAT – 23
[See Rule 27]

Order for Electronic refund

To,

The Central Refund Officer [C.R.O.] Commercial Taxes Department, Rajasthan, Jaipur.	
---	--

1. Details of the dealer:

1.1	Name of the dealer	
1.2	Registration No.(TIN)	

2. Address

2.1	Building No./ Name	
2.2	Area/ Town and City	
2.3	District	
2.4	PIN code	

3. Details of Bank

3.1	Name of the Bank in which refund is sought	
3.2	Name of the Branch	
3.3	Account Number	
3.4	Account Type	
3.5	IFSC No. of Branch	

4. Amount of refund allowed and reason(s) thereof:

a.	as a result of assessment order	
(i)	Amount of refund	
(ii)	Period	
(iii)	Date of order, if any DD/MM/YYYY	

Or/ and

b.	as a result of order of competent officer/authority/court	
(i)	Amount of refund	
(ii)	Name of the Authority	
(iii)	Date of order, if any DD/MM/YYYY	

Or/ and

c.	as a result of order of early refund u/s 17(2)	
(i)	Amount of refund	
(ii)	Period	
(iii)	Date of order, u/s 17(2) DD/MM/YYYY	

Or/and

d.	as a result of sales in the course of export outside the territory of India	
(i)	Amount of refund	
(ii)	Period	
(iii)	Date of order, DD/MM/YYYY	

Or/and

e.	Refund related to a person not registered under the Act	
(i)	Amount of refund	
(ii)	Period	
(iii)	Date of order of competent Authority DD/MM/YYYY	

Certificate

It is certified that:

- (i) I have personally examined and ensured observance of all formalities regarding necessary entries.
- (ii) the amount of refund has been entered at S. No..... of Demand and Collection register for the year
- (iii) the dealer's claim for the refund of payment of tax on sale of goods for the above mentioned period has been verified from the cash deposit/ Input tax credit (I.T.C.) by the dealer for the period concerned.
- (iv) the Tax, Penalty or Interest concerning which the refund is given has been credited in the Bank/ treasury.
- (v) no refund order regarding the sum now in question has previously been granted and this order of refund has been entered in the file of M/s..... for the period under my signature.
- (vi) Bank Account details of the dealer have been verified from the application/ record.

Seal of the office

(Digital signature)
Designation of the Authority
Name of the office

To be filled by Dy. Commissioner [Adm.]

Forwarded to Central Refund Officer (C.R.O.), Jaipur for grant of refund of amount Rs. (in digit) (in word) to M/s TIN

(Digital signature)
Deputy Commissioner (Adm.)
Commercial Tax Department,
Zone.....”

26. Deletion of Form VAT-23A.- The existing Form VAT-23A appended to the said rules shall be deleted.

27. Deletion of Form VAT-23B.- The existing Form VAT-23B appended to the said rules shall be deleted.

28. Substitution of Form VAT-24.- The existing Form VAT-24 appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

**“Form VAT-24
(See Rule 27)
(Bill for Payment of Refund)**

PART-I

Government Of Rajasthan			
Bill for VAT Refund : Commercial Taxes Department	DDO Code:	Office Id :	CRO Advice Number:
Bill No. :	Date:		
Budget Head : 0040			
To The Treasury Officer, Please Order to pay the claim to the Parties concerned. Signature of clerk Signature of junior accountant /accountant Signature of Drawing and Dispersing Officer/ Central Refund Officer			
1. Certified that the genuineness of the claim in accordance to the rules has been checked by respective assessing authority/officer authorised and it is also certified that the amount claimed in the bill has not earlier been drawn and the Bank detail of Payee/ payees is/ are correct, as per the record. 2. Certified that the amount of refund has been entered in the demand collection register for the year concerned by the assessing authority/officer authorised. <p align="right">Signature of D.D.O./C.R.O. With seal</p>			
<u>To be filled by the D.D.O./ C.R.O.</u> Refund order Sanction Amount : Refund order Sanction No. : Refund order Sanction Date :		No. Date : <p align="center"><u>For Treasury Use</u></p> Pay Rs. In Cash : In words : Total Credit Rs. : (Jr. Acct.) (Acct.) (Treasury Officer)	
<u>For Accountant General office</u> Admitted (Rs.) Objected (Rs.) Auditor Supdt. Gaz. Officer			

PART-II

Government Of Rajasthan			
Name of office:	DDO Code:	Office Id :	CRO Advice Number:
Bill No. :	Date:		
Budget Head : 0040			

S.No.	Name of Dealer	TIN	Detail of Refund				Detail of Bank			Reason of Refund
			Refund Order No.	Designation of the Authority with name of office who has issued order for refund	Amount	Date of Refund Order	Period of Refund	Name of Bank	Name of the Branch	

Please pay on account of the above refund, the sum of Rs.....(figures)
Rs.....(In Words).

Certificate

- (1) that the assessing authority/ officer authorised has personally examined and ensured observance of all formalities regarding necessary entries.
- (2) that the dealer's claim for the Refund from payment of tax on sale of goods for the above mentioned period has been verified by the assessing authority/ officer authorised, from the cash deposit / Input tax credit (I.T.C.) by the dealer for the period concerned .
- (3) that the Tax, Penalty or Interest concerning which the refund is given has been credited in the Bank/ treasury.
- (4) that no refund order regarding the sum now in question has previously been granted and this order of refund has been entered in the original file of assessment under the signature of assessing authority/officer authorised.

Seal

(Digital signature)
Central Refund Officer
Commercial Tax Department, Rajasthan”

29. Amendment of Form VAT-25.-In Form VAT-25 appended to the said rules, for the existing expression “[See Rule 27(1)(b) and 28(3)]”, the expression “[See Rule 27(10) and (11)]” shall be substituted.

30. Amendment of Form VAT-26.-In Form VAT-26 appended to the said rules, for the existing expression “[See Rule 28(1)(e) and 28(2)(f)]”, the expression “[See Rule 27(2)(c)]” shall be substituted.

31. Substitution of Form VAT-27.- The existing Form VAT-27 appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“Form-27

[See rule 30(1)]

Memorandum for Appeal to Appellate authority

APPEAL U/S. 82 OF RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Against order dated..... passed by.....

To,

Appellate Authority, Commercial Tax Department,	
---	--

1.1	Name of Dealer	
1.2	Registration No. (TIN)	

2. Address

2.1	Building No./ name	
2.2	Area/ Town and City	
2.3	District	
2.4	PIN code	
2.5	E-mail ID	

3.	Date of service of order appealed against, DD/MM/YYYY	
4.	Section, under which order passed	
5.	Period to which dispute relates	From <input type="text"/> To <input type="text"/>

6. Relief claimed in the appeal:

a.	Total liability including Tax, Interest and Penalty	
(i)	Determined by the authority	
(ii)	Admitted by the appellant	
(iii)	Disputed by the appellant	

Or/ and

b.	Disputed by the appellant	
(i)	Disputed turnover	
(ii)	Tax due on disputed turnover	

Or/ and

c.	If rate of tax is disputed	
(i)	Turnover	
(ii)	Amount of disputed tax	

Or/and

d.	If order of Penalty/Interest is disputed	
(i)	Section under which Penalty/ Interest is disputed	
(ii)	Amount of penalty in dispute	
(iii)	Amount of Interest in dispute	

Or/and

7.	Any other relief claimed	
8.	Whether the admitted liability has been paid	
9.	Whether complied with the provisions of section 82(3) of the Act	

10. Details of amount under sub-section (3) of Section 82:

Amount	Date of deposit	GRN/CIN

11.	Grounds of Appeal	
-----	-------------------	--

Date:
Place:

(digital signature)
Name of signatory
Status

Verification

I / We do verify that the above information and its enclosures (if any) is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed

Date: (digital signature)
Place: Name of signatory
Status”

32. Substitution of Form VAT-36.- The existing Form VAT-36 appended to said rules, shall be substituted with the following, namely:-

“Form VAT-36

[See Rule 22 and 37]

Certificate of the Sale Proceeds by the Commission Agent to the Principal

Serial No.	
Period:	

A.1.Details of the Principal:

1.1	Name of the Dealer	
1.2	Registration No. (TIN)	

A.2. Address:

2.1	Building No./ name	
2.2	Area/ Town and City	
2.3	District	
2.4	PIN code	
2.5	E-mail ID	
2.6	Telephone/ Mobile Number	

A.3 Details of goods received, sold and remained in Stock:

Details of goods received on consignment and in the stock including the goods received during the quarter				Goods sold in this quarter		Goods sold up to this quarter		Goods remained unsold		
Fom VAT 35		Commodity	Quantity	Estimated Value	Quantity/No. Of packages	Value	Quantity/No. Of packages	value	Quantity/No. Of packages	Estimated value
No.	Date									

3. Description of the goods sold by Agent:

VAT Invoice		Commodity	Qty/No. Of bags or packages	Weight	Rate	Amount (Rs.)	Expenses (Rs.)	Tax
No.	Date							

Place
Date

Signature
Name and status”

33. Amendment of Form VAT-41.-In Form VAT-41 appended to the said rules, for the existing expression “[See Rule 40(2)(3) and (5)]”, the expression “[See Rule 40]” shall be substituted.

34. Substitution of Form VAT-59.- The existing Form VAT-59 appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“Form VAT-59
(See rule 73)

Application for Determination of Disputed Question

To,

Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan, Jaipur.	
--	--

1.1	Name of Dealer	
1.2	Registration No. (TIN)	

2. Address

2.1	Building No./ name		
2.2	Area/ Town and City		
2.3	District		
2.4	PIN code		
2.5	E-mail ID		
3.1	Has the question arisen before any court proceedings?	Yes	No
3.2	If yes specify		
4.1	Has the question arisen in any proceeding under Sec 22, 24,25 and 26	Yes	No
4.2	if yes, specify		
5.1	Does the question arise from any order already passed?	Yes	No
5.2	if yes, specify		
6.	What does the question relate to? Whether:		
6.1	Any person is a dealer;	Yes	No
6.2	Any particular dealer is required to be registered;	Yes	No
6.3	Any transaction is a sale, and if so the sale price thereof;	Yes	No
6.4	Any tax is payable in respect of any particular sale or purchase or if tax is payable, the point and the rate thereof;	Yes	No
6.5	Any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods;	Yes	No
6.6	Any dealer is entitled to any particular amount of input tax credit	Yes	No
7.	Does the question relate to a transaction?	Yes	No
	If yes, then.-		
7.1	Whether the transaction has taken place?	Yes	No
7.2	If yes, then specify the tax period that the transaction relates to-	From	DD/MM/YYYY
		to	DD/MM/YYYY
8.	What is the disputed question, on which determination is sought? Please explain it in detail.(maximum 200 words)		
9.	Have you previously applied for determination on similar issue(s)?	Yes	No
10.	If yes, then give details of determination-		

11. Details of deposit of fee:

Amount	Date of deposit	GRN/CIN

Date:
Place:

(digital signature)
Name of signatory
Status

Verification

I / We do verify that the above information and its enclosures (if any) is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed

Date: (digital signature)
Place: Name of signatory
Status”

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-193]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.258.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule I appended to the said Act, with immediate effect, namely :-

AMENDMENTS

In Schedule I appended to the said Act,-

- (i) the existing serial number 60 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“

60.	All kinds of stone sludge, stone slurry and the manufactured items having individually or jointly a minimum of 50% of all kinds of stone sludge, stone slurry and fly ash in the contents of such manufactured items but in case of manufacturing of bricks this limit shall be 25% or more.	”
-----	--	---

- (ii) after the existing serial number 141 and entries thereto, the following new serial numbers and entries thereto, shall be added, namely:-

“

142.	Pseudophakic Intra Ocular Lens	
143.	Mosquito net, Bird net	
144.	Jute rope	
145.	Kalijeeri, kalaunji	
146.	Chokhat made of sand stone	
147.	Marble powder, karezi and chips.	
148.	Hawan samagri including sambrani	”

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-194]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.259.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule II appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In Schedule II appended to the said Act, the existing serial number 67 and entries thereto shall be substituted by the following, namely,-

“	67. Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel to any Airline:- (i) which establishes HUB in the State; or (ii) which operates scheduled or non-scheduled commercial flight from a place in the State to another place in the State; or (iii) which operates scheduled commercial flight to cities of the State other than Jaipur.	”
---	---	---

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-195]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.260.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in supersession of this Department's notification number F.12(59)FD/Tax/2014-12 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, from tax payable on the sale of aviation turbine fuel by a registered dealer to the Airline,-

- (i) which establishes HUB in the State; or
- (ii) which operates scheduled or non-scheduled commercial flight from a place in the State to another place in the State,

to the extent the rate of tax exceeds 5%, on the condition that the selling dealer shall obtain a certificate in the form appended hereto, issued by the authorised signatory of the purchasing Airline and shall furnish the same to his assessing authority.

Explanation:

1. 'HUB' shall be deemed to have been established if the airline has a minimum of three aircrafts halted each night in the State and it shall be counted on day to day basis.

2. In case of the Airline which operates scheduled or non-scheduled commercial flight from a place in the State to another place in the State, the exemption shall be available on the aviation turbine fuel filled in such aircraft, irrespective of its subsequent movement or destination out of the State.

CERTIFICATE

I, (Name) (authorised signatory) of (Airline) do hereby certify that the aviation turbine fuel amounting to Rs.....for the quarter ending onyear.....purchased from M/s.TIN.....has been used in accordance with the notification No.....dated.....

Place.....

Date.....

Signature of authorised signatory with Seal

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-196]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 9, 2015

S.O.261.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, a registered dealer from tax payable on the sale of aviation turbine fuel to Airline for use in aircraft which connects cities of Rajasthan other than Jaipur by a scheduled commercial flight, to the extent the rate of tax exceeds 10%, on the condition that the selling dealer shall obtain a certificate in the form appended hereto, issued by the authorised signatory of the purchasing Airline and shall furnish the same to his assessing authority.

CERTIFICATE

I, (Name) (authorised signatory) of (Airline) do hereby certify that the aviation turbine fuel amounting to Rs for the quarter ending on year purchased from M/s TIN has been used in accordance with the notification No.....dated.....

Place.....

Date.....

Signature of authorised signatory with Seal

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-197]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.262.- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule IV appended to the said Act, with immediate effect, namely :-

AMENDMENTS

In Schedule IV appended to the said Act,-

- (i) the existing serial number 34 and entries thereto shall be deleted.
- (ii) the existing serial number 59 and entries thereto shall be deleted.
- (iii) the existing serial number 86 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“

86.	Medical equipment/ devices and implants other than Pseudophakic Intra Ocular Lens	5	
-----	---	---	--

”

- (iv) the existing serial number 153 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“

153.	Kirana items namely kala namak, sendha namak, coconut powder, edible gond, rai, postdana, magaj of all kinds, saffron and dry fruits	5	
------	--	---	--

”

- (v) the existing serial number 155 and entries thereto alongwith its explanation, shall be substituted by the following, namely:-

“

155.	Earth moving and mining machinery including hydraulic excavator, hydraulic dumper, tipper, heavy loader, backhoe loader, wheel loading shovel, wheel excavator, tracked excavator, compactor, mobile crane, road roller, dozer, grader, skid steer and parts thereof	5	
------	--	---	--

”

- (vi) the existing serial number 157 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“

157.	Rope and rassi made of natural fibre, cotton and plastic	5	
------	--	---	--

”

- (vii) the existing serial number 171 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“

171.	All kinds and forms of Marble and Granite excluding goods for which rate has been notified under section 6 of the Act	5	
------	---	---	--

”

- (viii) the existing serial number 183 and entries thereto shall be deleted.

- (ix) the existing serial number 184 and entries thereto shall be deleted.
- (x) the existing serial number 196 and entries thereto shall be deleted.
- (xi) after the existing serial number 209 and entries thereto, the following new serial numbers and entries thereto shall be added, namely:-

210.	Diesel generating set, alternators of all kinds and parts thereof	5	
211.	Core assembly of transformers	5	
212.	Aluminum containers for compressed gas or liquefied gas	5	
213.	Toilet paper and toilet tissue paper	5	
214.	Abrasive paper (regmal)	5	
215.	Brushes of all types excluding tooth brush	5	
216.	Soya milk	5	
217.	Non-mechanised Floor wipers and floor mops	5	
218.	Life jackets and life belts	5	
219.	Transistor, radio	5	
220.	Pre-stressed concrete poles	5	
221.	Membrane for Water Treatment	5	

- (xii) in **Part-A GOODS UNDER CATEGORY OF IT PRODUCTS,-**

- (a) in column 2 against serial number 3, the existing expression "Computer system and peripherals", the expression "Computer system and peripherals excluding tablet computers known by whatever name like i-pad, e-book reader, phablet, slate etc." shall be substituted.
- (b) in column 2 against serial number 12, the existing expression "cellular telephones" shall be deleted.

- (xiii) in **Part-B GOODS UNDER CATEGORY OF INDUSTRIAL INPUTS,** after the existing serial number 282 and entries thereto, following new serial number 283 and entries thereto, shall be added, namely:-

283.	Saccharine	5	
------	------------	---	--

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-198]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.263.- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government

being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule V appended to the Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule V appended to the said Act,-

- (i) for the existing expression "Goods Taxable at 14%", the expression "Goods Taxable at 14.5%" shall be substituted.
- (ii) in column number 3, for the existing expression "14", wherever occurring, the expression "14.5" shall be substituted.
- (iii) in column number 2 against serial number 3, the existing expression "and aluminum containers for compressed gas or liquefied gas" shall be deleted.
- (iv) the existing serial number 11 and entries thereto shall be substituted, by the following, namely:-

“

11.	Tooth brush	14.5	
-----	-------------	------	--

 ”

- (v) in column number 2 against serial number 14, in the item number (ii), the existing expression "poles and" shall be deleted.
- (vi) in column number 2 against serial number 16, the existing item number (v) shall be substituted by the following, namely:-

“

(v) Cooked food like pizza, burger, fried chicken, french fries, sandwich, hot dog, noodles, potato chips, bakery items and any other cooked food item served or sold including home delivery thereof, under a brand name by any branded chain outlet of cooked food
--

 ”

- (vii) in column number 2 against serial number 16, the existing item number (xix) and entries thereto shall be deleted.
- (viii) in column number 2 against serial number 18, in the item number (i), for the existing expression "(Excluding oil based washing soap in any form or packaging having maximum retail price less than Rs. 60/- per Kilogram)", the expression "(Excluding the items as mentioned in column number 2 against serial number 168 of Schedule IV)" shall be substituted.
- (ix) in column number 2 against serial number 18, the existing item number (ii) shall be deleted.
- (x) in column number 2 against serial number 21, the existing item number (i) shall be substituted by the following, namely:-

“

(i) Electric bulbs and tube lights excluding goods mentioned at serial number 20 of Schedule VI, ballasts for discharge lamps or tubes and parts thereof, other types of lights such as chandeliers, hanging lights, table-lamps, false ceiling lights, concealed lights, gate lights, garden lights, decorative lights, high mast lights, search lights, spot lights and parts thereof.
--

 ”

- (xi) in column number 2 against serial number 21, in the item number (vii), the existing expression " transistor, radio," shall be deleted.
- (xii) the existing serial number 24 and entries thereto shall be substituted, by the following, namely:-

24.	Mechanised floor wipers and floor mops	14.5	
-----	--	------	--

- (xiii) the existing serial number 31 and entries thereto, shall be deleted.
- (xiv) the existing serial number 36 and entries thereto, shall be deleted.
- (xv) the existing serial numbers 44 and entries thereto, shall be deleted.
- (xvi) in column number 2 against serial number 49, the existing item number (ix) and entries thereto shall be deleted.
- (xvii) The existing serial number 57 and entries thereto, shall be substituted by the following, namely:-

57.	Rope and rassi, iron ropes including twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastic but excluding rope and rassi made of natural fibre, cotton and plastic	14.5	
-----	--	------	--

- (xviii) the existing serial numbers 62 and entries thereto, shall be deleted.
- (xix) in column number 2 against serial number 69, for the existing expression "excluding solar and LED torch", the expression "excluding solar torch" shall be substituted.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-199]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.264.- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule VI appended to the said Act, with immediate effect, namely :-

AMENDMENTS

In Schedule VI appended to the said Act,-

- (i) the existing serial number 14 and entries thereto, shall be substituted by the following, namely:-

14.	All types of used motor vehicles including used earthmoving and mining machinery as mentioned in entry number 155 of Schedule IV	2.5	
-----	--	-----	--

- (ii) after the existing serial number 17 and entries thereto, the following new serial numbers and entries thereto shall be added, namely:-

“

18.	Cellular phones, parts and accessories thereof	8	
19.	Tablet computers known by whatever name like i-pad, e-book reader, phablet, slate etc.	8	
20.	CFL bulb, CFL tubelight, LED bulb and LED tubelight	3	
21.	All kinds and forms of Kota stone	2	

”

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-200]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.265.- In exercise of the power conferred by section 5 of the Rajasthan Value Added tax Act, 2003(Act No. 4 of 2003), read with rule 17A of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby, with effect from 01.04.2015, makes the following amendments in this department's notification No.F.12(59)FD/Tax/2014-18 dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the existing table of the said notification,-

- (i) in column number 3 against serial number 1, for the existing expression “five hundred”, the expression “One thousand five hundred” shall be substituted.
- (ii) the existing serial number 6 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“

6.	Registered dealers, commonly known as developers/ builders who, as work contractors, undertake the construction of flats, dwellings or buildings or premises and transfer them along with goods (whether as goods or in some other form) and land or interest underlying the land in	<p>Option A: Rupees one thousand three hundred for every two lacs or part thereof, of the consideration received in the relevant period subject to the following conditions:-</p> <p>(i) the dealer shall purchase goods from within the State, for execution of the works contract from a registered dealer of the State; and</p> <p>(ii) in case such dealer, procures or purchases any goods in any manner other than the manner as provided in condition (i) above, he shall, in addition to the lump sum amount, be liable to pay an amount equal to the amount of tax that would have been payable, had the goods been</p>
----	--	---

	pursuance of an agreement.	<p>purchased in the State from a registered dealer.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Option B: Rupees Eight thousand for every two lacs or part thereof, of the consideration received in the relevant period.</p> <p>Note: The dealer opting to pay tax in lump sum has to submit his option in the Application for permission.</p>
--	----------------------------	--

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-201]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.266.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F.12(63)FD/Tax/2005-7 dated 13.04.2006, as amended from time to time, with effect from 01.04.2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing condition number 5 shall be substituted by the following, namely:-

“(5) that the exemption shall be available only on the sale of goods purchased by Canteen Stores Department within the State from a registered dealer of the State.”

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-202]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.267.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes

the following amendment in this department's notification No. F.12 (25) FD/Tax/11-134 dated 09.03.2011, with effect from 01.04.2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing condition number 5 shall be substituted by the following, namely:-

“(5) That the exemption shall be available only on the sale of goods purchased within the State from a registered dealer of the State.”

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-203]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.268.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F.12 (25) FD/Tax/11-136 dated 09.03.2011, with effect from 01.04.2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing condition number 5 shall be substituted by the following, namely:-

“(5) That the exemption shall be available only on the sale of goods purchased within the State from a registered dealer of the State.”

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-204]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.269.- In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government

being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this Department's notification No. F.12(84)FD/Tax/2009-20 dated 08.07.2009, as amended from time to time, with effect from 01.04.2015, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) the existing condition number 2 shall be substituted by the following, namely:-

“2. that the dealer shall file an application on plain paper to the Deputy Commissioner (Administration) concerned for obtaining Entitlement Certificate and the Deputy Commissioner (Administration), after such enquiry as he deems necessary, issue Entitlement Certificate allowing the benefit of exemption under this notification to such dealer for three years, which may be renewable for one year at a time. If Entitlement Certificate is not issued or no notice regarding rejection of such application is issued within 60 days of filing of application, the application shall be deemed to be accepted.”
- (ii) the existing condition number 6 shall be substituted by the following, namely:-

“6. that where the beneficiary dealer indulges in evasion or avoidance of tax or fails to comply with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and / or the rules made thereunder or obtains certificate in any manner by misrepresentation of facts or fraud or where certificate issued in pursuance of deemed acceptance of application, the Deputy Commissioner (Administration), after making such enquiry as he may deem appropriate, cancel the aforesaid Entitlement Certificate, after affording an opportunity of hearing to such dealer.”

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-205]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, March 9, 2015

S.O.270.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003(Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No.F.12(59) FD/Tax/ 2014-23 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 01.04.2015, exempts from payment of tax payable by the registered dealers engaged in execution of works contract(s), leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

1. Exemption Fee:

Such dealer may opt for payment of exemption fee in lieu of tax payable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract. Such dealer may opt any of the option mentioned hereunder, namely Option A and Option B.

Option A: The exemption fee for the category of works contract mentioned in column number 2 of the Table 1 given below shall be at the rate as mentioned in column number 3 against each of them:-

Table 1

Item No.	Category of works contract	Exemption fee (% of the total value of the contract)
1	2	3
1.	Works contract where the cost of goods involved in execution of works contract does not exceed five percent of the total contract amount.	0.10
2.	Works contract relating to construction and repair of roads, runways, bridges, dams, drains excluding sewerage system, tunnels, canals, channels, barrages, railway tracks, causeways, sub ways, diversion, spill ways, boundary walls, buildings and water harvesting system.	0.75
3.	Works contract awarded by Rajasthan Vidhyut Prasaran Nigam Ltd., Jaipur Vidhyut Vitaran Nigam Ltd., Ajmer Vidhyut Vitaran Nigam Ltd., Jodhpur Vidhyut Vitaran Nigam Ltd.	0.75
4.	Any other kind of works contract not covered by item number 1 to 3 above.	2.00

Option B: The exemption fee for the category of works contract mentioned in column number 2 of the Table 2 given below shall be at the rate as mentioned in column number 3 against each of them:-

Table 2

Item No.	Category of works contract	Exemption fee (% of the total value of the contract)
1	2	3
1.	Works contract where the cost of goods involved in execution of works contract does not exceed five percent of the total contract amount.	0.70
2.	Works contract relating to construction and repair of roads, runways, bridges, dams, tunnels, canals, channels, barrages, railway tracks, causeways, sub ways, diversion, spill ways, drains excluding sewerage system.	4.00
3.	Works contract related to construction and repair of buildings, boundary walls, sewerage system, sewerage treatment plant, water supply works and water harvesting structures.	5.00

4.	Works contract awarded by Rajasthan Vidhyut Prasaran Nigam Ltd., Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Ltd., Ajmer Vidhyut Vitran Nigam Ltd., Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Ltd.	3.50
5.	Works contract related to setting up of new enterprise or expansion of existing enterprise manufacturing fertilizer within the State with minimum investment of Rs.2500 Crore.	1.00
6.	Any other kind of works contract not covered by item number 1 to 5 above.	6.00

2. Procedure for obtaining exemption:

- 2.1.1** A registered dealer, engaged in the execution of works contract and opts for payment of exemption fee in lieu of tax, shall submit an application to the assessing authority or any officer authorized by commissioner in this behalf in Form WT-1 appended to this notification within sixty days from the date of the award of the works contract. The application shall be submitted electronically through the official website of the Department and shall be signed digitally by such dealer or his business manager as declared in form VAT-02. The dealer who has given consent for use of official website in the manner prescribed in the rules may submit application without digital signature. The application shall be accompanied with the self attested and legible scanned copy of Work Order and G-Schedule. In case the works contract is of the nature that the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount, a self attested and legible scanned copy of certificate from the awardee to this effect shall also be submitted with the application.
- 2.1.2** Where the dealer fails to furnish the scanned copy of Work Order and/or G-Schedule and/or certificate of the awardee, as the case may be, along with the application, he shall submit the hard copies of Work Order and/or G-Schedule and/or certificate of the awardee, as the case may be, along with the acknowledgement generated through the official website of the Department duly verified by himself or his business manager by affixing their signature on it within ten days from the date of submission of application in Form WT-1, to his Assessing Authority or the officer authorized by the Commissioner in this behalf. Failure to do so shall be deemed to be a case of non-submission of application.
- 2.1.3** where the dealer fails to fulfil the requirements as mentioned in clause 2.1.2 within ten days of submission of Form WT-1, he may apply afresh for the same within the time specified in clause 2.1.1 above.
- 2.2.1** The assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall reject the application for grant of exemption certificate, where,-
- the applicant dealer has failed to comply with an order demanding initial or additional security under section 15 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and/or sub-section (2A) of section 7 and/or under sub-section (3A) of section 7 of the Central Sales Tax Act, 1956; or
 - the applicant dealer has failed to furnish any return or returns in accordance with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956.

- 2.2.2 On rejection of the application, the dealer may apply afresh for the same within the time specified in clause 2.1.1 above, on fulfillment of the above requirements.
- 2.3 Subject to the provisions of clause 2.2.1 above, the Assessing Authority or the officer authorized by the Commissioner in this behalf, on being satisfied that the application is complete in all respect, shall issue Exemption Certificate in Form WT-2 appended to this notification in the manner as provided in the official website of the Department within twenty one days of submission of the application in form WT-1.
- 2.4 Where a dealer opting for payment of exemption fee in lieu of tax is executing more than one works contract, he shall submit separate application in Form WT-1, for each works contract.
- 2.5 Where any excess payment is made to such dealer by the awarder for any additional work or value of the contract is enhanced in relation to the works contract for which exemption certificate has already been issued, the exemption certificate shall be revised accordingly on submission of an application in Form WT-4 along with documentary evidence in this regard issued by the awarder, within sixty days of such communication from the awarder, and a revised Exemption Certificate shall be issued to the dealer through the official website of the Department.

3. Condonation of delay:

- 3.1 Where the dealer fails to submit the application within the time provided in clause 2.1.1 or in clause 2.5, he may be allowed to submit the same, on payment of late fee mentioned below, along with an application in Form WT-3 appended to this notification to condone the delay mentioning therein the details of payment of late fee.

Period of Delay	Amount of late fee
Up to one year from the date of award of works contract.	Rupees one thousand.
More than one year but up to two years from the date of award of works contract.	Rupees five thousand.

- 3.2 No application under this notification shall be entertained after expiry of stipulated period of completion of contract in original work order or two years from the date of award of works contract, whichever is earlier.

4. Manner of deposit of Exemption Fee:

The dealer shall pay exemption fee at such rate as specified in clause 1 of this notification in the following manner:-

- 4.1 Where the awarder is a Department of any Government, a Corporation, a Public Undertaking, a Co-operative Society, a Local Body, a Statutory Body, an Autonomous Body, a Trust or a Private or Public Limited Company, or Limited Liability Partnership, an amount calculated at the rate as mentioned in column number 3 of Table 1 for dealer opting for Option A and at the rate as mentioned in column number 3 of Table 2 for dealer opting for Option B, shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such dealer and all the provisions of payment of tax, provided in the Act or the rules made there under for such dealer, shall *mutatis mutandis* apply.

- 4.2** Where the awarder is not covered under clause 4.1 above, the dealer shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly instalments in a period not exceeding the period of contract from the date of issuance of exemption certificate. In case such dealer has already received some payment for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of exemption fee at the rate as mentioned in column number 3 of Table 1 if he opts for Option A and at the rate as mentioned in column number 3 of Table 2 if he opts for Option B, on such payments, along with interest up to the date of filing of application, under this notification.
- 4.3** Where the dealer opting for payment of exemption fee in lieu of tax, has received some payment for execution of works contract from the awarder before the issuance of exemption certificate, he shall deposit the notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, in case the amount has not deducted by the awarder in lieu of tax.
- 4.4** The amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bill of payments to the dealer before the issuance of exemption certificate shall be adjusted against the exemption fee to be paid by the dealer.

5. Conditions:

- 5.1(a)** The dealer, who has opted for payment of exemption fee in lieu of tax under option A of clause 1, shall purchase taxable goods within the state from the registered dealer of the State for the execution of works contract.
- (b) in case such dealer, procures or purchases any goods in any manner other than the manner as provided in clause (a) above he shall, in addition to the exemption fee, be liable to pay an amount equal to the amount of tax that would have been payable had the goods been purchased in the State from a registered dealer.
- 5.2** The dealer, who has opted for payment of exemption fee in lieu of tax under option B of clause 1 shall be entitled to purchase the goods involved in execution of works contract from outside the State.
- 5.3** The dealer who opts for payment of exemption fee in lieu of tax shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract.
- 5.4** That the certificate of exemption shall be liable to be cancelled by the assessing authority retrospectively,-
- (i) if it is found that the same has been issued in contravention of the provisions of the Act, rules or notification;
- (ii) the dealer has concealed any facts regarding the works contract awarded to him; or
- (iii) where during the composition period, the dealer violates any of the conditions of the scheme or aids or abets the evasion of tax, the assessing authority, after affording an reasonable opportunity of being heard, may cancel the composition certificate. This will be without prejudice to the action, penal or otherwise, for which such dealer shall be liable under the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and rules made there under.

- 5.5 That the tax collected or charged, if any, by the dealer shall be deposited to the State Government and the amount of tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.
- 5.6 In case the exemption fee is amended at any time, the exemption fee shall be calculated as payable on the date of submission of application for grant of exemption certificate or for revision of exemption certificate, as the case may be.

6. Transitional provisions:

- 6.1 Where the application of any dealer, for grant of exemption certificate under notification No. F.12(63)FD/Tax/2005-80 dated 11.8.2006, notification No. F.12(101)FD/Tax/2011-59 dated 13.08.2013, and notification No.F.12(59)FD/Tax/2014-23 dated 14.07.2014 is pending before the assessing authority or the officer authorized by the commissioner in this behalf, on the date of issuance of this notification, he may switch over for payment of exemption fee under this notification within fifteen days of issuance of this notification by submitting a fresh application under this notification.
- 6.2 Where the dealer holds the exemption certificate(s) issued under notification No.F.12(63)FD/Tax/2005-80 dated 11.8.2006, notification No.F.12(101)FD/Tax/2011-59 dated 13.08.2013, and notification No. F.12(59)FD/Tax/ 2014-23 dated 14.07.2014, as amended from time to time, on the date of issuance of this notification and the execution of works contract covered under the said exemption certificate(s) is pending in full or in part, the exemption certificate issued earlier shall remain in force with the same exemption fee till the completion of works contract unless cancelled or revoked earlier.

Form WT-1

**Application for grant of Exemption Certificate
(for dealers engaged in execution of works contracts)**

To
The Assistant Commissioner
The Commercial Taxes Officer/Assistant Commercial Taxes Officer,
Circle/Ward

1. Name of the applicant.....
2. Name and address under which the applicant carries on business.....
3. Registration Certificate No.(TIN).....
4. E-mail address.....
5. Mobile Number.....
6. Status of the applicant such as Proprietor/Partner/Director/Karta of H.U.F. /
Manager/Secretary.....
7. Period during which works contract be executed from.....to.....
8. Option of exemption fee under clause 1. Option A Option B
9. Particulars of works contract (s):

S. No.	Name and address of the Awarder along with e-mail Address	Description of the dealer	Date of award of the contract	Description of works contract	Stipulated period for completion of the contract	Total value of the contract	Place of execution of work	Exemption fee (% of total value of contract)	Amount of Exemption fee (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I/We hereby undertake that I/ we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so, I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act.I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant and status.

Attachments:

1. Scanned copy of work order.
2. Scanned copy of G-Schedule.
3. Scanned copy of certificate of awarder, if applicable.
4. Proof of payment of late fee, if applicable.

Original/Revised

Form WT-2

Exemption Certificate

(for dealers engaged in execution of works contracts)

1. ID No.....dated.....
2. Name of Applicant with status.....
3. Name and address of business.....
4. Registration Certificate No. (TIN).....
5. Option under which applied for: Option A Option B
6. Details of the works contract and exemption:

S. No.	Description of the works contract & place of execution	Name and address of the Awarder	Total Value of the contract	Exemption fee (% of the total value of the contract)	Amount of exemption fee in (Rs.)
1	2	3	4	5	6

7. This certificate shall remain in force till the completion of works contract unless cancelled or revoked earlier.

Place:
Date:

Signature
Designation

Exemption Certificate issued vide ID No.....dated.....has been revised on the application of dealer dated.....

Place: Signature
Date: Designation

Form WT-3
Application to condone the delay
(for dealers engaged in execution of works contracts)

To,
The Assistant Commissioner/
The Commercial Taxes Officer/Assistant Commercial Taxes Officer,
Circle/Ward

1. Name of the dealer.....
2. TIN.....
3. Principal place of business
4. Date of award of works contract.....
5. Date of submission of application
6. Period of delay.....
7. Reasons of delay.....
8. Details of deposit of late fee:

Challan No.	Date of deposit	Amount

Place: Signature
Date: Name and Status

Form WT-4
Application in case excess payment is made by the awarder
(for dealers engaged in execution of works contracts)

To
The Assistant Commissioner/
The Commercial Taxes Officer/Assistant Commercial Taxes Officer,
Circle/Ward

1. Name of the applicant.....
2. Name and address under which the applicant carries on business.....
3. Registration Certificate No. (TIN).....
4. E-mail address
5. Mobile No.....
6. Status of the applicant such as Proprietor/Partner/Director/Karta of H.U.F./
Manager/Secretary.....
7. Details of Form WT-2 received earlier:

S. No.	ID No. of WT-2	Date of issue	Description of works contract and place of execution of works as per WT-1	Name of awarder	Total value of the contract as shown in WT-1	Amount of Exemption Fee (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7

8. Particulars of excess payment made in the existing works contract (s):

S. No.	Name and address of the awardee along with e-mail address	Date of award of the contract	Amount of works contract as per WT-1	Amount of excess payment made by the awardee in continuation of works contract mentioned in column No.4	Total value of the contract (4+5)	Exemption fee (% of the total value of the contract)(as per List given in notification)	Amount of the exemption Fee (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8

I/we declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing material has been concealed and undertake to pay the revised exemption fee, if any.

Place:

Signature

Date:

Name and status

Attachments:

1. Scanned copy of work order.
2. Scanned copy of G-Schedule.
3. Scanned copy of certificate of awardee, if applicable.
4. Proof of payment of late fee, if applicable.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-206]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O. 271.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.12 (91) FD/ Tax /2011-71 dated 17.10.2012, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies that the class of dealers specified in column number 2 of the Schedule given below shall pay tax at such intervals as specified against each in column number 3 thereof, namely:-

SCHEDULE

S.No.	Class of dealers	Interval for tax payment
1.	2.	3.
1.	Dealers with annual tax liability of rupees forty crore and above for the year immediately preceding to the current year.	(i) The amount of tax charged or collected from 1st day to 10 th day of the month, shall be deposited upto 15 th day of the month; (ii) The amount of tax charged or

		collected from 11 th day to 20 th day of the month, shall be deposited upto 25 th day of the month; and (iii) The amount of tax charged or collected from 21 st day to the end of the month shall be deposited upto 5 th day of the immediately next month.
2.	Dealers with annual tax liability of rupees fifty thousand and above but below rupees forty crore for the year preceding to the current year.	Monthly within 14 days from the closing of each month.
3.	Dealers dealing in all kinds of Kota stone, marble and granite.	Immediately on completion of transaction of sale or purchase where such goods pass through check-post established under section 76 of the Act.
4.	Dealers who have exercised option under sub-section (2) of section 3 of the Act.	Quarterly within 14 days from the closing of each quarter.
5.	Dealers not covered by serial number 1, 2, 3, and 4 above.	Quarterly within 14 days from the closing of each quarter.

This shall have effect from 01.04.2015.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-207]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.272.- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), read with sub-rule (6) of rule 40 of the Rajasthan Value Added Rules, 2006, and in supersession of this Department's notification No.F.12(63)FD/Tax/2005-81 dated 11.08.2006, as amended from time to time, the State Government, hereby, with effect from 01.04.2015, notifies that the awarder or any person authorized by him, at the time of credit of any sum to the account of the contractor or at the time of making such payment by any mode, for carrying out any work, shall deduct, in lieu of tax, an amount equal to 6% of such sum, if payment is made to a dealer registered under the said Act and an amount equal to 7% of such sum, if payment is made to any person other than a dealer registered under the said Act, as the case may be:

Provided that in case of contractors having exemption certificate issued under section 8 of the said Act, the awarder or any person authorized by him shall deduct in lieu of tax an amount equal to rate of exemption fee as mentioned in the said exemption certificate.

Provided further that in case of contractors who are exempted from payment of tax leviable in respect of transfer of property in goods involved in the execution of works contracts under notification No.F.12(43)FD/Tax/05-36 dated 24.8.2007, no amount in lieu of tax shall be deducted by the awarder or any person authorized by him.

Provided also that in case of turnkey works contract awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd., Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd., Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd., Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd., or Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd., to a contractor and in pursuance of transfer of property in goods involved in execution of such works contract, the contractor has supplied the goods against VAT invoice to the awarder and such contractor furnishes proof of deposit of tax in State treasury in respect of such goods by himself or at an earlier points of sale in the State duly certified by the Assessing Authority, the awarder shall deduct an amount equal to the amount to be deducted at the rate notified above on the payment made to the contractor less the amount of tax paid in the State and if this amount has negative value, no tax deduction shall be made.

Provided also that in case of a turnkey works contract awarded by a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a cooperative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust, a private limited company or public limited company, limited liability partnership, having a separate contract for supply of goods, and in pursuance of such contract, the contractors claims that the sale of goods has occasioned in the course of inter State trade and commerce by the contractor to the awarder from outside the State, the assessing authority or an officer authorized by the Commissioner in this behalf on an application submitted by the said contractor, shall within ten days of receipt of such application, on being satisfied that the transaction of sale took place in the course of inter State trade and commerce, pass an order directing the awarder not to deduct the amount in lieu of tax from the payment to be made in this behalf. The order so issued shall be provisional in nature and applicable only for deduction of amount in lieu of tax under sub-section (2) of section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and shall be subject to assessment under the said Act.

Provided also that in case of works contract related to Metro Rail Project, in Jaipur City awarded by Jaipur Metro Rail Corporation Limited or Delhi Metro Rail Corporation Limited for Jaipur Metro Rail Project, no amount in lieu of tax shall be deducted by the Jaipur Metro Rail Corporation Limited or Delhi Metro Rail Corporation Limited or any person authorized by them.

Provided also that in case of works contract related to construction of houses, for Economic Weaker Section and Low Income Group category in urban areas having maximum sale price up to Rupees 750 per square feet, under the Affordable Housing Policy-2009 issued by the Government of Rajasthan, no amount in lieu of tax shall be deducted by the awarder or any person authorized by him.

Provided also that in case contract awarded by M/s. Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Jaipur (hereinafter referred to as 'RRVUNL'), whether or not an EPC turnkey contract, by separate contract, for supply of equipments and erection, testing and commissioning, related to project for generation of power, awarded on or after 01.04.2012, no amount in lieu of tax shall be deducted by RRVUNL or any person authorized by it, subject to the condition that:-

- (i) the dealer has opted for payment of fee in lieu of tax in terms of notification No. F.12(40)FD/Tax/2012-55 dated 23.08.2012; and

- (ii) the RRVUNL has deducted an amount of fee @1% from bill of payment made by it.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-208]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.273.- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this Department's notification number F.12(18)FD/Tax/2008-51 dated 26.07.2012, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "up to 31.03.2015", the expression "up to 31.03.2016" shall be substituted.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-209]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.274.- In exercise of the powers conferred by section 43 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with effect from 01.04.2015.

2. Substitution of rule 9.- The existing rule 9 of the Rajasthan Entry of The Goods Into Local Areas Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“9. Return.- (1) Every dealer shall submit return in Form VAT-10 and Form VAT-10A appended to the Rajasthan Value Added Tax Rule, 2006, hereinafter referred to as “the VAT rules.

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager. However, where the dealer has given his consent to use the official website for submitting return in the manner as prescribed under rule 32A of these rules or under rule 79A of the VAT rules, he may submit return without digital signature.

(3) Where the amount of tax, interest or late fee, if any, is not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of e-challan as a proof of deposit, to the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, when demanded by such authority or the officer.

(4) The return in Form VAT-10 shall be submitted by the dealer within such time as provided under the VAT rules, if the dealer is registered under the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), otherwise within forty five days of the end of the quarter.

Explanation: ‘Quarter’ means the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March.

(5) The return in Form VAT-10A shall be submitted by every dealer, within such time and in such manner as provided in VAT rules.

(6) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business.

(7) Where a dealer discovers any omission or error in Form VAT-10 or Form VAT-10A furnished by him, he may revise such return and furnish the revised return within such time and in such manner as provided in the VAT rules, but dealer cannot revise return after issue of any notice under section 12. However, where any notice under section 12 has been issued, the dealer may furnish revised return in pursuance of the notice within such time as has been provided in the said notice.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (6) above, the return(s) for the period prior to 01.04.2015 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period.”

3. Insertion of rule 9A.- After the rule 9 so substituted and before existing rule 10 of the said rules, the following new rule 9A shall be inserted, namely.-

“9A. Late fee.- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of-

- (i) in case there is no turnover or no taxable turnover of the dealer during the period under return, rupees twenty per day subject to a maximum of rupees one thousand; and
- (ii) in all other cases 0.05% of the tax payable, per day, subject to a minimum of rupees 50 per day and a maximum of rupees 500 per day, however, the amount of total late fee shall not exceed 10% of tax payable for that quarter/ year subject to a maximum of rupees twenty five thousand,”

4. Insertion of rule 32A.- After the existing rule 32 and before the existing rule 33 of the said rules, the following new rule 32A shall be inserted, namely:-

“32A. Consent to use official website of Commercial Taxes department.

(1) A registered dealer shall give his consent for using the official website of the department for his official dealing with the department including submission of returns, applications and receipt notices, communications or intimations by submitting an undertaking in the manner as provided in the official website of the Department, after enrolling by using his registration number as login id and password created by himself. Such dealer shall generate a copy of such undertaking through the official website of the department and shall affix his signature on it and the duly filled in and signed undertaking shall be submitted by such dealer to the assessing authority or to the officer authorised by the Commissioner in this behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a dealer has submitted the consent to use official website of Commercial Taxes Department in the manner as provided under rule 79A of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 shall not be required to submit the consent under sub-rule (1) above.”

5. Deletion of Form ETLA-3.- The existing Form ETLA-3 appended to said rules shall be deleted.

6. Deletion of Form ETLA-5.- The existing Form ETLA-5 appended to said rules shall be deleted.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-210]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.275.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999) and in supersession of this Department’s notification number F.12(59)FD/Tax/2014-32 dated 14.07.2014, as amended from time to time, the State Government hereby specifies the tax payable by a dealer under the said Act, in respect of the goods specified in column 2 of the List given below, and brought into any local area for consumption or use or sale therein, shall be payable at such rate as specified against them in column 3 of the said List, with immediate effect, namely,-

LIST

S. No.	Description of Goods	Rate of Tax (%)
1	2	3
1	Sugar	0.25
2	Stainless Steel Ingots, Billets, Blooms, Flats and Flat bars	0.5
3	Polyester Filament Yarn	2

4	All kinds of fuels including petrol, gasoline, High speed diesel oil, Light speed Diesel oil, Superior Kerosene oil, LPG (including propene, butylene, butadine, ethylene, oxylene), ATF (Aviation turbine fuel), Furnace oil, hexane (solvent Oil) Naphtha, Natural gas, petroleum jelly (including vaseline) Paraffin wax (including chlorinated paraffin wax), LSHS (low sulphur high stocks), CBFS (carbon black feed stock), Petroleum coke in any form, Heavy alkylate, Methyl acetate, Remax, Revive, C-9 known by whatever name.	3
5	Oilseed (excluding Til) for oil extraction/refining and crude/degum oil for refining	3
6	ACSR conductors	4
7	All kind of electrical and electronic goods including electronic meters, FAX Machines, SIM Cards, Smart Cards and parts and accessories thereof, but excluding radio sets and radio gramophones, V.C.R., V.C.P., tape-recorders, transistor sets and parts and accessories thereof.	4
8	All kinds of telephone and parts thereof	4
9	Aluminum structurals, steel fabrication items including G.S. Stay Sets, switch fuse units and isolators.	4
10	Bitumen of all kinds	4
11	Computers and their accessories	4
12	Generating sets	4
13	Glass and glass sheets	4
14	Insulators	4
15	Lubricants including Lube oil and grease	4
16	Parts and accessories of all types of motor vehicles (other than tractors) including two and three wheelers	4
17	Photocopiers	4
18	Stay wire	4
19	Steel structurals and steel bars including Thermo - mechanically Treated Steel bars (TMT)	4
20	Television sets, washing machine, microwave oven	4
21	Transformers and transformer oil	4
22	Tyres, tubes and flaps of two wheeler, three wheeler and four wheeler motor vehicles, motor vehicles with more than four wheels or jeep trailers.	4
23	All kinds of non-alcoholic drinks and beverages	5
24	All kinds of paper and paper products including exercise books but excluding handmade paper	5
25	Automated Teller Machine(ATM)	5
26	Dyes and dyestuffs, textile auxiliaries including chemicals used in textile processing and starch	5
27	Earth moving and mining machinery including hydraulic excavator, hydraulic dumper, tipper, heavy loader, backhoe loader, wheel loading shovel, wheel excavator, tracked excavator, compactor, mobile crane, road roller, dozer, grader, skid steer and parts thereof	5
28	HDPE bags, plastic bags & sacks, plastic laminated pouches	5

29	Liquefied Natural Gas (LNG)	5
30	Non-woven fabrics, textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, PVC leather cloth and synthetic leather	5
31	Optical fibre cables and Polythylene Insulated Jelly Filled Telecommunication (PIJF) cables	5
32	PP/HDPE woven fabrics	5
33	Tin containers	5
34	X-ray apparatus and equipments, medical imaging, diagnostic and therapeutic equipments	5
35	All kinds of firearms including parts and accessories thereof	14
36	All types of sanitary goods and fittings	14
37	Cement	14
38	Ceramic and glazed tiles	14
39	Lifts and elevators	14
40	Weigh bridge	14
41	Aerated water	15
42	Air Conditioner and Refrigerator	15
43	Mineral water and water sold in sealed containers	15
44	Opium (other than lanced poppy head)	50
45	Pan Masala (not zarda mixed)	65
46	Tobacco, cigarettes, cheroots, cigars and cigarillos, zarda mixed pan masala including gutkha and churi	65

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-211]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.276.- In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999) and in supersession of this Department's notification number F.12(59)FD/Tax/2014-33 dated 14.07.2014, as amended from time to time, the State Government hereby exempts from the tax payable under the said Act, with immediate effect, in respect of the goods specified in the List given below on the condition that the tax leviable under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) in respect of such goods has been paid in the State, namely:-

LIST

S. No.	Description of Goods
1	2
1.	Stainless Steel Ingots, Billets, Blooms, Flats and Flat bars
2.	Polyester Filament Yarn
3.	All kinds of fuels including petrol, gasoline, High speed diesel oil, Light speed Diesel oil, Superior Kerosene oil, LPG (including propene,

	butylene, butadine, ethylene, oxylene), ATF (Aviation turbine fuel), Furnace oil, hexane (solvent Oil) Naphtha, Natural gas, petroleum jelly (including vaseline) Paraffin wax (including chlorinated paraffin wax), LSHS (low sulpher high stocks), CBFS (carbon black feed stock), Petroleum coke in any form, Heavy alkylate, Methyl acetate, Remax, Revive, C-9 known by whatever name
4.	Oilseed (excluding Til) for oil extraction/refining and crude/degum oil for refining
5.	ACSR conductors
6.	All kind of electrical and electronic goods including electronic meters, FAX Machines, SIM Cards, Smart Cards and parts and accessories thereof, but excluding radio sets and radio gramophones, V.C.R., V.C.P., tape-recorders, transistor sets and parts and accessories thereof.
7.	All kinds of telephone and parts thereof
8.	Aluminum structurals, steel fabrication items including G.S. Stay Sets, switch fuse units and isolators.
9.	Bitumen of all kinds
10.	Computers and their accessories
11.	Generating sets
12.	Glass and glass sheets
13.	Insulators
14.	Lubricants and Lube oil and grease
15.	Parts and accessories of all types of motor vehicles (other than tractors) including two and three wheelers
16.	Photocopiers
17.	Stay wire
18.	Steel structurals and steel bars including Thermo - mechanically Treated Steel bars (TMT)
19.	Television sets, washing machine, microwave oven
20.	Transformers and transformer oil
21.	Tyres, tubes and flaps of two wheeler, three wheeler and four wheeler motor vehicles, motor vehicles with more than four wheels or jeep trailers.
22.	All kinds of non-alcoholic drinks and beverages
23.	All kinds of paper and paper products including exercise books but excluding handmade paper
24.	Automated Teller Machine(ATM)
25.	Dyes and dyestuffs, textile auxiliaries including chemicals used in textile processing and starch
26.	Earth moving and mining machinery including hydraulic excavator, hydraulic dumper, tipper, heavy loader, backhoe loader, wheel loading shovel, wheel excavator, tracked excavator, compactor, mobile crane, road roller, dozer, grader, skid steer and parts thereof
27.	HDPE bags, plastic bags & sacks, plastic laminated pouches
28.	Non-woven fabrics, textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, PVC leather cloth and synthetic leather
29.	Optical fibre cables and Polythylene Insulated Jelly Filled Telecommunication (PIJF) cables
30.	PP/HDPE woven fabrics
31.	Tin containers

32.	X-ray apparatus and equipments, medical imaging, diagnostic and therapeutic equipments
33.	All kinds of firearms including parts and accessories thereof
34.	All types of sanitary goods and fittings
35.	Cement
36.	Ceramic and glazed tiles
37.	Lifts and elevators
38.	Weigh bridge
39.	Aerated water
40.	Air Conditioner and Refrigerator
41.	Mineral water and water sold in sealed containers
42.	Opium (other than lanced poppy head)
43.	Pan Masala (not zarda mixed)
44.	Tobacco, cigarettes, cheroots, cigars and cigarillos, zarda mixed pan masala including gutkha and churi

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-212]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.277.- In exercise of the powers conferred by section 9 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, rescinds this Department's notification number F.12 (59)FD/Tax/2014-86 dated 30.07.2014.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-213]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.278.- In exercise of the powers conferred by section 44 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Rules, 1997, and orders with reference to the proviso to sub-section (2) of the said section that previous publication of these

amendment rules is dispensed with, as the State Government is satisfied that circumstances exists which render it necessary to take immediate action, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 6.- The existing rule 6 the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Rules, 1997, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“6. Submission of returns.- (1) Every hotelier shall submit return in Form VAT-10, Form VAT-10A and Form VAT-11 appended to the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as “the VAT rules” in such manner as provided therein.

(2)(a) The return in Form VAT-10 shall be submitted by the hotelier within such time as provided under the VAT rules, if the hotelier is registered as dealer under the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), otherwise within forty five days of the end of the quarter.

(b) The return in Form VAT-10A shall be submitted by the hotelier within such time as provided in the VAT rules.

(c) The return in Form VAT-11 shall be submitted by such hotelier who has opted for payment of lump sum in lieu of tax, within such time as provided in the VAT rules.

(3) The other provisions regarding the filing of return, revise return and late fee as provided in the VAT rules shall *mutatis mutandis* apply.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (3) above, the return(s) for the period prior to 01.04.2015 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period.”

3. Substitution of rule 9.- The existing rule 9 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“9. Applicability of the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006.- Subject to the provisions of the Act and these rules, the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 shall *mutatis mutandis* apply to all matters which may arise and to all the issues which may crop up while administering the Act.”

4. Deletion of Form LTH-3.- The existing Form LTH-3 appended to said rules shall be deleted.

5. Deletion of Form LTH-3A.- The existing Form LTH-3A appended to said rules shall be deleted.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-214]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.279.- In exercise of the power conferred by section 4A of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No.9 of 1996), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 1st April, 2015, notifies the “**Composition Scheme for Marriage Hall, 2015**”, hereinafter referred to as ‘the Scheme’. The Scheme permits hoteliers to opt for payment of lump sum in lieu of tax under the Act, on payment of the lump sum amount and subject to the conditions as specified hereunder, namely:-

1. Date of commencement.- The Scheme shall come into force with effect from, April 1, 2015.

2. Applicability.- The Scheme shall be applicable for the proprietor of marriage hall, hereinafter referred to as the hotelier, registered under the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990.

Explanation: 1.The hoteliers, who generally let out the rooms to customer, are not eligible under the Scheme.

2. In case of any dispute as to whether a hotel is a marriage hall or not, it shall be decided by the Commissioner, Commercial Taxes, whose decision shall be final.

3. Lump sum amount.- (1) The lump sum amount to be paid per annum, by the hotelier in lieu of tax shall be calculated by the following formula, namely:-

$$\text{Lump sum Amount (Rupees Per Annum)} = \frac{\text{Rate of Land (Rs/ Sq Mtr)} \times \text{Area (Sq Mtr)}}{500}$$

Explanation: (1) “Rate of Land” means the rate determined for assessment of market value of the commercial land of the area under the Rajasthan Stamp Rules, 2004.

(2) Where any hotelier opts for payment of lump sum in lieu of tax during the year, the lump sum amount payable by him shall be calculated proportionately for the period under certificate of payment in lump sum.

4. Manner of payment of lump sum amount.- (1) The lump sum amount shall be paid by the eligible hotelier in four quarterly installments. The installment for each quarter shall be paid by 10th day of the immediately succeeding month of the relevant quarter i.e. by July 10th, October 10th, January 10th and April 10th for the 1st, 2nd, 3rd, and 4th quarter respectively.

(2) Where the hotelier fails to deposit the lump sum amount within the time as prescribed in clause (1) above, he shall be liable to pay interest on such lump sum amount as per the provisions of the section 20 of the said Act.

5. Procedure for obtaining certificate of payment in lump sum.- (1) A hotelier may, opt for payment of tax in lump sum in accordance with the provisions of section 4A of the said Act by submitting an application in Form A appended to the Scheme, to the assessing authority or any officer authorised by the Commissioner in

this behalf, within **sixty days** of the issuance of registration certificate, or within **sixty days** from the date of this notification, whichever is later. However, a registered hotelier may also exercise such option by submitting an application, at any time during the year but within thirty days of commencement of any quarter. In such cases the certificate of payment in lump sum shall be issued from the beginning of the succeeding quarter, in which he has submitted his option.

(2) On receipt of the application in Form A appended to the Scheme, the assessing authority or any officer authorized by the Commissioner in this behalf shall, within fifteen days from the date of receipt of the application, issue the certificate of payment in lump sum in Form B appended to the Scheme, which shall remain in force unless the hotelier opts out from option of payment of lump sum, or the hotelier has closed the business or the certificate is cancelled by the assessing authority or officer authorized by the Commissioner in this behalf.

(3) Where the hotelier has more than one marriage hall, he shall apply separately for opting under the Scheme, for each marriage hall.

6. Conditions.- (1) Save as provided in the scheme, the hotelier opting for payment of lump sum in lieu of tax under this scheme, shall be subject to all the provisions of the Rajasthan Tax on Luxury (Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 and rules made there under.

(2) The hotelier shall not charge or collect any tax from a customer during the period under which the certificate of payment in lump sum is in force, however, tax charged or collected by the hotelier before opting for the scheme shall have to be deposited forthwith and the tax already deposited shall not be refunded.

(3) If any hotelier voluntarily withdraws from the scheme during the year, he shall be required to deposit the whole of the lump sum amount, if not already paid for the year forthwith.

(4) The lump sum amount and any other levy under the scheme shall be recoverable as arrears of land revenue under the said Act.

(5) Where during the period under which the certificate of payment in lump sum is in force, the hotelier violates any of the conditions of the scheme or aids or abets the evasion of tax, the assessing authority, after affording reasonable opportunity of being heard, may cancel the certificate of payment in lump sum. This will be without prejudice to the action, penal or otherwise, for which such hotelier shall be liable under the provision of the said Act and rules made there under.

(6) In case of any change in the rate of land or area of marriage hall during the year in which the certificate of payment in lump sum is in force, he shall inform to the assessing authority or officer authorized by the Commissioner in this behalf within thirty days of such change. In such case the payable lump sum amount shall be revised by the assessing authority or the officer authorized, with effect from the 1st day of April of the succeeding year of the year in which the rate of land has been revised.

(7) The State Government may review the scheme at any time and may amend, any or all the provisions of the scheme, as it may deem fit. On such amendment, the hotelier shall pay the revised lump sum amount or any other levy, accordingly.

(8) The State Government may review the scheme and on being satisfied that it is not in the public interest to continue the scheme, it may revoke the scheme forthwith or from such date as it may notify.

FORM A

[See Clause 5(1)]

**Application for permission to pay tax in lump sum
(Under Composition Scheme for Marriage Hall-2015)**

To,
The Assessing Authority

I submit my application as follows for the grant of permission to pay lump sum amount in lieu of tax under clause 5(1) of the Composition Scheme for Marriage Hall, 2015.

The details of business:

1.	Registration No.	
2.	Date of submission of application:	
3.	Name of the applicant:	
4.	Name of the Hotelier:	
5.	Name of the Marriage hall (If different from No.3) for which option to pay tax in lump sum is opted:	
6.	Information related to Hotelier	
6.1	Complete Address :	
6.2	PAN No.:	
6.3	Phone No.:	
6.4	Mobile No.:	
6.5	E-mail ID:	
7.	Details of Bank Account:	
8.	Name of the area, where the property is situated.	
9.	Rate of land (Rs/ sq Mtr)	
10.	Area of the marriage hall (sq. Mtr).	
11.	Lump sum amount payable per annum.	

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my / our knowledge and nothing has been concealed and I/we shall abide by all the conditions specified in the Scheme.

Place:
Date:

Signature:
Name and Status:

FORM B

[See Clause 5(2)]

**Certificate of payment in lump sum
(Under Composition Scheme for Marriage Hall-2015)**

Certificate No.:

1.	Registration No.:	
2.	Name of the applicant:	

3.	Name of the hotelier:	
4.	Name of the Marriage hall (If different from No.3) for which option to pay tax in lump sum is opted:	
5.	Complete Address:	
6.	Name of the area, where the property is situated:	
7.	Area of the marriage hall (sq. mtr.):	
8.	Lump sum amount payable per annum:	
9.	Lump sum amount payable per quarter:	

This certificate is valid from _____ and shall remain in force till the hotelier opts out from the option of payment of tax in lump sum or the dealer has closed the business or certificate is cancelled, whichever is earlier.

Note: The lump sum amount may be revised as per the provision of the scheme.

Place:

Signature:

Date:

Name and Status:"

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-215]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.280.- In exercise of the powers conferred by section 7 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this Department's notification No.F.12(11)FD/Tax/2013-114 dated 06.03.2013, namely:-

Amendment

In the said notification for the existing expression "Dharamshala, Marriage Garden and Community Centres" the expression "Dharamshala" shall be substituted.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-216]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.281.- In exercise of the powers conferred by section 7 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), the State

Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts from payment of fifty percent of tax payable on the luxuries provided by any hoteliers in the Community hall run directly by any Development Authority constituted under any Act of the State Legislature, Urban Improvement Trust, Local bodies, Rajasthan Housing Board or any Government Department.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-217]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.282.- In exercise of the powers conferred by section 7 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996) and in supersession of this department's notification No. F.12(59)FD/Tax/2014-40 dated 14.7.2014 and F.12(59)FD/Tax/2014-41 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 01.04.2015, exempts from payment of tax payable by a hotelier under section 4 of the said Act on the luxuries provided in a hotel other than a marriage hall situated in the area as mentioned in column number 2 of the table given below, for the period as mentioned in column number 3 to the extent as mentioned in column number 4 against each of them of the said table:-

Table

S.No.	Area	Period	Extent of exemption
1	2	3	4
1.	Notified Area of Mt. Abu	January, February and March	100%
2.	whole area of Rajasthan, excluding the notified area of Mount Abu	May, June and July	100%

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-218]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.283.- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), and in supersession of this

Department's notification No.F.12(14)FD/Tax/2006-143 dated 08.03.2006, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby fixes, the rate of electricity duty payable on consumption of self generated energy for any purpose in respect of energy generated by captive power generating plants other than by the Diesel Generating Sets at Rupees 0.40 per unit (KWH).

This shall have effect from March 16, 2015.

[No.F.12(23)FD/Tax/2015-219]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.284.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fee payable in excess of rupees one thousand on the instrument of lease or sale of residential plot or dwelling unit executed by the Development Authorities, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trusts and Municipalities in favour of persons belonging to Economically Weaker Section and Low Income Group, shall be remitted on the following conditions, namely:-

- (a) in case of Economically Weaker Section, the monthly income of the family is not more than Rs. 5000/- and carpet area of residential plot or dwelling unit is not more than 325 square feet; and
- (b) in case of Low Income Group, the monthly income of the family is not less than Rs. 5001/- and not more than Rs. 10000/- and carpet area of residential plot or dwelling unit is not more than 500 square feet.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-220]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.285.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's Notification No. F.2(6)FD/Tax Div./98-183 dated 26.03.1999, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the gift deed of immovable property,

executed for public purposes, in favour of the State Government, Local Bodies or State Enterprises, shall be remitted.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-221]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.286.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fee chargeable on the gift deed of immovable property, executed for public purposes, in favour of State Government, Local Bodies or State Enterprises, shall be remitted.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-222]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.287.- In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby reduces the interest payable under the said Act from 12% compounded per annum to 12% per annum.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-223]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.288.- In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is

expedient in public interest so to do, hereby reduces the rate of penalty payable under the said Act from 2% per month to 1% per month.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-224]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.289.- In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's Notification No. F.4(15)FD/Tax/2014-65 dated July 14, 2014, the State Government hereby specify the criteria on the basis of which market value of the proportionate land under the multistoried building shall be assessed:-

S. No.	Description of unit	Method of valuation of the land
1.	On transfer of a unit on ground floor without the rights of roof	70% of the assessed market value of the land
2.	On transfer of a unit on first or second floor without the rights of roof	60% of the assessed market value of the land
3.	On transfer of a unit on basement or third or above floor without the rights of roof	50% of the assessed market value of the land
4.	On transfer of a unit with the rights of roof	100% of the assessed market value of the land

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-225]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.290.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's all earlier notifications, orders and circulars issued by Inspector General of Stamps on the subject, the State Government hereby determines the rates for assessment of market value of the following categories of land for whole of the State as under:-

1. Rates of land for industrial purposes

Rates of industrial land in RIICO industrial area or land converted for industrial purposes or agriculture land being used for industrial purposes shall be,-

- (i) equal to the rates determined by RIICO in RIICO Industrial Area; and
- (ii) equal to two times of the rates of agriculture land of that area in other cases.

Explanation:(i) In areas where rates of agriculture land are not recommended by District Level Committee, rates of industrial land shall be equal to the rates of residential land of that area.

- (ii) The above rates shall also be applicable on the matters pending before the Collector (Stamps) or any other court.
- (iii) Stamp duty already paid shall not be refunded.

2. Rates of land for institutional purposes outside RIICO Industrial Area

Rates of land converted for institutional purposes or agriculture land being used for institutional purposes shall be,-

- (i) equal to 1.5 times the rate of agriculture land of that area where land is purchased by cooperative societies/charitable institutions; and
- (ii) equal to 2 times the rate of agriculture land of that area in other cases.

Explanation:(i) In areas where rates of agriculture land are not recommended by District Level Committee, rates of institutional land shall be equal to the rates of residential land of that area.

- (ii) "Institution" shall include educational institutions, training institutions, hospitals, banks, financial institutions, insurance companies etc.

3. Rates of land for mining purposes

Rates of agriculture land purchased or agriculture land in respect of which consent deed is executed between land owner and lessee for mining purposes shall be equal to two times of the rates of agriculture land of that area.

4. Rates of land for Resort purposes

Rates of the agriculture land purchased for resort purposes or land converted for resort purposes shall be,-

- (i) equal to the rates of commercial land of that area for portion on which construction has been done or the maximum permissible constructed area whichever is higher; and
- (ii) equal to 1.5 times of the rates of agriculture land of that area for remaining part of land.

5. Rates of land for marriage garden purposes

Rates of the agriculture land purchased for marriage garden purposes or land converted for marriage garden purposes shall be,-

- (i) equal to the rates of commercial land of that area for portion on which construction has been done or the maximum permissible constructed area whichever is higher; and
- (ii) equal to 1.5 times of the rates of residential land of that area for remaining part of land.

6. Rates of agriculture land purchased by companies, firms or institutions

Rates of the agriculture land purchased by companies, firms or institutions shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

7. Rates of land for farm house purposes

Rates of the agriculture land purchased for farm house purposes or land converted for farm house purposes shall be,-

- (i) equal to rates of residential land of that area where the area of the land is upto 1000 sq. meter;
- (ii) equal to the rates of residential land of that area for 500 sq. meter or portion on which construction has been done, whichever is higher, and equal to two times the rates of agricultural land of that area for remaining portion, where the total area of the farm house is more than 1000 sq. meter but less than 2500 sq. meter; and
- (iii) equal to the rates of residential land of that area for 500 sq. meter or 10% of total area or portion on which construction has been done, whichever is higher, and equal to 1.5 times the rates of agricultural land of that area for remaining portion, where the total area of the farm house is 2500 sq. meter or more and the land is situated in urban areas (including urban agglomeration limits) or in periphery limits of urban areas or within radius of one kilometer of National/State/Mega Highways.

8. Rates of residential or commercial plots having area more than 1000 sq. meter

Rates of residential or commercial plots having area more than 1000 sq. meter shall be as follows:-

S. No.	Area	Valuation based on the rates recommended by District Level Committee shall be reduced as under
1.	1001 to 1500 sq. meter	5 %
2.	1501 sq. meter to 2500 sq. meter	5% on 1001 to 1500 sq. meter and 10% on remaining area
3.	More than 2500 sq. meter	5% on 1001 to 1500 sq. meter, 10% on 1501 to 2500 sq. meter and 15% on remaining area

9. Rates of corner plots

Rates of corner plots except plot of agriculture land having area more than 1000 sq. meter, shall be 10% more.

10. Rates of land for which mixed land use patta/lease deed has been issued

On sale or transfer of vacant land, for which patta/lease deed of mixed land use has been issued by Development Authorities or Urban Improvement Trusts or other Local Bodies, the rate of such land shall be equal to 75% of the rate of commercial land of that area.

11. Rates of land under different land use

On sale or transfer of land which is being put to a different use than its approved land use, with or without approval of competent authority, the rate of such land or part thereof shall be equal to the rates of the category of its actual use.

12. Rates of residential and commercial land of a particular area where rates of such land are not recommended by District Level Committee

- (i) Rates of residential land shall be three times of the rates of agriculture land of that area; and
- (ii) Rates of commercial land shall be six times of the rates of agriculture land of that area.

13. Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter

Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter shall be equal to the rates of residential land of that area.

14. Rates of institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area

Rates of institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area shall be,-

- (i) equal to the rates of industrial land determined by RIICO in case of institutional land;
- (ii) equal to two times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of residential land; and
- (iii) equal to four times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of commercial land.

Explanation:(i) The above rates shall also be applicable on the matters pending before the Collector (Stamps) or any other court.

- (ii) Stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-226]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.291.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the

opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F. 4(15)FD/Tax/2014-53 dated July 14, 2014, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

2.	Every intermediary unregistered and under stamped instrument executed in respect of land allotted or sold by housing co-operative societies, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.	<p>(i) On 10% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed up to March 31, 1995.</p> <p>(ii) On 20% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 1995 to March 31, 2005.</p> <p>(iii) On 30% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2005 to March 31, 2010.</p> <p>(iv) On 35% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2010 to July 14, 2014.</p>
----	---	---

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-227]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.292.- In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendment in this department's Notification No.F.2(47)FD/Tax/09-04 dated 09.04.2010, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, under the head **ARTICLE-I**, in column number 3 against serial number 1, the existing expression "subject to a maximum of rupees fifty thousand" shall be deleted.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-228]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 9, 2015

S.O.293.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's Notification No. F.2(3)FD/Gr.IV/93/1-83 dated March 7, 1994 and Notification No. F.2(3)FD/Gr.IV/93/1-84 dated March 7, 1994, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the mortgage deeds executed without possession of the property under clause (b) of Article 37 of the Schedule of the said Act, shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-229]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 9, 2015

S.O.294.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's Notification No. F.2(22)FD/Tax/03-5 dated 20.05.2004, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the documents of debt assignment shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent of the amount of debt.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-230]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.295.- In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's Notification No. F.4(15)FD/Tax/2014-64 dated July 14, 2014, the State Government hereby determine the rates for assessment of market value of constructed portion as under:-

S. No.	Categories of construction	Rates
1.	Construction with RCC roof	Rs. 900/- per sq. feet
2.	Construction with Patti roof	Rs. 600/- per sq. feet
3.	Construction other than serial number 1 and 2 above	Rs. 250/- per sq. feet
4.	Skeleton with roof but without plaster, floor, sanitary, electricity etc.	50% of the rates at serial number 1 and 2 above, as the case may be.
5.	Skeleton without roof	25% of the rate at serial number 1 above.
6.	Construction up to plinth level	10% of the rate at serial number 1 above.
7.	Industrial Shed	Rs. 3000/- per sq. meter
8.	Shed other than Industrial Shed	Rs. 2000/- per sq. meter
9.	Boundary Wall	Rs. 400/- per running meter

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-231]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.296.- In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of the orders and circulars issued in this regard, the State Government hereby specify the criteria for calculation of depreciation on constructed portion as under :-

S. No.	Age of Construction	Rate of Depreciation
1.	Upto 10 years old	0
2.	More than 10 years and up to 20 years old	20%
3.	More than 20 years and up to 35 years old	30%
4.	More than 35 years and up to 50 years old	40%

5.	More than 50 years old	50%
----	------------------------	-----

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-232]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.297.- In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 23.- In proviso to rule 23 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "one lakh", the expression "fifty thousand" shall be substituted.

3. Amendment of rule 58.- In rule 58 of the said rules,-

(i) the existing sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1) In the case of an instrument relating to immovable property, the market value of such property shall be assessed as under, namely:-

(a) in case of agriculture, residential and commercial categories of land, on the basis of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2:

Provided that Inspector General of Stamps may revise the rates of agriculture, residential or commercial land determined by District Level Committee with prior approval of the State Government by notification published in the Official Gazette, if circumstances so require;

(b) in case of other categories of land, on the basis of the rates determined by Inspector General of Stamps with approval of State Government or determined by State Government by notification published in the Official Gazette;

(c) in case of constructed portion, on the basis of the rates determined by State Government;

(d) in case of proportionate land under the multistoried buildings on the basis of criteria specified by the State Government;

(e) while assessing market value, depreciation on the constructed portion shall be allowed according to the criteria specified by the State Government; and

(f) in case of corner plots on the basis of criteria specified by the State Government.”

(ii) the existing sub-rule (2) shall be substituted by the following, namely:-

"(2) Inspector General of Stamps with approval of State Government shall prepare guidelines for District Level Committee, from time to time, in respect of determination of market value of the agriculture, residential and commercial categories of land. The District Level Committee while recommending the rates of agriculture, residential and commercial categories of land, shall follow the guidelines issued by Inspector General of Stamps:

Provided that if the rates recommended by the District Level Committee are increased by more than fifty percent of the existing rates, the increased rates so recommended shall be taken into consideration only after the approval of the Inspector General of Stamps.”

2. Insertion of rule 67-A.- After the existing rule 67 and before the existing rule 68 of the said rules, the following new rule 67-A shall be inserted, namely:-

“67-A. Procedure for hearing of the cases by Chief Controlling Revenue Authority.- A revision filed before the Chief Controlling Revenue Authority under section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998, shall be heard and disposed off by the Chairperson or any member of the Chief Controlling Revenue Authority sitting in single Bench or by a Bench consisting of two or more members as may be decided by the Chairperson. However, a revision shall be heard and disposed off by a Bench of the Chief Controlling Revenue Authority consisting of two or more members where the disputed amount exceeds rupees ten lacs.”

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-233]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.298.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approve and publish the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I), made by the Inspector General of Registration for Rajasthan, in exercise of the powers conferred on him by sub-section (1) of section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Rajasthan Registration (Amendment) Rules (Volume-I), 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 186.- In sub-rule (2) of rule 186 of the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I), hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "inclusive of", the expression "in addition to" shall be substituted.

3. Substitution of Form No. 9 of Appendix I.- The existing Form No. 9 of Appendix I appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely.-

**"Appendix I Form No. 9
(see Section 52 & Rule 76 & 131)
Fee Receipt**

Name of Office.....

Party/Office Copy

Print Date:.....

Fee Receipt No.:	Receipt Date:
Date of Presentation/ Application :	Document S. No. :
Name of Applicant/Presenter:	Name of Executant:
Address :	Type of Document :
Face Value:	Evaluated Value:
Property Details:	

Details of fees realized-

Registration Fee:	Custody Fee:
CSI fee:	Fee for deposit/withdrawal/ opening of sealed cover:
Fee for Memorandum u/s 64 to 67:	Inspection and Search fee :
Fee for certified copies u/s 57:	Misc. Fee:
Fine u/s 25, 34:	Stamp Duty:
Fee for commission/attendance :	Surcharge:
	Cash Amount :
	Other than Cash:
	Total Amount:

Modes of Payment with amount

Signature of Presenter or applicant for
copy or search certificate

Signature of recipient and date of return
of receipt

Signature of Cashier

Signature of Registering Officer"

4. Substitution of Form No. 14 of Appendix I.- The existing Form No. 14 of Appendix I appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely.-

**"Appendix I Form No. 14
(see Rule No. 74 & 131)
Register of Fee**

From..... to Name of Office.....

S. No.	Document S.No.	Book No.	Document Type/ Impound Case/ Cancel Receipt	Ordinary Reg. Fee	Stamp Duty	Total (5 to 6)	copying Fee u/s 57	Commission/ visit Fee	Custody Fee/ Penalty
				CSI fee	Surcharge		Fine u/s 25,34	Misc. Fee	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Page Total						
			Total CF						

Sealed Envelope (Will) fee	Total Fee (7 to 11)	Stamp	E-Stamp	Franking	E-Gras	DD	Cash	Grand Total (13 to 18)	Receipt No.	SR Initials
Inspection /Search Fee						Pay Order				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-234]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.299.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the amount of stamp duty chargeable on subsequent sale deed of residential or commercial plot executed in the same Financial Year, shall be reduced by 10% on the following conditions, namely:-

1. that concession shall be allowed only on the subsequent sale deeds executed after registration of the first sale deed of the plot in that Financial Year;
2. that concession shall be allowed only on the sale deeds of residential or commercial plots; and
3. that the plot must be vacant during the first and subsequent sale and there must be no changes in category, area or other conditions of the plot.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-235]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.300.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of transfer of immovable property from

"Sponsoring Body" to "Private University" in pursuance of the provisions of the Act of the Private University concerned and "The Guidelines for the Establishment of Private Universities by Separate Act" issued by Education (Gr.-4) Department vide order No. F.3(14)Edu-4/2006 dated 26.7.2007, shall be reduced and charged at the rate of one percent.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-236]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.301.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the mortgage deed executed in favour of Financial Institution, Bank or Cooperative Society by a war widow for obtaining loan for construction or purchase of house/flat or for making addition/alteration in an existing house/flat, shall be remitted on submission of the certificate of identity issued by Director, Sainik Kalyan Vibhag, Government of Rajasthan.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-237]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.302.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fee chargeable on the mortgage deed executed in favour of Financial Institution, Bank or Cooperative Society by a war widow for obtaining loan for construction or purchase of house/flat or for making addition/alteration in an existing house/flat, shall be remitted on submission of the certificate of identity issued by Director, Sainik Kalyan Vibhag, Government of Rajasthan.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-238]

By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.303.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendments in this department's notification No.F.6(179)Pari/Tax/Hqrs./ 95/1R dated 14.07.2014, namely:-

AMENDEMENTS

In the said notification,-

1. in serial number 1, for the existing expression "4% of the cost of vehicle" in column number 3 against item (i) under the head "**(A) Two wheeled vehicles having engine capacity**" of column 2 of the table, the expression "6% of the cost of vehicle" shall be substituted.
2. in table, after the existing serial number 5 and entries thereto, the following new serial number 6 and entries thereto shall be added, namely: –

6.	Purely off-highway vehicle	
	(a) Purchased as a chassis	7.5% of the cost of chassis.
	(b) Purchased with a complete body	6.0% of the cost of vehicle.

3. after the existing Explanation (2), the following new Explanation (3) shall be added, namely:-

"(3) Purely-off highway vehicle means a motor vehicle either used as a construction equipment or designed and adapted for use in any enclosed premises, factory or mine, equipped to travel on its own source of power."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1S]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.304.- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act,1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification No. F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the table of the said notification, in proviso to serial number 1, for the existing expression "subject to the maximum of Rs. 12,000 per annum", the expression "subject to the maximum of Rs. 15,000 per annum" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3M]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.305.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts fifty percent of Special Road Tax payable under section 4-B of the said Act, on the air conditioned passenger vehicles, except sleeper coach, having seating capacity more than 30 including driver and conductor, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that the vehicle shall be registered in the State of Rajasthan in the name of tourist transport operator;
- (ii) that the tourist permit of the vehicle shall be issued by competent authority of State of Rajasthan in the name of recognized tourist operator; and
- (iii) that the tourist transport operator shall be recognized by Ministry of Tourism, Government of India, Indian Association of Tour Operators (IATO) and Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) and approved as such by the Transport Commissioner.

This notification shall have effect from 01.4.2015 and shall remain in force upto 31.3.2018.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/5]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.306.- In exercise of the powers conferred by second proviso to section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification No. F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/2 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in public

interest so to do, hereby notifies that following classes of Motor vehicles registered or assigned in the State on or after 01.04.2007 shall be required compulsorily to pay Lump Sum Tax under section 4-C instead of tax payable under clause (a) or (e) of sub-section (1) of section 4 and section 4-B of the said Act:-

1. All categories of Four Wheeled Goods Vehicles having Gross Vehicle Weight more than 3000 kg. and upto 7500 kg.
2. All categories of Motor Cabs having seating capacity upto six excluding driver.
3. All categories of Maxi Cabs having seating capacity more than six but not more than twelve seats excluding driver.

This shall have effect from 01.04.2015.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.307.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts from the payment of One Time Tax payable under section 4 of the said Act on the four wheeled carriages retrofitted/adapted with the kit for physically challenged persons and solely used by the physically challenged person, having cost not exceeding rupees eight lakh.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/4]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.308.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby,-

- (i) exempts from payment of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, Penalty and Interest payable, if any, on destroyed vehicles if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable up to the date on which vehicle destroyed is deposited on or before 30-06-2015;
- (ii) exempts from payment of penalty and interest payable on due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax up to 31.03.2012 on vehicles other than destroyed vehicles, if interest and penalty, if any, for the period 01-04-2012 to date of realization and all payable Motor Vehicle Tax,

Special Road Tax, One Time tax, Lump Sum Tax is deposited on or before 30-06-2015.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

- (i) The vehicle owner shall apply before the Taxation Officer for the exemption.
- (ii) The Taxation Officer shall calculate the tax and shall issue demand notice.
- (iii) The Registration Certificate of destroyed vehicles shall be cancelled by Registering Authority.
- (iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.
- (v) If any dispute arises regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/6]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

MINES (Gr.II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 9, 2015

S.O.309.- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1986, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Minor Mineral Concession (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule I.- In the Schedule I appended to the Rajasthan Minor Mineral Concession Rule 1986, the existing proviso appearing below serial number 6 and entries thereto shall be substituted by the following, namely :-

"Provided that no royalty shall be payable on marble slurry / marble powder."

[No.F.14(7)Mines/Gr.II/2014]

By order of the Governor,

(V.P.Singh)

Joint Secretary to Government

Government Central Press, Jaipur.